खण्ड-433, अंक-6
शुक्रवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1922
(31 मार्च, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
परीक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–92
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	93
जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर की ग्राम पंचायत बरौलिया के उप प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं की धनराशि के आहरण में की गयी कथित धांधली की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
उत्तर प्रदेश चीनी निगम की इकाई शाहगंज, जौनपुर रत्ना शुगर फैक्ट्री का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार तथा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद लखीमपुर के ग्राम बेहजम में एक मोहल्ले एवं धार्मिक स्थल का रास्ता जबरन बन्द करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं रास्ता खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद जालौन के लघु सिंचाई विभाग उरई में बोरिंग मशीनों की फर्जी मरम्मत एवं निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने विषयक वित्तीय अनियमिततायें कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जिला सहकारी बैंक फैजाबाद के शाखा प्रबन्धक/सचिव द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद बलिया को नगर पंचायत बिल्थरा रोड के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	95–96
जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
विधायक निधि की पी०एल०ए० में जमा धनराशि के 31 मार्च, 2000 के उपरान्त व्यपगत हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	96–99
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम०एस–सी० (टेक) फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को सदन के निर्देश के बावजूद कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	99–100
विधायकों के प्रस्ताव पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक सदन में की गयी घोषणाओं का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	100–101
सदन की बैठकें वर्ष में 90 दिन किये जाने का प्राविधान नियमावली में होने के बावजूद उसका अनुपालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	101–103

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ०प्र० पुनर्गठन विधेयक, 2000 को सदन के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही शासन द्वारा अवलोकित कर संकल्प तैयार करके कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने से संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	103–106
प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा सुविधा समाप्त करने तथा परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (जारी)	106–108
विधायक निधि की पी०एल०ए० में जमा धनराशि के 31 मार्च, 2000 के उपरान्त व्यपगत हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	108
प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा सुविधा समाप्त करने तथा परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	108–109
जिला कचेहरी लखनऊ में शान्ति पूर्ण सत्याग्रह करते वकीलों पर लाठीचार्ज और बर्बर अत्याचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	109–111
टैल्को वर्क्स फैक्ट्री, लखनऊ में दिनांक 28-3-2000 को, की गयी गैर कानूनी तालाबन्दी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	111–116
जनपद मेरठ में महानगर बस सेवा की बसों में प्रवेश एवं निकासी हेतु दरवाजों की अलग-अलग व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री रविन्द्र तायल आदि की हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	116
सत्रकाल के दौरान जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुलाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	116–117
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु "भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ के प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिन्ह " विधि" रख दिया जाय" विषयक श्री गोरखनाथ पाण्डेय का नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (सदन की सहमति से वापस लिया गया)	117–120
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	
जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज तथा पुलिस जीप से छात्र की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना ...	120–123
"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करें कि भारतीय जड़ी बूटियों को उत्पादन उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े" विषयक डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन ...	123
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	123–124

विषय				पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष एवं नेता सदन के भाषण के समय पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के दीर्घा में उपस्थित न रहने के सम्बन्ध में आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	...	...		124–126
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी)			...	126–141
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	142–143
नत्थियां	...	...	...	144–159

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अनिल कुमार, श्री	बलिया	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	राजा राम पाण्डेय,श्री	प्रतापगढ़
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	एटा	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	राम नरेश रावत,श्री	गाजियाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
काजिम अली खां, उर्फ		राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
काशी राम, श्री	रामपुर	राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जगपाल, श्री	सहारनपुर	लाल मणि प्रसाद, श्री	बस्ती
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	बहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू",श्री	गोण्डा
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ	सन्त, श्री	गोरखपुर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		सर्वेश कुमार उर्फ	
उर्फ पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर	राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
ज्ञानचन्द, श्री	उत्तरकाशी	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
देवेन्द्र सिंह उर्फ		सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
भोले सिंह,श्री	कानपुर देहात	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

छात्रों के परीक्षा शुल्क में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्रों की परीक्षा फीस बढ़ा दी है इससे जनता में असंतोष व्याप्त है ...

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना दे दूं ....

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज छात्रों की परीक्षा फीस में दो गुना बढ़ोत्तरी हो गयी है जिससे काफी असंतोष व्याप्त हो गया है । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों की परीक्षा शुल्क में ....

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक निवेदन सुन लें । कई माननीय सदस्यों ने इस पर नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है । श्री समरपाल सिंह, श्री रामजग आदि माननीय सदस्यों ने इसमें सूचना दी है । इस समय महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और आज, तीसरा दिन है । मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें । इसलिए हम इसे नियम–300 के पश्चात् जब हमें थोड़ा समय मिलेगा तो विशेष उल्लेख के रूप में सुन लूंगा । लेकिन मेरा अनुरोध है कि पांच मिनट से ज्यादा समय इसमें न लें, ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्य महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा कर सकें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय नेता विपक्ष का आज भाषण होना है । सारा सदन इनके भाषण को सुनना चाहेगा उसमें वह यह बात कह सकते हैं बड़े प्रभावित ढंग से । इनको अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए ताकि वह अपनी बात कह सकें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्रामों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु हैण्डपम्प लगाने के पुराने मानक के स्थान पर नये मानक की मांग

**1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्रामों में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने के पुराने मानक को बदलकर कोई नया मानक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला)–

जी नहीं ।

वर्तमान मानकों के अनुसार 250–300 की जनसंख्या पर एक इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। अभी इस मानक के अनुसार समस्त ग्रामीण बस्तियां संतृप्त की जानी हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जिन्दगी के लिए पानी से ज्यादा आवश्यक और कोई चीज नहीं है। वैसे तो रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीजें हैं लेकिन चौथी चीज पानी है। मान्यवर, बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए जहां तक मुझे जानकारी है 250 से 300 की जनसंख्या पर हैण्ड पाइप लगाये जाते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी बहुत बढ़ गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो वर्तमान आबादी है उसमें सर्वे करवा कर 250 के हिसाब से हैण्ड पम्प लगाना चाहेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 250 पर लगा रहे हैं। मैंने उत्तर में भी दिया है 250 पर लगा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 250 से 300 की जनसंख्या पर हैण्ड पम्प लगा रहे हैं। वर्ष 1991 में जनगणना हुई थी और आज लगभग 2001 होने को है। प्रत्येक गांव में जनसंख्या दो गुनी भी हो गयी है। ऐसी स्थिति में जो यह 250 से 300 का मानक है वह 500 से 600 पर पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस व्यावहारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह मानक 250 से 300 से घटाकर 100 से सवा सौ करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी तक जो फुल्ली कवर्ड बस्तियां हैं जल संतृप्त की दो लाख इक्हत्तर हजार सात सौ इक्यानबे है, आधी से कुछ ज्यादा में दो हजार छिहत्तर हैं तथा 374 बस्तियां ऐसी हैं जो संतृप्त होनी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न है कि ढाई सौ और तीन सौ का जो मानक है, उसे हम कर दें।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, जब तक पूरी बस्तियां संतृप्त नहीं कर देते हैं भारत सरकार के मानक के अनुसार दूसरा कुछ नहीं कर पायेंगे। भारत सरकार के मानक के अनुसार जब कार्य हो जायेगा तब उस पर विचार कर लेंगे।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, विधायकों के लिए 50-50 हैण्ड पम्प की स्वीकृति की बात थी पत्र भी लिखा गया लेकिन मेरे जनपद में धन नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 31 जनवरी, 2000 को शासनादेश जारी करके व्यवस्था की है 50-50 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने के लिए। विधायक चाहे तो जिलों पर स्थल चयन की सूचना दे दें। या यहां पर मुझे दे दें। 25 करोड़ रुपया दो दिन पहले दिया है।

आपके माध्यम से मुझे दे देंगे मैं आपको भेज दूंगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यह हैण्डपम्प सभी विधायकों को उपलब्ध होंगे या नगर या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भेद है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, सरकार विधायकों में कोई अन्तर नहीं करती है । सरकार सभी विधायकों को हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की बात करती है । मैं ग्राम्य विकास मंत्रालय की ओर से उत्तर दे रहा हूं तो बता रहा हूं कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों के लिए 50-50 हैण्डपम्प दिये जाने का शासनादेश किया है। शेष के संबंध में शासन विचार करेगा वे भी कर लेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पानी के उपभोग का क्या मानक है । ढाई सौ की आबादी पर एक हैण्ड पम्प आप देते हैं उस पर कितना पानी चौबीस घंटे में प्राप्त करते हैं ?

श्री शिव प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का क्या मानक है । यानी एक व्यक्ति कितना पानी पूरे दिन में इस्तेमाल करता है । शहरी क्षेत्र में तो डेढ़ सौ पीने दो सौ लीटर है तो क्या उस मानक के हिसाब से हैण्ड पम्प लगाकर पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता एक व्यक्ति को नहीं पड़ती है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सभी ग्रामीण बस्तियों को संतृप्त करने की व्यवस्था बनाई गई थी जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस मानक अनुसार सभी ग्रामीण बस्तियां संतृप्त की जानी हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय यह स्कीम बनाई गई थी उस समय कौन सा वर्ष निर्धारित किया गया था कि इस वर्ष तक सभी ढाई सौ की आबादी पर हैण्ड पम्प लगाकर संतृप्त कर देंगे और इस समय किस वर्ष तक ढाई सौ के मानक के अनुरूप संतृप्त कर लेंगे ताकि आने वाले दिन में उसमें कुछ कमी कर सकें ।

(इस समय 11 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी तक स्थिति यह है कि केवल 374 बस्तियां ऐसी हैं जो संतृप्त की जानी है ऐसी स्थिति में 2002 तक के लिए यह कहा गया था कि 2002 तक–पूरी बस्तियों को संतृप्त कर लेंगे । हम तो इसके पहले ही संतृप्त करके दे रहे हैं उसके जो मानक तय करना होगा, कर लेंगे ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे यहां बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत बड़े-बड़े गांव हैं और ढाई सौ की आबादी के हिसाब से वह सारे हैण्ड पम्प एक ही मोहल्ले में लगें और बाकी जगह नहीं लगाये तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मामलों में अतिरिक्त हैण्ड पम्प लगवाने की कृपा करेंगे ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मानक के अनुसार अगर गांव को संतृप्त मान लिया गया है तो जब तक उसकी वैल्यू कम नहीं करेंगे तब तक वह सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में आरा मशीनों के संचालन हेतु नये लाइसेंस जारी करने की मांग

**2–श्री राजेन्द्र यादव (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष 1999 से प्रदेश में अधिकांश आरा मशीनों को बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इनके बन्द हो जाने से लकड़ी से बनाये जाने वाले सामानों में लगे कारीगर तथा श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आरा मशीनों को संचालित कराने हेतु नियमों को शिथिल करके लाइसेन्स जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

जनहित याचिका संख्या : 202/95 टी०एन० मोडावर्मन थिरुमल्कापाद बनाम भारत सरकार व अन्य में मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-3-1997 के अनुपालन में प्रदेश की गैर लाइसेन्सशुदा आरा मशीनों को बन्द कराया गया है ।

मा० उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4-3-97 के आदेशों के अनुपालन में ही गैर लाइसेन्सशुदा आरा मशीनों को बन्द कराने की कार्यवाही की गयी है । लाइसेन्सशुदा आरा मशीनें चल रही हैं ।

मा० उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिये हैं कि आरा मशीनों के प्रकरण में उनके द्वारा पारित आदेशों का किसी भी प्रकार शिथिलीकरण न किया जाये । ऐसी दशा में गैर लाइसेंसशुदा आरामशीनों को नया लाइसेंस दिया जाना मा०उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में शिक्षित बेराजगारों को बेराजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*1–श्री जगदम्बिका पाल (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार न मिलने की दशा में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम्य विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

रबी की फसल की बुवाई के समय ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी की फसल की बुवाई के समय ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली दिये जाने के बारे में सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 10 घन्टे से अधिक आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश है । अगर विद्युत उपलब्ध नहीं होगी तो न नहरे चलेंगी, न ट्यूबवेल चलेंगे और न किसान सिंचाई कर पायेंगे और न खेती कर पायेंगे ऐसी स्थिति में किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जायेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो रही है, इस बात को बताने की कृपा करें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, विद्युत की उपलब्धता और मांग के अनुरूप हम विद्युत सप्लाई करते हैं फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए यह बात सुनिश्चित की जाती है कि वहां पर 10 घंटे विद्युत पहुंचे हो सकता है कि कोई वजह से न पहुंच पाई हो लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि 10 घंटे विद्युत जरूर पहुंचे ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों इसी हाउस में माननीय मंत्री जी ने बहुत घोषणाएं की कि जितने कटिया लगे गांव में विद्युत व्यवस्था थी उसको रेगुलर कर देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में रेगुलर करने की संख्या कितनी बनी और कितने ऐसे मामले है जो रेगुलर नहीं हो पाये हैं क्या उनको रेगुलर करने की कोई योजना है ?

श्री नरेश चन्द्र अगवाल–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन कटिया कनेक्शन को जो रेगुलराइज किया है उससे कितने विद्युत की बचत की है, यह प्रश्न है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, कटिया कनेक्शन के करीब 12 लाख कनेक्शन एक वर्ष में बढ़े थे उनको रेगुलराइज किया है और इसको और बढ़ा रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़े ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि वह 10 घन्टे बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां इनके विभाग ने भी लिखकर भेजा है कि इनके सबस्टेशन ओवरलोडेड हैं, जहां यह 3-4 घन्टे से अधिक बिजली नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी जगहों पर डबल सप्लाई देने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पिछले वर्ष करीब 70, 33 के०वी० सब स्टेशन बनवाये गये, इसीलिये बनवाये गये कि जहां भार अधिक है, वहां भार कम किया जा सके, अब हम 10 घन्टे बराबर व्यवस्था कर ही रहे हैं ।

श्री कौकब हमीद–

जहां नहीं दे पा रहे हैं, वहां के लिये पूछ रहा हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, 10 घन्टे तो हम दे ही रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जहां सब स्टेशन ओवरलोड हैं, जहां निश्चित नीति के अनुसार नहीं दे पा रहे हैं, वहां के लिये क्या इन्तजाम करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम निश्चित व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और 70 फीसदी जनता गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है, इसलिये सिंचाई के समय पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए । क्या माननीय मंत्री जी रबी की फसल बुवाई के समय तथा मड़ाई के समय जैसे विशेष अवसरों पर बिजली की निरन्तर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे खेत में सही बिजली मिले और सिंचाई हो सके, क्या बिजली की 10 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् का पुनर्गठन इसीलिये किया गया ताकि विद्युत की अच्छी आपूर्ति होती रहे । जहां तक हमारे माननीय वर्मा जी रबी की बुवाई-मड़ाई की बात कह रहे हैं, इसके लिये व्यवस्था करेंगे कि गांव में निरन्तर बिजली मिलती रहे ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, रबी की कटाई-मड़ाई का समय है, इसको दृष्टिगत रखते हुये अप्रैल, मई, जून के महीनों में हरदोई जनपद में बिजली की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने का सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे ? मेरा प्रश्न था कि क्या अप्रैल, मई में बिजली देने की कृपा करेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं निश्चित करता हूं, अशोक बाजपेयी जी आपके क्षेत्र में 10 घन्टे बिजली जरूर जायेगी ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि रबी की कटाई का काम चूंकि 24 घण्टे होता है, हरदोई जनपद में विद्युत की आपूर्ति अबाध रूप से करने की व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने आपका नाम ले लिया है । आप बैठें ।

डा०सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हरदोई जनपद में 10 घन्टे बिजली आपूर्ति करायी जाये, मैं जानना चाहता हूं कि यह केवल हरदोई के लिए ही मंत्री बने हैं, या पूरे प्रदेश के लिए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है । इसकी अनुमति नहीं है । अन्तिम प्रश्न डा० डंग ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किसानों से जुड़ी हुई समस्या है । मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, बुवाई के मौसम में, यह सीधे-सीधे किसानों से जुड़ा हुआ मामला है । हम एनटीपीसी से बिजली लेते हैं, अगर एनटीपीसी से बिजली उधार लेकर या खरीद करके कुछ घंटे की आपूर्ति बढ़ा दी जाये तो इसका सीधा-सीधा असर कृषि के उत्पादन पर पड़ेगा । क्या एनटीपीसी से इन दो महीनों में बिजली अधिक लेकर किसानों के इस कष्ट को दूर किया जायेगा ? जिससे 15 घण्टे तक बिजली मिलती रहे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, अभी मंत्री जी ने कहा है कि कुछ अंचलों मे विद्युत की सप्लाई नियमित रूप से 10 घन्टे नहीं हो पा रही है तो ऐसे स्थलों के लिए अपने स्तर से जानकारी हासिल करके आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, अगर बिजली की सप्लाई सही नहीं होगी तो सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी । क्या ऐसे ग्रामीण अंचलों में जहां 10 घन्टे लगातार सप्लाई नहीं हो पा रही है उनकी जानकारी करके उन्हें 10 घन्टे बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, बराबर जानकारी लेते रहते हैं और जहां से शिकायत आती है उसे दूर करते हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल साहब कृपया स्थान ग्रहण करें । क्या आप अपने प्रश्न के बारे में पूछना चाहते हैं जो पहले लगा था । आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–39 को देखें, जब सभी तारांकित प्रश्नों पर उत्तर आ जायेगा और समय बचेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको समय दूंगा लेकिन बीच में समय नहीं दिया जा सकता ।

प्रदेश में विद्युत चोरी पर नियंत्रण हेतु सरकार की योजना की जानकारी

*3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही भारी विद्युत चोरी की रोकथाम के लिये सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

(1) उत्पादन एवं आवास बिन्दुओं पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके ऊर्जा मापन सही किया जाना ।

(2) पारेषण उपकेन्द्रों (132 के०वी० एवं उच्च विभव) पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके उत्पादन गृहों/आयात से पारेषण स्कन्ध को तथा पारेषण स्कन्ध से वितरण स्कन्ध को आपूर्तित ऊर्जा का मापन सही किया जाना ।

(3) 33 के०वी० उपकेन्द्रों पर "इनकमिंग एवं आऊटगोइंग" फीडरों पर मीटरिंग प्रणाली सही करते हुए "इनर्जी बैलैंसिंग" किया जाना ।

(4) 100 हार्सपावर से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना ।

(5) 11 के०वी० फीडरों की "इनर्जी आडिट" का कार्य पूरा कराने की दिशा में उपभोक्ताओं का फीडरवार लेजराइजेशन कराया जाना ।

(6) कटिया कनेक्शनों का नियमितीकरण किया जाना ।

(7) बत्ती/पंखा के अनियमित संयोजनों को अधिक से अधिक संख्या में नियमित कराने के अभिप्राय से दिनांक 20-10-99 से 31-12-99 तक "स्वैच्छिक घोषित योजना" लागू किया जाना ।

(8) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की आकस्मिक चेकिंग निरन्तरता के आधार पर एवं समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कराया जाना ।

(9) विद्युत चोरी तथा गैरकानूनी विद्युत कनेक्शन समाप्त करने हेतु जिला समितियों का गठन किया जाना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में यह जो कारण बताये हैं, यह तो स्वीकार्य है कि प्रदेश में विद्युत की चोरी होती है और यह जो आधार बताये हैं कि इनके आधार पर विद्युत की चोरी को रोकने का काम करेंगे । मान्यवर,मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री ने ये जो उपचार बताये हैं, ये उपचार क्या क्रियान्वित कर दिए गये हैं तो कितने प्रतिशत विद्युत चोरी में कमी आयी है, एक सवाल यह है । दूसरा सवाल यह है कि वर्ष 99-2000 में कोई बड़े कारखानेदार पकड़े गये, यदि पकड़े गये तो वे कौन-कौन से हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, उपाय निरन्तर जारी है और यह एक प्रक्रिया है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 97-98 के मुकाबले आय में बढ़ोत्तरी हुई है और इसका कारण एक ही है कि कहीं न कहीं से विद्युत चोरी रुकी है । जहां तक आपने कहा है कि बड़े कारखानेदारों के बारे में, 35,460 रेड डाली गयीं जिनमें 2,454 मामले पकड़े गये जिनमें से कुछ पर जुर्माना लगाया गया और कुछ को जेल भेजने की कार्यवाही हुई ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि मंत्री जी के सघन छापों के दौरान एक मंत्री जी के आवास पर विद्युत चोरी गोमती नगर में पकड़ी गयी, क्या यह सत्य है । यह किसका मकान है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जांच के दौरान इसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी इसलिये कार्यवाही नहीं की गयी है । किसी सी०पी० चन्द के नाम यह मकान था । किसी मंत्री का नाम तो सी०पी० चन्द है नहीं मंत्री जी के पुत्र-पुत्रियों के नाम मैं याद नहीं रखता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री के पास विजीलेंस है, अलग से जांच करने के लिये पुलिस है । क्या मंत्री जी पता लगाने की कृपा करेंगे कि सी०पी० चन्द, मारकण्डेय चन्द के पुत्र हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह कार्य हमारे कारपोरेशन का नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने विद्युत चोरी को रोकने के लिये कुछ कदम उठाये हैं कुछ कार्य योजनायें सदन के पटल पर रखी हैं । मंत्री जी ने बताया कि विद्युत उत्पादन तथा वितरण के लिये अलग-अलग निगमों की स्थापना की गयी है । पहले जो लाइन लासेज के नाम पर बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर होती थी उत्पादन और वितरण को अलग करने के बाद विद्युत वितरण निगम पर इस तरह की कोई एकाउन्टेबिल्टी डाली गयी है कि बिजली की चोरी न हो ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अभी मात्र दो-ढ़ाई महीने हुये हैं, कार्यवाही चल रही है। 3 महीने बाद आकलन करके बतायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ढ़ाई महीने हुये हैं यह प्रक्रिया लागू हुए। इन निगमों की स्थापना का उद्देश्य यह था कि विद्युत उत्पादन निगम कितनी बिजली उत्पादित करेगा विद्युत वितरण निगम उसके वितरण के संबंध मे जवाबदेह होगा और उस पर एकाउण्टेबिलिटी होगी, वह जिम्मेदार होगा कि कितनी बिजली का वितरण किया गया है। इन ढ़ाई महीनों में वितरण निगम की एकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, चूंकि हड़ताल रही, हड़ताल के बाद व्यवस्था ठीक करने में समय लगेगा। माननीय पाल जी, विद्वान साथी हैं। निगमों के नियम भी बन रहे हैं, नियमावली अभी बन पायी है। हमने कहा है कि कम से कम 3 महीने का समय नई व्यवस्था को लागू करने में लगेगा।

श्री फरीद महफूज किदवई–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने पहले जो स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने बटलर पैलेस में कुछ आई०ए०एस० अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा था जो कटिया लगाकर कनेक्शन लिये हुये थे। उनके खिलाफ आज की तारीख में क्या कार्यवाही सुनिश्चित हुई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, एक तरफ तो छोटे लोग है, गरीब हैं, कटिया लगाये हुये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। दूसरी तरफ आई०ए०एस० अधिकारी आपके स्टेट मिनिस्टर द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और इस बारे में माननीय मंत्री जी को भी मालूम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, यह गम्भीर प्रश्न है कि उच्चस्तरीय अधिकारी बिजली चोरी में पकड़ा गया ; उसे सामान्य श्रेणी में रखकर आप यह नहीं कह सकते कि उपभोक्ता का अता-पता नहीं है। अगर सूचना हो तो दे सकते हैं। अगर नहीं है तो निश्चित रूप से अपेक्षा करूंगा कि ऐसे गम्भीर प्रकरणों को व्यक्तिगत रूप से देखें। मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्मिक विभाग को कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पीठ का आदेश स्वीकार है। मान्यवर, कोई भी रेड होगी उसके जो नियम होंगे उसके अनुरूप कार्यवाही होगी, किसी को बचाया नहीं जायेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 का आकलन बताया कि हमारा राजस्व अपेक्षाकृत बढ़ा है। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में कितना जनरेशन हुआ और उस जनरेशन के अगेन्स्ट कितना राजस्व प्राप्त हुआ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इस समय आज की डेट का जो जनरेशन है उसे बताया जा सकता है । तीनों वर्ष के जनरेशन एक समान नहीं रहे हैं, मशीनों की उपलब्धता के आधार पर रहता है । इस समय हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से ज्यादा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सोनभद्र में विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*1.–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए नागरिकों के पुनर्वास के लिये अब तक क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या ऐसे सभी विस्थापितों का पुनर्वास हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

आनपरा तापीय परियोजना के प्रत्येक विस्थापित परिवार को 60'×40' का विकसित प्लाट आवंटित कर पुनर्वास करने का प्राविधान किया गया है ।

जी नहीं ।

आनपारा तापीय परियोजना के कुल 1307 विस्थापितों में से 907 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा 250 परिवारों को पुनर्वास हेतु विकसित प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं । शेष 150 परिवारों को अभी विस्थापित नहीं किया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है, मैं आशा कर रहा था कि प्रश्न का उत्तर पढ़ते समय माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर जायेगा कि आनपरा तापीय परियोजना के कुल 1307 विस्थापितों मे से 907 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा 250 परिवारों को पुनर्वास हेतु विकसित प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं और अन्त में कहा है कि शेष 150 परिवारों को अभी विस्थापित नहीं किया गया है ।

मान्यवर, उत्तर आप देख लें मेरे ख्याल से 1307 विस्थापितों की जगह 'पुनर्वासितों' शब्द होना चाहिए था । इस विसंगति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि यह परिवार कब विस्थापित किए गए और इनके पुनर्वास की योजना कब से लागू हुई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आनपारा बी० जब बनना शुरू हुआ उस टाइम जो भी एरिया लिया गया उसके हिसाब से जो परिवार विस्थापित होते गए उनको पुनर्वासित करते रहने का काम किया गया ।

डा०सरजीत सिंह डंग–

यह कब विस्थापित किए गए और पुनर्वास की योजना कब से चल रही है । उत्तर में है कि अभी भी 150 परिवारों को पुनर्वासित नहीं किया गया है । यह योजना कब से प्रारम्भ की गई आज भी 150 परिवार क्यों विस्थापित के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जबकि बीसों वर्ष बीत गए ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सदस्य जी वहां के रहने वाले हैं उनको मालूम होगा कि जैसे-जैसे ऐश बांध ऊंचा होता जाता है उस हिसाब से विस्थापित लोग पुनर्वासित होते जाते हैं । 150 परिवार क्योंकि अभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं । इसीलिए उनको पुनर्वासित नहीं किया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अभी उत्तर दिया गया कि 1307 विस्थापितों में से 907 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा 250 परिवारों को पुनर्वास हेतु विकसित प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं शेष 150 परिवारों को अभी विस्थापित नही किया गया । मंत्री जी बता रहे हैं कि जैसे ऐश बांध ऊंचा होता जाएगा त्यों त्यों विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करते जायेंगे तो यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ? सच्चाई यह है कि यह परिवार बीसों वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे के सारे परिवारों को कब तक पुनर्वासित कर दिया जाएगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वैसे तो समय 11.35 है । माननीय सदस्य का ज्ञान भी काफी है। वहां मानक है कि जिन लोगों की कम से कम आधी जमीन गई हो और एक एकड़ तक जमीन गई हो उनको पुनर्वासित करने का काम किया है । जो लोग अभी वहां से नहीं हटाए गए हैं वह पुनर्वासित नहीं किए गए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

सवाल यह है कि आप क्या शेष बचे परिवारों को उस श्रेणी में मानतें हैं और उनके पुनर्वास की आवश्यकता है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरी बात शायद मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं । यह जो लिखा है कि 150 परिवारों को अभी विस्थापित नहीं किया गया है यह उत्तर ही गलत है वहां यह 150 परिवार मारे-मारे घूम रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि उनको कब तक पुनर्वासित कर दिया जाएगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

डंग साहब अगर आप की बात सही है तो आपसे बैठ कर बात कर लूंगा और जो विस्थापित होंगे सबको पुनर्वासित करने का काम किया जाएगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

बीसों वर्ष से वह परिवार मारे मारे घूम रहे हैं । मैं सोच रहा था एक मंत्री जी संवेदनशीलता से उत्तर देंगे । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक समय सीमा तय कर दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं डंग साहब को आश्वासन देता हूं कि वह हमसे मिल लें और जैसा कि कह रहे हैं कि उन्हें कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो मान्यवर, वे मुझसे आकर मिले मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगा ।

जनपद हाथरस, सिकन्दराराऊ में पशुवधशाला हेतु जारी लाइसेंस एवं अवैध तरीके से पशुवध पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*2–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ जनपद, हाथरस में पशु वधशाला के कितने लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं ? क्या सरकार जनपद हाथरस में अवैध तरीके से किये जा रहे पशुवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में पशुवधशाला हेतु कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है बल्कि वर्ष 1994-95, 1995-96 व 1996-97 में ठेके पर उठाये गये । वर्ष 1997-98, 1998-99 1999-2000 में यह ठेका नहीं उठाया गया ।

जनपद हाथरस में अवैध तरीके से पशुवध नहीं हो रहा है । अतः प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद में अवैध तरीके से पशु का वध नहीं हो रहा है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पशुबध नहीं हो रहा है । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आठ दिसम्बर, 99 को मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी ए०डी०एम० और डी० एम० सिकन्दराराऊ पशुवधशाला मौके पर गये जहां 300 जानवर जिनमें गाय, बछड़े और भैंसे कटे पड़े थे । वहां पर अपराधियो को पकड़ा भी गया । मेरे पास एक फोटो भी है और अवैध पशुवध के प्रमाण भी मौजूद हैं ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जैसा विधायक जी कह रहे है, इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है । यदि इस प्रकार की कोई भी जानकारी मेरे पास आती है तो मैं उस पर कार्यवाही करुंगा ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सिकन्दराराऊ की पशु वधशालाओं को प्रदेश में और प्रदेश के बाहर मांस भेजने का लाइसेंस दे दिया है ? जब विधायक जी मौके पर गये तो अपराधियों को पकड़ा गया परन्तु प्रशासन ने उन अपराधियों को बाद में छोड़ दिया । मेरे पास इस प्रकरण का पक्का प्रमाण है, एक फोटो भी है । प्रशासन साम्प्रदायिक दंगा कराना चाहता है । यह पूरे प्रदेश की समस्या है ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० पोइया जी कृपया बैठ जायें, आपका प्रश्न आ गया । प्रश्न यहां यह है कि जब लाइसेस है नहीं, तो पशुवधशालायें कैसे चल रहीं है और जब अपराधी पकड़े गये, तो शासन ने इन्हें कयों छोड़ दिया या क्या कार्यवाही की ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर नगरपालिकायें चल रहीं हैं और स्थानीय निकाय के नियमों के अन्तर्गत उनकी देखरेख मे वहां की पशुवधशालायें चल रही हैं । किसी प्राइवेट संस्था द्वारा पशुवधशालायें नहीं चलाई जा रही हैं ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरे पास फोटो की प्रति है जिससे अपराध सिद्ध होता है । मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जिन्होंने अपराधियों को छोड़ दिया ?

श्री अजय कुमार पोइया–

कार्यवाही होगी भी या नहीं ? या तस्करी होती रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० पोइया जी, मंत्री जी का उत्तर आ जाये, फिर आप बोलियेगा ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यहां पर जो सूचना दी गई वह गम्भीर है । मुझे इसकी अलग से सूचना दे दें । मैं इस पर कार्यवाही अवश्य करूंगा ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय मंत्री ने अभी बताया कि ठेके पर नहीं दिया गया है बल्कि नगरपालिका या टाउन एरिया के अधिकारियों को मिली भगत से यह कार्य किया गया होगा । तो ऐसे लोग अवैध कार्य में लिप्त हैं उनके खिलाफ कब तक और क्या कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर,मैंने यह नहीं कहा कि वहां अवैध कार्य हो रहा है । वहां पर जो पशुवधशाला चलायी जा रही है वह नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी की देख-रेख में चलाई जा रही है । इस प्रकार चलाया जाना कोई अवैध नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मूल प्रश्न यह है कि कोई अवैध पशुवधशाला वहां पर नहीं चल रही है बल्कि नगरपालिका द्वारा चलायी जा रही है । आखिर जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा तो उस पर आपने जनपद से सूचना एकत्र की होगी, यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण वहां पर आपके सामने आया है, तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की और यदि,कोई ऐसी घटना नहीं हुई तो आपका उत्तर होगा "नहीं" ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, वहां पर जो पशुवधशाला चलाई जा रही है वह नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी की देख-रेख में चलायी जा रही है एक बात और बता दूं **इसे ठेके और** लाइसेन्स पर भी चलाया जाता है परन्तु वहां पर ठेका और लाइसेन्स नहीं दिया गया है । **माननीय सदस्य** जो जानकारी दे रहे हैं यदि यह जानकारी स्पेसिफिकली प्रश्न में इंगित की गयी होती तो उसकी जानकारी कर ली जाती फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो वह जानकारी दे रहे हैं अगर वहां पर मानकों के आधार से अधिक पशु वध किये जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजधारी–

(मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।)

प्रदेश की नगर पंचायतों को आई०डी०एम० एम०टी० योजना में सम्मिलित करने की नीति एवं प्रतापगढ़ नगर पंचायत पट्टी को उक्त योजना में सम्मिलित किये जाने संबंधी जानकारी

*2–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगर पंचायतों को आई०डी०एम०एम०टी० (इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ स्माल मार्जिनल टाउन) योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु शासन ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी को भी उक्त योजना में शामिल किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत विकास हेतु भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रदेश में चलाई जा रही है । भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में जारी संशोधित दिशा-निर्देश के अनुसार 1991 की जनगणनानुसार 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को योजना का लाभ दिया जा सकता है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत नगर चयन हेतु आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं की संरचना हेतु नगर पंचायत के स्वामित्व में विवाद रहित उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो ।

नगर पंचायत पट्टी द्वारा अभी तक उनके स्वामित्व में विवादरहित उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध न करा पाने के कारण योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भी नहीं प्रस्तुत हो सका है। इसलिये विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*3–श्री जटा शंकर सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद संत रविदास नगर गोपीगंज नगर पालिका परिषद् को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का विवरण एवं कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि की मांग

*4–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर में गोपीगंज नगर पालिका परिषद् की पानी निकासी सीवर नाली निर्माण हेतु वर्ष 1996–97 से अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? क्या उस कार्य को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

कोई धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के कारण प्रश्न में उल्लिखित मदों हेतु आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं किया जाता है। स्थानीय निकायों को इस प्रकार के व्यय अपने संसाधनों से वहन करना होता है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर गोपीगंज नगरपालिका परिषद् को 1996 से लेकर अब तक कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में दी गयी है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, गोपीगंज नगरपालिका परिषद् को 1996-97 में 52,00,736 लाख रुपये दिये गये और 1997-98 में 52,79,895 लाख रुपये दिये गये, 1998-99 में 61,56,290 लाख रुपये दिये गये। यह टोटल है। जहां तक दशम वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रश्न है अलग-अलग मद से अलग-अलग पैसे दिये गये हैं। राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 1996-97 मे 31,02,000 लाख रुपये, 1997-98 में 3904,000 लाख रुपये तथा 1998-99 में 44,50,856 लाख रुपये दिये गये हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो यह राज्य वित्त आयोग लागू हुआ है उसमें स्पैसिफिकली अलग-अलग मदों के लिये पैसा देने का प्राविजन नहीं है। यह लागू हुआ है स्थानीय निकायों की स्थिति सुधारने के लिये यह उनके एरिया और वहां की पापुलेशन के हिसाब से पैसा दिया जाता है। अलग से पैसा देने का कोई प्राविजन नहीं है।

डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000 में राज्य वित्त आयोग और दशम् वेतन आयोग के माध्यम से इतनी इतनी धनराशि दी गई। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग के माध्यम से संबंधित नगर पालिका परिषद् को जो धनराशि भेजी गई उसमें से वेतन की मद में खर्च करने के लिये कितना और विकास मद में खर्च करने के लिये कितना पैसा दिया गया ?

श्री सतीश महाना–

इस प्रकार से कोई डिफरेंसिएशन नहीं हुआ है । विकास कार्य के लिये और वेतन के लिये कितना खर्च करेंगे । इसके लिये अलग से सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मा०बाजपेयी जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी स्वयं उत्तर में स्वीकार किया है कि जो स्टेट फाइनेन्स कमीशन का पैसा देते हैं उसमें प्रदेश की समस्त नगर पालिका या पंचायत के लिये वेतन और विकास, जलकर और अन्य चीजों के लिये, सफाई के लिये कोई बंटवारा नहीं करते हैं । आज प्रदेश में राज्य वित्त आयोग से पैसा दिया जा रहा है । आज प्रदेश में स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश सरकार ने चुंगी समाप्त कर दी है आज चुंगी ले नहीं रहे हैं । राज्य वित्त आयोग से पैसा दिया जा रहा है । नगर पालिका अपने यहां वेतन देने की स्थिति में नहीं है जो जन मानस के विकास की आकांक्षाएं हैं उन पर, उन कार्यों को पूरा करने के लिये सरकार राज्य वित्त आयोग के माध्यम से अतिरिक्त किश्त देने पर विचार करेगी ?

श्री सतीश महाना–

जब से यह राज्य वित्त आयोग लागू किया गया है उससे पहले चुंगी समाप्त कर दी गई थी । पिछले वर्ष इस आयोग के लागू होने से पूर्व वर्ष में लोकल बाडीज को पहले से अधिक पैसा दिया गया है । सारी मदों के खर्च को मिलाकर उससे अधिक पैसा दिया जा रहा है । 74 वें संशोधन के अनुसार अधिक स्वायत्ता देने की बात थी । यह निर्णय लिया गया कि पैसा दिया जाय और बाकी कार्य वह अपने स्रोतों से भी करवायेंगे । दो वर्ष से हम देख रहे हैं कितना विकास और कितना वेतन मद में खर्च हुआ है । पहले इतना पैसा नहीं दिया जाता था । अब पैसा भी उनको दे रहे हैं और विकास कार्य भी हो रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य वित्त आयोग जब से लागू किया है वह उससे पूर्व की चुंगी या और आमदनी के जो सोर्सेज थे उसके आधार पर आयोग द्वारा पैसा दिया जा रहा है । आज जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ गई है । न्यूनतम आवश्यकताएं बढ़ गई हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शहरी नगर पालिकाओं के लिए, जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप विकास के कार्य कोई नये नहीं कर पा रहे हैं । इसके लिये क्या सरकार कोई अतिरिक्त किश्त देगी ?

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मंत्री जी आप कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री सतीश महाना–

हम लोकल बाडीवाइज समीक्षा कर रहे हैं अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो उस पर विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है मैं नियम 49 में चर्चा का निवेदन कर रहा हूं और इसकी सूचना दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दे दें । इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्रम विभाग में औषधि की मद में विगत वित्तीय वर्षों में प्राविधानित धनराशि का विवरण

*5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि गत वित्तीय वर्ष 1998–99 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रम विभाग में औषधि मद में कम धनराशि का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट प्राविधान कम किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उसे गत वर्षों की धनराशि के बराबर करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्म पाल सिंह)–

जी नहीं ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम) चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत औषधि मद में वर्ष 1998-99 में रु० 5,71,95,000/- (रुपये पांच करोड़ इकहत्तर लाख पंचानबे हजार) का प्राविधान हुआ था और पुनर्विनियोग से रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख मात्र) का अतिरिक्त प्राविधान किया गया । इस प्रकार वर्ष 1998-99 में औषधि मद में कुल प्राविधानित धनराशि रु० 5,81,95,000/- थी ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 में औषधि मद में मूल प्राविधान रु० 5,71,00,000/- (रुपये पांच करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) का है और इस मद में रु० 33.00 लाख का प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया गया है । उपरोक्तानुसार वर्ष 99-2000 में इस मद रु० 6,04,00,000/- (रु०छः करोड़ चार लाख मात्र) का प्राविधान किया गया है ।

श्रम हितकारी केन्द्रों एवं क्षय रोग चिकित्सालयों की औधषि मद में वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में क्रमशः रु० 1.00 लाख व रु० 1.50 लाख की धनराशि का प्राविधान हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रथम भाग में कहा है कि पुनर्विनियोग से रु०दस लाख का अतिरिक्त प्राविधान किया गया दूसरे भाग में इन्होंने कहा है कि रु० 33.00 लाख का प्राविधान पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि केवल परिव्यय प्राप्त किया गया या अतिरिक्त परिव्यय के आधार पर बजट भी प्राप्त हुआ ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, पुनर्विनियोग में 33 लाख का प्राबिधान परिव्यय के आधार पर किया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

परिव्यय प्राप्त करके बजट प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्री धर्मपाल सिंह–

बजट प्राप्त हो गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इन्होंने उत्तर में कहा है कि "श्रम हितकारी केन्द्रों एवं क्षय रोग चिकित्सालयों की औषधि मद में वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में क्रमशः रु०एक लाख व डेढ़ लाख की धनराशि का

प्राविधान हुआ है।'' इसमें जो एक लाख और डेढ़ लाख की धनराशि है यह पूरे प्रदेश के श्रम हितकारी केन्द्र के लिए एवं क्षय रोग चिकित्सालयों के लिए है या सिर्फ श्रम हितकारी केन्द्रों के लिए है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, 75 श्रम हितकारी केन्द्र हैं इसको डाइंग कैडर घोषित किया जा चुका है। दो केन्द्र क्षय रोग चिकित्सालय के हैं यह कानपुर में बाबूपुरवा और रायपुरवा में हैं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

एक लाख और डेढ़ लाख जो है इसमें श्रम हितकारी केन्द्र के लिए कितना है और क्षय रोग केन्द्र के लिए कितना है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

यह पूरे प्रदेश के लिए है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

इसमें से कितना क्षय रोग केन्द्र के लिए है कितना श्रम हितकारी केन्द्र के लिए है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

दो क्षय रोग केन्द्र हैं इसके लिए अलग से नहीं है। इसकी जानकारी अलग से बाजपेयी जी को दे देंगे।

यू०पी० एस्बेस्टास सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी

*6–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवें शुक्रवार के अता०प्र०सं० 57 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री में कार्यरत नियमित कर्मचारी (मुख्य प्लान्ट में कार्यरत लेबर, हेल्पर, पलपल ड्राइवर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों) का वेतनमान क्या है और उन्हें फैक्ट्री द्वारा कितना भुगतान किया जा रहा है ? क्या माह जुलाई, 1998 में उन्हें डी०ए०, एच०आर०ए० आदि सम्पूर्ण भुगतान नियमानुसार किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

मुख्य प्लान्ट में कार्यरत लेबर, हेल्पर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन रु० 1840.78 मात्र तथा पलपल ड्राइवर का वेतन रुपये 2160.62 मात्र प्रतिमाह निर्धारित है उक्त के आधार पर फैक्ट्री द्वारा लेबर, हेल्पर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रुपये 2000.00 प्रतिमाह तथा पलपल ड्राइवरों को रुपये 3514.00 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मुख्य प्लान्ट में कार्यरत लेबर हेल्पर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन रुपये 1840.78 तथा पलपल ड्राइवर का वेतन 2160.62 निर्धारित किया है तो क्या उक्त कर्मचारियों की बेसिक पे निर्धारित की गई है यदि निर्धारित की गई है तो कितनी की गई है एच० आर० ए० मिलाकर उनका वेतन कितना होना चाहिये ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, 1920 रुपये अकुशल का प्रतिमाह है और 2220 रुपये प्रतिमाह अर्धकुशल का है और 2660 रुपये प्रतिमाह पूर्ण कुशल का है ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि संबंधित फैक्ट्री में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें क्या 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जबकि सरकारी नियमों के अनुसार 62 रुपये प्रतिदिन भुगतान होना चाहिये ? इसलिये क्या मंत्री जी उक्त मामले में जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, इस प्रकरण में दो बार जांच की जा चुकी है और वहां पाया गया है कि नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी है और उन्हें कठिनाई महसूश हो रही है तो वह लिखकर दे दें तो हम पुनः जांच करवा लेंगे ।

प्रदेश में बेरोजगारी पर रोक लगाने हेतु शासन द्वारा किये गये उपाय की जानकारी

*7–श्री संजय गर्ग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिये क्या कोई उपाय किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन,मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश में निरन्तर बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । इसके लिये प्रदेश शासन द्वारा "रोजगार संकल्प" की रूपरेखा भी तैयार की गयी है तथा अक्टूबर 1998 से यह योजना लागू है । इसके अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 5.38 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दुग्ध विकास, विकलांग कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सजंय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें रोजगार संकल्प योजना वर्ष 1998 से चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में इस योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य था और उसमें कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ? इसी तरह वर्ष 1999-2000 में जो लक्ष्य था उसे क्या प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वर्ष 1998-99 में 10 लाख का लक्ष्य था जिसमें 9.309 लाख या जिसके विरुद्ध 93.09 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया । वर्ष 1999-2000 में जो लक्ष्य 5.3827 लाख लोगों को स्वतः रोजगार देने का था उसके विरुद्ध अभी 3.53,604 अर्थात 65.61 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अभी तक बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? दूसरा प्रश्न यह है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या का प्रश्न है तो जो बेरोजगार शिक्षित रूप में हाईस्कूल, इण्टरमीडियेट, स्नातक और स्नातकोत्तर जिनके नाम रोजगार में पंजीकृत हैं उनकी संख्या 19 लाख से ऊपर है । इसके अलावा अशिक्षित लोगों में जो रोजगार की मांग है जिसमें खेतिहर मजदूर और पार्ट टाइम रोजगार चाहते हैं उनकी संख्या अधिकृत रूप में मेरे पास नहीं है ।

तीसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि रोजगार संकल्प योजना के अन्तर्गत क्या लक्ष्य था और उसमें कितना लक्ष्य प्राप्त किया, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 में 10 लाख का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 9 लाख को रोजगार दिया है ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 98-99 में लक्ष्य रखा गया 10 लाख का, 1999-2000 के लिये लक्ष्य रखा 5 लाख का तो क्या जो पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 98-99 में थी उसमें क्या 99-2000 में कमी आयी । दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दोनों बातों में अन्तर है । जो संख्या रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत है वह तो उन लोगों की संख्या है तो वेतन के रूप में रोजगार चाहते हैं । जो हमारे यहां योजना है वह स्वतः रोजगार योजना है । जैसे समाज कल्याण, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से स्वतः रोजगार सृजित करके नौजवानों को रोजगार दिया जाता है । यह उससे संबंधित नहीं है । जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया कि 98-99 में 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 1999-2000 में 5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इससे क्या रोजगारों की संख्या में कमी आयी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कमी नहीं आयी है । यह स्वतः रोजगार के संसाधनों पर निर्भर करता है । जिस हिसाब से संसाधन होंगे उसी के अनुसार किया जायेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का निर्णय है कि अब किसी पद पर नियुक्ति नहीं की जायेगी । तीन पद खाली हो जायेंगे तो दो को समाप्त करके एक पद पर नियुक्ति की जायेगी, तो क्या इस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी । यह तो बिल्कुल विपरीत बयान दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रश्न का इससे सीधा संबंध नहीं है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, संबंध तो बनाने से बनता है । संबंध तो एक मिनट में स्थापित हो सकते हैं ।

*8–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[निदेश संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न संख्या–9 ले रहा हूं ।

पालीथीन कैरी बैग के प्रयोग से सीवर लाइनों एवं जल श्रोतों के बन्द होने की समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*9–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्लास्टिक के सामानों के बढ़ते प्रचलन से पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिये गम्भीर चुनौती बनती जा रही है और पालीथीन कैरीबैग्स व प्लास्टिक पैकिंग के प्रयोग से सीवर लाइनों के चोक हो जाने व जल श्रोतों के बन्द होने की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ? क्या उक्त समस्या के निराकरण की दिशा में सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

जी हां ।

प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न और कर लेने दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह तो बेबुनियाद प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सवाल तो बड़ा बुनियादी है लेकिन हुकम ऊदूली जरूर हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायें । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो समस्याएं गिनायी थीं उसको इन्होंने स्वीकार किया है । मान्यवर, इसके और भी कई कारण है जिससे यह समस्या बहुत गम्भीर हो रही है । यह कैरी बैग और प्लास्टिक आदि से बने सामान हैं उसके खाने से दुधारू पशु के मरने की खबर प्रकाश में आयी है, नदियों में भी प्रदूषण हो रहा है, सीवर लाइन चोक होने लगी हैं और जल श्रोत भी बन्द होने लगे हैं और यह समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है । आपने इस लोक महत्व के सवाल पर यह जो आपने स्वीकार किया है, शासन स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है तो यह जानना चाहता हूं कि यह कब से विचाराधीन है, इसका निस्तारण कब हो

जायेगा और यह जो विचारणीय है उसमें मुख्य बिन्दु क्या हैं और क्या इन सामानों के निर्माण के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री सतीश महाना–

उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, यह हमारे से सम्बन्धित नहीं है कि प्लास्टिक जैसी वस्तु पर किस तरह से प्रतिबन्ध लगाया जाये । जो सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कैरी बैग्स फेंक देने से दिक्कतें होती हैं इसमें समग्र रूप से सबको सोचना होगा, जनता के सहयोग का इसमें प्रश्न है स्थानीय निकायों का पूरा पार्टिसिपेशन कैसे हो किस प्रकार से कूड़ा उठाया जाये यह शासन स्तर पर विचाराधीन है । मंत्रि-परिषद् के समक्ष टिप्पणी यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे और निर्णय लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, विदेश के लोगों की हम लोग नकल करते हैं यह पालीथीन का प्रचलन वहां से चला लेकिन यूरोप के देशों ने इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया । आज केवल सीवर चेक की ही प्राबलम नहीं है पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है । आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, उस पर प्रतिबन्ध लगाना यह हमारे विभाग से सम्बन्धित मामला नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या इस सत्र में एक ऐसा विधेयक लायेंगे जिससे पालीथीन के उपयोग को पूरे प्रदेश में प्रतिबन्धित किया जा सके ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं पहले इसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब विश्व के समृद्ध देशों ने इसके प्रतिबन्ध का संकल्प ले लिया है । हमारे पड़ोसी राज्य हिमांचल प्रदेश में शिमला में पालीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा है । क्या सरकार चालू सत्र में कोई विधेयक लायेगी ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, जो प्रश्न था वह सार्वजनिक स्थानों पर पालीबैग जो फेंक दिये जाते हैं उनसे सम्बन्धित था । निश्चित रूप से यह प्रश्न गम्भीर है । आपके निर्देशों का सम्मान करते हुए, निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है ।

जनपद मिर्जापुर के टाण्डा जलाशय के बांध की मरम्मत किये जाने की मांग

*10–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर की पेयजल की आपूर्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है ? क्या नीदर लैण्ड सरकार द्वारा पोषित इण्डो-डच परियोजना आई०सी०डी०पी० द्वारा टाण्डा जलाशय पेयजल योजनान्तर्गत 40 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि में कटौती का कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि टाण्डा जलाशय का बांध जर्जर स्थिति

में है और इसमें कई स्थानों से सीपेज हो रहा है तथा बांध कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है ? क्या इस बांध की मरम्मत हेतु जलकल अभियन्ता, नगरपालिका, मिर्जापुर ने 54 लाख रूपये का प्राक्कलन शासन को भेजा है ? यदि हां, तो क्या मांगा गया उक्त धन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना–

मिर्जापुर नगर की पेयजल आपूर्ति का मुख्य साधन टाण्डा जलाशय है जिसे नगर क्षेत्र के 30 प्रतिशत भाग की जलापूर्ति की जाती है ।

वर्ष 1996 में ड्राफ्ट प्रपोजल में 40.00 लाख रुपये का प्राविधान आई०सी०डी०पी० द्वारा रखा गया था। भारत सरकार, नीदरलैण्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य वार्ता के अन्तिम समय के निर्णय में इसे सम्मिलित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रस्ताव निरस्त हो गया ।

जी हां । जलाशय का बांध जर्जर स्थिति में है और कई स्थानों से सीपेज हो रहा है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता भी और खेद भी है । प्रसन्नता यह है कि चौथे प्रस्तर में प्रशासन ने यह स्वीकार किया है कि टाण्डा जलाशय नगर की जलापूर्ति का सबसे बड़ा मुख्य साधन है और यह भी स्वीकार किया है कि यह जलाशय जर्जर स्थिति में है और कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है । इसके बावजूद भारत सरकार, नीदरलैण्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य वार्ता के अन्तिम समय के निर्णय में वार्ता न करने का क्या कारण है ? श्रीमन् इसके महत्व को देखते हुये कि इसके क्षतिग्रस्त होने से कई गांव डूब जायेंगे और नगर का काफी हिस्सा डूब जायेगा और यही जलापूर्ति का मुख्य साधन भी है । क्या सरकार धन उपलब्ध होते ही इसको प्राथमिकता के आधार पर करा देगी क्योंकि वांछित धनराशि केवल 45 लाख रुपये है और लगभग 20 लाख रुपये एक ट्यूबवेल लगाने पर लगता है जिसमें बहुमूल्य भूगर्भ जल का उपयोग हो जाता है तो इसलिये कब तक धन उपलब्ध करा देंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह बात स्वीकार की गई है कि वह जर्जर स्थिति में है । इस बजट के समाप्त होते ही इसकी व्यवस्था करा दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति की दरों की जानकारी

*11–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत की विद्युत दरें क्या हैं तथा उन्हें रियायती दरों पर विद्युत दिये जाने का आधार क्या है ? उक्त रियायती दरें देने से विद्युत परिषद् पर प्रतिवर्ष कितना व्ययभार पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त रियायती दरें समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पूर्ववर्ती उ०प्र० रा० वि० परिषद् सम्प्रति यू०पी० पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निम्न दरों के अनुसार (विद्युत कर के अतिरिक्त) विद्युत आपूर्ति की जा रही है :–

क्र०सं०	कर्मचारी/अधिकारी की श्रेणी	विद्युत देय
1	2	3
1	श्रेणी–IV एवं आपरेटिंग स्टाफ	70/– (दो माह)
2	श्रेणी III	103/–
3	अवर अभि० एवं समकक्ष	209/–
4	सहायक अभि० एवं समकक्ष	312/–
5	अधिशासी अभि० एवं समकक्ष	312/–
6	अधीक्षण अभि एवं समकक्ष	415/–
7	मुख्य अभि० I/II एवं समकक्ष तथा उच्चाधिकारी	518/–

इसके अतिरिक्त एयर कंडीशनर के लिये रु० 281/–प्रति एयर कंडीशनर प्रत्येक दो माह के लिये चार्ज किया जा रहा है ।

अन्य विभागों की भांति पूर्ववर्ती विद्युत परिषद् सम्प्रति यू०पी०पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी विभाग के मूल कार्य प्रणाली से संबंधित विषय में रियायत दी जा रही है ।

रियायती दरें देने से विद्युत परिषद् पर व्ययभार पड़ने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अन्य सुविधाओं के साथ-साथ रियायती दर पर ही विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

सेवाशर्तों को सुगम बनाने एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य के कारण यह सुविधा समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री भरत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो वेतन या सुविधा देय है वह किसी विभाग से कम नहीं है बल्कि स्थिति यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर राज्य विद्युत परिषद् की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । जन-सामान्य पर विद्युत दरों का भार बढ़ता जा रहा है किसानों को सही समय से विद्युत नहीं उपलब्ध हो पा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि जन सामान्य को जिस दर पर विद्युत देय है उसी दर पर क्या विद्युत विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन् विभिन्न कारपोरेशन्स हैं, वह अपने कर्मचारियों को अलग-अलग सुविधायें देते हैं । जैसे भारतीय रेल अलग सुविधा देती है, एयरलाइंस अलग सुविधा देती है और राज्य विद्युत परिषद् अलग सुविधा देती है । यह बात सही है कि विद्युत परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली बिजली की दर बहुत कम है, इसको 70 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सुविधायें अलग हैं. उनको दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

नोट :–नत्थी 'ब' के तारांकित प्रश्न संख्या–11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

सांसदों तथा विधायकों के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी विषयक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*12–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 22-4-99 जो कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सम्बोधित था तथा जो मा० सांसदों एवं विधायकों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने एवं परिणाम से अवगत कराने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उ०प्र० पावर कारपोरेशन के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) से कराई गई । जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों के प्रस्ताव पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच-पांच गांवों को विद्युतीकृत करने की नीति की जानकारी

*13–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सदस्य विधान सभा के प्रस्ताव पर क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच-पांच गांव विद्युतीकृत करने की नीति बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

शासन द्वारा मा० सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के प्रस्ताव पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1998–99 एवं 1999–2000 में कराये जाने का प्राविधान किया है ।

आगामी वित्तीय वर्षों में उपरोक्त योजना, शासन की नीति निर्धारण पर निर्भर होगी ।

*14–श्री दद्दू प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग/विद्युत उत्पादन की जानकारी

*15–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में औद्योगिक विद्युत एवं घरेलू विद्युत तथा कृषि विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता है और कितना उत्पादन है ? क्या आवश्यकता के अनुपात में उत्पादन कम है ? यदि हां, तो क्या विद्युत की इस कमी को सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्तमान में पीक आवर्स में ऊर्जा की कुल प्रतिबन्धित मांग लगभग 5500 से 5900 मेगावाट के बीच है जिसमें विद्युत उपभोग के आधार पर औद्योगिक विद्युत एवं घरेलू विद्युत तथा कृषि विद्युत की आवश्यकता क्रमशः लगभग 22, 26 तथा 35 प्रतिशत है । विद्युत का कुल उत्पादन लगभग 3200–3500 मे०वा० है तथा लगभग 1500–1700 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही है ।

जी नहीं ।

जी हां । प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिये राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में वृहद् परियोजनाओं को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद आजमगढ़ में विगत वित्तीय वर्षों में पूर्वांचल विकास निधि से विधान सभा क्षेत्रों में व्यय का विवरण तथा क्षेत्रवार स्वीकृत धनराशि में अन्तर के संबंध में जानकारी

*16–श्री राम जग–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 में 3 जुलाई, 1999 तक पूर्वांचल विकास निधि से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितना-कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को बराबर धनराशि नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री सुरेश खन्ना)–

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1997–98, 1998–99 व 1999–2000 में 3जुलाई, 1999 तक पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश से खर्च की गई धनराशि का विधान सभा वार विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष		
		1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1	सदर	21.05	5.80	—
2	फूलपुर	16.44	—	—
3	गोपालपुर	17.28	5.31	—
4	सगड़ी	19.40	3.88	—
5	अतरौलिया	13.38	—	—
6	सरायमीर	20.45	4.67	—
7	मुहम्मदाबाद	3.55	1.70	—
8	मुबारकपुर	14.36	3.268	—
9	मेंहनगर	16.21	—	—
10	निजामाबाद	20.08	9.20	—
11	लालगंज	14.96	5.54	—

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में विधान सभा क्षेत्रवार धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है ।

जी हां ।

विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृति धनराशि में अन्तर मा० विधान सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के अनुरूप स्वीकृत आगणन के कारण तथा मा० विधान परिषद् सदस्यों द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से परियोजनायें प्रस्तावित न किये जाने के कारण हैं ।

जनपद लखनऊ में पेयजल परीक्षण आख्या तथा प्रदूषित जलापूर्ति की रोक हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी

*17–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल के नमूनों का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो परीक्षण आख्या क्या रही ? सरकार दूषित पेयजल की आपूर्ति रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है और उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

लखनऊ नगर में पेयजल के 14116 नमूने संग्रहित किये गये जिनमें से 13548 धनात्मक पाये गये एवं 568 ऋणात्मक पाये गये ।

पेयजल की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है तथा प्रति दिन जांच की जाती है । नियमित रूप से क्लोरीनेशन किया जा रहा है ।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्र में विद्युत कटौती के मानक के अनुपालन की जानकारी

*18–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में विद्युत कटौती का मानक क्या है ? क्या उसका अनुपालन पूरे प्रदेश में हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

नगरीय क्षेत्रों में विद्युत कटौती का कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में जड़ी बूटी उद्योग उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित किये जाने संबंधी जानकारी

*19–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार पौढ़ी में जड़ी बूटी उद्योग-उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित किये जाने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

जी नहीं ।

जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना गोपेश्वर चमोली में पूर्व में ही की गई है ।

बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

*20–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ एवं केदार नाथ मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर और कब से ? अवैध कब्जों को हटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति की जिला अल्मोड़ा में 278 नाली, 5 मुट्टी, रामनगर-नैनीताल में 42 बीघा डोभाल वाला देहरादून में 21.14 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है । यह कब्जा 1845 के पूर्व से चला आ रहा है ।

अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में मन्दिर समिति, संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी, मथुरा को प्रेषित विधायक प्रकोष्ठ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकृष्ण जन्म स्थान व्यवसायी समिति, मथुरा का पत्र जो सुरक्षा के नाम पर बेदखल न किये जाने के संबंध में है; विधायक कोष्ठक के पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/12599/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं०-24-31 में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

2–श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 24 से 31 में कितने हैण्ड पम्प लगे हैं ? इनमें कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या मंत्री जी पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिये खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं०–24 से 31 में 60 हैण्डपम्प लगे हैं ।

28 हैण्डपम्प खराब हैं ।

खराब हैण्डपम्पों को तत्काल ठीक कराने हेतु जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को निर्देशित कर दिया गया है ।

लखनऊ जल संस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक की तैनाती/उनके विरुद्ध अनियमितता विषयक जांच की जानकारी

3–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक, लखनऊ में कब से कार्यरत हैं तथा लखनऊ में तैनाती से दिसम्बर, 1998 तक इनके विरुद्ध आर्थिक अनियमितता एवं प्रशासनिक अनियमितता की कितनी जांचे चल रही हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ जल संस्थान के कार्यवाहक महाप्रबन्धक, दिनांक 24 सितम्बर, 1991 से दिनांक 8-3-1999 तक लखनऊ में कार्यरत रहे ।

दिसम्बर, 1998 तक इनके विरुद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितता विषयक 5 जाचें प्रचलित थीं, जिनमें से तीन जांचों में शिकायतों की पुष्टि न होने के कारण शासन स्तर पर निक्षेप किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

जिला चम्पावत का जिला पंचायत कार्यालय लोहाघाट में खोले जाने की मांग

4—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये जनपदों के निर्माण में आ रहे भारी वित्तीय भार को देखते हुए जिला चम्पावत का जिला पंचायत कार्यालय लोहाघाट खोले जाने के संदर्भ में नगर पंचायत लोहाघाट का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सम्प्रति जिला पंचायत का कार्यालय लोहाघाट में खोले जाने का कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में विभिन्न वार्डों में अवशेष मकानों का करांकन कराके कर वसूले जाने की मांग

5—श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या–13 से 18 तथा 24 से 27 में कुल कितने मकान हैं तथा इनमें से कितने मकान ऐसे हैं जिनका करांकन किया जाना शेष है ? क्या मंत्री जी शेष मकानों का करांकन कराकर कर वसूली की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वार्ड संख्या–13 से 18 में कुल 4948 मकान तथा वार्ड संख्या–24 से 27 में 1767 मकान हैं ।

करांकन के लिये कोई मकान अवशेष नहीं है ।

उक्त वार्डों के सभी मकानों के करांकन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और वसूली की कार्यवाही प्रभावी है ।

वसूली की कार्यवाही प्रभावी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं० 24-31 में क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग

6—श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के वार्ड संख्या 24 से 31 कितने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है ? इसमें कितने स्ट्रीट लाइट्स के प्वाइन्ट्स सही काम कर रहे हैं तथा कितने प्वाइन्ट्स खराब हैं ? क्या मंत्री जी खराब प्वाइन्ट्स को ठीक करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर के वार्ड संख्या 24 से 31 में सम्प्रति स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कार्य नहीं कर रही है ।

वर्ष 1987 में आये चक्रवात से स्ट्रीट लाइट क्षतिग्रस्त हो गयी थी और समस्त प्वाइन्ट्स ख़राब हैं ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं । यथाशीघ्र व्यवस्था करा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर में वार्ड सं० 9–16 में गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने की मांग

7—श्री शरदवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में वार्ड संख्या 9 से 16 में कितने कि० मी० डामर की सड़के हैं तथा उनमें से कितनी सड़के ऐसी हैं जो गड्ढायुक्त हैं ? क्या मंत्री जी उक्त गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शाहजहांपुर नगर में वार्ड नं०–9 से 16 में 10-760 कि०मी० डामर की सड़कें हैं जिसमें से 9–810 कि०मी० सड़क गड्ढायुक्त हैं ।

दशम् वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, शाहजहांपुर को अवमुक्त/संक्रमित की गयी धनराशि से सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के संबंध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

नगर पालिका परिषद् के पास उपलब्ध संशाधन, तथा इन संसाधनों का सड़क मरम्मत के लिये उपयोग किये जाने पर निर्भर करेगा।

जनपद हरदोई के कतिपय विकास खण्डों में वर्ष 1995-99 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

8 श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर, सण्डीला, कोथावां तथा कछौना में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में घोषित सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? उक्त समस्त अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विकास खण्ड बेहदर, सण्डीला, कौथावां तथा कछौना में वर्ष 1995-96, 1996-97 में चयनित सभी अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्ष 1997-98 में चयनित 13 ग्रामों में 8 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 1998-99 में 38 अम्बेडकर गांव ऊर्जीकृत किये गये।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब हुआ है।

वर्ष 1998-99 से अब मा० विधायकगणों की संस्तुति पर प्रतिवर्ष 5 गांव, प्रति विधायक का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद सीतापुर, ब्लाक सिधौली, कसमण्डा, पहला के ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण की मांग

9–श्री श्याम लाल रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के ब्लाक सिधौली एवं ब्लाक कसमण्डा तथा पहला की किन-किन अम्बेडकर ग्राम पंचायतों को मजरें सहित विद्युतीकरण करा दिया गया है और कौन-कौन अम्बेडकर ग्राम पंचायतें विद्युतीकरण से वंचित हैं ? विद्युतीकरण से वंचित ग्राम पंचायतों में कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सीतापुर जनपद के ब्लाक सिधौली, कसमण्डा तथा पहला की किसी भी अम्बेडकर ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण विद्युतीकरण सभी मजरों सहित नहीं हुआ है। परन्तु वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 के बीच 45 चयनित अम्बेडकर राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।

उक्त वर्षों के चयनित ग्रामों का शेष अविद्युतीकृत मजरों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत परिव्यय स्वीकृत होने तथा धन प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु प्रत्येक विद्युत सब स्टेशन पर एक अवर अभियन्ता की तैनाती की मांग

10–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अवर अभियन्ताओं की कमी है ? यदि नहीं, तो कितने अवर अभियन्ताओं को जनपद आजमगढ़ में एक से अधिक विद्युत सब-स्टेशन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है ? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ में प्रत्येक विद्युत सब-स्टेशन पर एक अवर

अभियन्ता की नियुक्ति करके विद्युत वितरण की व्यवस्था में सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

मात्र 6 अवर अभियन्ताओं को एक से अधिक ग्रामीण विद्युत उपकेन्द्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां सेवित उपभोक्ताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है ।

अवर अभियन्ताओं की तैनाती विद्युत उपकेन्द्रवार न होकर उपभोक्ताओं की संख्या सेवित क्षेत्र का माप व लाइन की लम्बाई तथा सब-स्टेशन की संख्या व क्षमता पर निर्भर करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव ग्राम व पोस्ट–इन्देमऊ के निवासी श्री असगर अली के पिता की विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई मृत्यु पर मुआवजे की मांग

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 24 जून, 1992 को श्री असगर अली, निवासी–ग्राम व पोस्ट–इन्देमऊ ब्लाक–बीघापुर, जनपद–उन्नाव का पत्र जो विद्युत विभाग की लापरवाही से उनके पिता की मृत्यु दिनांक 14 अप्रैल, 1992 को हो जाने तथा मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मुआवजा का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

दिनांक 14-4-1992 को श्री असगर अली की मृत्यु अपने घर पर अवैध कटिया को डालते समय कटिया के तार से चिपक कर हो गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद, वाराणसी परिक्षेत्र के वर्ष 1997-98 में मृतक आश्रितों को सेवा में लिये जाने संबंधी स्थिति की जानकारी

12—श्री छब्बू पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, क्षेत्र वाराणसी द्वारा वर्ष 1997-98 में सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने हेतु कितने मामले सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने को सेवायोजित किया गया तथा कितने मामले अभी तक लम्बित हैं ? लम्बित प्रकरणों पर निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

एक भी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (प्रथम एवं द्वितीय) गाजियाबाद व बाराबंकी में एच० वी०–1/2 के उपभोक्ता स्वीकृत लोड तथा इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने के संबंध में जानकारी

13—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम एवं द्वितीय, गाजियाबाद व बाराबंकी में एच० वी०–1 एवं एच०वी०–2 के कुल कितने उपभोक्ता हैं ? उपभोक्ता के नाम स्वीकृत लोड एवं जून, 1997 एवं जून, 1998 में विद्युत मद में कितना धन भुगतान किया गया ? क्या सभी बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं के यहां इलेक्ट्रानिक मीटर लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

एच० वी०–1 एवं एच० वी०–2 के कुल उपभोक्ताओं की संख्या :–

1–विद्युत नगरीय वितरण : 119
खण्ड–प्रथम, गाजियाबाद ।

2–विद्युत नगरीय वितरण : 267
खण्ड–द्वितीय, गाजियाबाद ।

3–विद्युत वितरण खण्ड : 45
बाराबंकी ।

उपरोक्त विवरण कार्यालय अवधि में मेरे कार्यालय कक्ष में देखे जा सकते हैं ।

जी नहीं । ऐसे सभी उपभोक्ताओं के संयोजन पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त कार्य मीटरों की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।

लखनऊ नगर स्थित विकास नगर कालोनी, सेक्टर–6 में पार्कों की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की मांग

14–श्री तेजभान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास नगर (लोहिया नगर) कालोनी, लखनऊ के सेक्टर 6 में कितने पार्क हैं तथा इनमें से कितने पार्कों की बाउन्ड्री वाल का निर्माण किया जा चुका है ? क्या कुछ पार्क ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर बस्ती तो बस गई है परन्तु बाउन्ड्री वाल का निर्माण नहीं किया गया है ? इन पार्कों की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मकान नं० 6/365 व 6/366 आदि के घर के सामने के पार्क में भी बाउन्ड्री वाल बनवाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कुल 18 खुले स्थान हैं जिनमें से तीन की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है ।

जी हां ।

वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री के आशुलिपिकों को इच्छित वेतनमान दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महामंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं०–276 (2)/उ० प्र० वि०म०सं०/99 दिनांक 27-6-99 जोकि माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित है एवं 2-3-88 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों

को वेतनमान 1350–2160 दिये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? आशुलिपिकों को 1350–2160 का वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रश्नगत पत्र में इच्छित वेतनमान का प्रकरण उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समक्ष विचाराधीन है ।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय में आवास आवंटन में अनियमितता की सतर्कता जांच कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री दया शंकर वर्मा, श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय के अनुभाग–10 में आवास आवंटन में हो रही अनियमितता की सतर्कता जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता सदस्य (श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया) का पत्र दिनांक 30-7-99 जो अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा एक अधिशासी अभियन्ता को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करायी गयी और अनियमितता संबंधी आरोप सिद्ध नहीं पाये गये और प्रश्नगत पत्र दिनांक 30-7-99 के मुख्य बिन्दु श्री दीनानाथ मिश्रा को वरीयता में उनका नम्बर आने पर आवास संख्या–2/128 इन्द्रलोक विद्युत कालोनी उन्हें आवंटित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

17–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत अधी० अभि०, वि०वि० मण्डल सुल्तानपुर के आदेश सं० 3253/वि०वि०मं० (सु)/आवास दिनांक 22-7-99 जोकि आवास सम्बन्धी था का अनुपालन करने के सम्बन्ध में प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 11-8-99 जोकि सदस्य (वितरण एवं पारेषण) मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ एवं अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

आवास का आवंटन परिषदादेश दिनांक 11-11-99 द्वारा निरस्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण पर व्यय, प्रशिक्षित कर्मियों एवं लखनऊ में स्थापित कम्प्यूटर पर प्रतिमाह अनुरक्षण व्यय का विवरण

18–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण में प्रति अधिकारी/कर्मचारी पर कितना व्यय हो रहा है तथा कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने 6-7-99 तक

प्रशिक्षण प्राप्त किया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार एवं लखनऊ में कहां-कहां कम्प्यूटर लगे हैं ? प्रतिमाह उन पर कितना अनुरक्षण व्यय हो रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण में प्रति अधिकारी/कर्मचारी पर रु० 1200/- (बारह सौ) का व्यय हो रहा है तथा दिनांक 06-7-99 तक कुल 275 (दो सौ पचहत्तर) अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार एवं लखनऊ में लगे हुये कम्प्यूटरों का विवरण एवं उन पर प्रतिमाह होने वाला अनुरक्षण व्यय संलग्न विवरण में उपलब्ध है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 144–145 पर ।)

मुख्य अभियन्ता (सिविल पारेषण) लखनऊ कार्यालय में कर्मचारी का रोका गया वेतन एवं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा निवर्तमान सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल पारेषण) लखनऊ कार्यालय के कितने कर्मचारियों के वेतन दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 तक रोके गये ? क्या इस सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद (निवर्तमान) का पत्र दिनांक 25-7-99 जोकि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत कार्यालय के प्रश्नगत अवधि में एक कर्मचारी का वेतन रोका गया ।

जी हां ।

श्री नन्द लाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के स्थानान्तरण के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 24-8-99 निरस्त हो जाने के फलस्वरूप श्री जायसवाल के स्थानान्तरण आदेश पुनः प्रभावी हो गये हैं । प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में उनके वेतन आहरण एवं वितरण पर कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ नगर में ओडियन नाले का पानी बाहर निकाले जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने की मांग

20–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में जल निकासी के लिये वर्तमान ओडियन नाले का पानी तीव्र गति से बाहर निकालने के लिये कोई आउटर रिंग नाला बनाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ का सुझाव प्राप्त हुआ है ।

उक्त सुझाव पर सिंचाई विभाग तथा जल निगम से तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण कराते हुए अभिमत मांगा गया है ।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद में विद्युतीकृत ग्रामों एवं शेष ग्रामों में विद्युतीकरण करने के संबंध में जानकारी

21–श्री बाबू खां–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितने गांवों में विद्युतीकरण हुआ है ? शेष गांवों में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 348 राजस्व ग्रामों में से 113 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पालिका परिषद् में वित्तीय अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र ग–2 नं० 460061 दिनांक 19-9-98 पर उनके द्वारा दिनांक 20-9-98 को नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ की वित्तीय अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु सचिव, नगर विकास को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ० प्र० इलाहाबाद को प्रकरण की विशेष सम्परीक्षा कराने का आदेश दिया जा चुका है ।

सम्परीक्षा आख्या प्रतीक्षित है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने हेतु किये गये उपाय तथा भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का कार्य-कलापों में पारदर्शिता लाने हेतु शासन द्वारा कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या पिछले तीन वर्षों में कितने अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता स्तर–I एवं स्तर–II के विरुद्ध आर्थिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामले में जांच प्रारम्भ की गयी ? जांच के क्या परिणाम हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने हेतु समय-समय पर यथावश्यक उपाय किये जाते रहे हैं जिनमें से मुख्य निम्नांकित है :–

(अ) परिषद् के कार्य कलापों में पारदर्शिता लाने हेतु संयुक्त प्रबन्ध समिति (जे० एम० सी०) का गठन किया गया है जिसमें समस्त अधिकारी/कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व है । समय-समय पर उक्त समिति की बैठकें होती हैं जिनमें नीतिगत विषयों पर चर्चा की जाती है ।

(ब) परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति निर्धारित एवं घोषित है ।

(स) परिषद् में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया घोषित है ।

(द) उपभोक्ताओं को सुविधा एवं जानकारी हेतु इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई एक्ट) 1948 के अन्तर्गत इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई (उपभोक्ता) नियमावली, 1984 बनाई गयी है जो शासन के राज पत्र में प्राख्यापित है ।

पिछले तीन वर्षों में 159 अधीक्षण अभियन्ता, 22 मुख्य अभियन्ता स्तर–1 तथा 15 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु औपचारिक जांच प्रारम्भ की गयी ।

जांच के परिणामस्वरूप दोषी पाये गये 96 अधीक्षण अभियन्ताओं, 13 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) तथा 08 मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी जिनमें लघु एवं वृहद दोनों दण्ड सम्मिलित हैं । 21 अधीक्षण अभियन्ता 04 मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) तथा 07 मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) दोषी नहीं पाये गये ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ० प्र० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री महेन्द्र कुमार वाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी है कि श्री रामदौर सिंह, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ० प्र० द्वारा अपने प्रतिनिधि मण्डल के साथ उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित कोई पत्र दिनांक 12-6-99 को मा० मुख्य मंत्री को हस्तगत कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 12-6-99 उपलब्ध नहीं हो पाया था । पत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु मा० राम दौर सिंह जो संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ० प्र० को पत्र भेजा गया है । अब प्रश्नगत पत्र दिनांक 12-1-2000 को प्राप्त हुआ है । इस पत्र में उल्लिखित अनियमितता संबंधी मामले की जांच उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है तथा श्री नन्द लाल जायसवाल के वेतन भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन को निर्देश भेज दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 5-1-2000 को अता०प्र०सं०–87 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ स्थित गोमती नगर आवासीय योजना फेज–2 के वास्तु एवं विनम्र खण्ड के लिये डाली गयी लाटरी में आवंटियों को मौके पर भूखण्ड उपलब्ध न होने पर अन्यत्र उपलब्ध कराये जाने की मांग

26–श्री रामस्वरूप सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रांगण में गोमती नगर आवासीय योजना फेज–2 के लिये दिनांक 4 जनवरी, 1999 को वास्तु एवं विनम्र खण्ड के लिये संयुक्त रूप से भवनों/भूखण्डों के आवंटन हेतु लाटरी डाली गयी थी ? यदि हां, तो उसमें 112.5 वर्ग मीटर के कितने भूखण्ड विनम्र खण्ड में आवंटियों को आवंटित किये गये उनकी भूखण्ड संख्या क्या है ? क्या उक्त सभी भूखण्ड आवंटित स्थल (मौके) पर उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन–कौन दोषी हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी उन सभी आवंटियों को जिनका भूखण्ड आवंटित स्थल (मौके) पर उपलब्ध नहीं है, को उसी के आस-पास कहीं दूसरी जगह भूखण्ड आवंटित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आवंटियों को विनम्र खण्ड में 112.5 वर्ग मीटर के कुल 221 भूखण्ड आवंटित किये गये । भूखण्ड संख्या से संबंधित सूची मा० अध्यक्ष विधान सभा के कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

स्थल का संशोधित ले-आउट प्लान बनने पर कुल 185 भूखण्ड पाये गये ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

अतिशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नगर पालिका परिषद् के अकेन्द्रीयित सेवा कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

27–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका परिषद् के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

01 अक्टूबर, 1984 से लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर नगरपालिका परिषद् में पेंशन योजना लागू होने की तिथि से अब तक सेवानिवृत्त मृत अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को पेंशन, फण्ड, बीमा का भुगतान संबंधी विवरण

28–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् गाजीपुर में अकेन्द्रीयित सेवा के कितने कर्मचारी पेंशन योजना लागू होने की तिथि से अब तक सेवानिवृत्त हुये या मृत हुये ? क्या उन्हें पेंशन, उत्पादन, राशिकृत, बीमा, जी०पी०एफ० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान न करने के लिये कौन दोषी है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पेंशन भोगी अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पेंशन योजना लागू होने की तिथि से अब तक नगर पालिका परिषद्, गाजीपुर के केन्द्रीयित सेवा के 90 कर्मचारी सेवानिवृत्त तथा 10 कर्मचारी मृत हुए हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 146–153 पर ।)

इन उपरोक्त कर्मचारियों में से 18 कर्मचारी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिनका प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण पेंशन उपादान का भुगतान बाधित है । 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा अवधि कम होने के कारण पेंशन अनुमन्य नहीं है । 14 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा के यहां परीक्षण हेतु लम्बित हैं । 6 कर्मचारियों द्वारा वारिस

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण पेंशन प्रकरण लम्बित हैं। 19 कर्मचारियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है। 4 कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत होकर प्राप्त हुयी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष 24 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें पेंशन भुगतान किया जाता था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उद्यान अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति के बावजूद नियुक्ति जारी रखने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उद्यान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त को प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप नियम विरुद्ध नियुक्ति जारी रखने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक क्रमशः क–2–035443 एवं क–2–035445, दिनांक 16 अगस्त, 1999 उनको एवं सचिव आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर आये उद्यान अधिकारी को तत्काल उसके पैतृक विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन से प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

30 व 31–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शमिल होने के कारण हटाया गया।]

लखनऊ स्थित सुभाषी खेड़ा, तेलीबाग में मानक के विपरीत खड़ंजा लगाने की शिकायत/जांच की मांग

32–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–11 एवं प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–199 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नगत प्रकरण में रोड पर पीला ईटा तथा टेढ़ा खड़ंजा का प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका स्थलीय निरीक्षण करवाकर मानक के विपरीत कराये गये कार्य को पुनः ठीक कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मेरठ की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु उपायों की जानकारी

33–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गंगनहर का पानी मोहकमपुर रजवाहे के माध्यम से शहर में लाकर तथा फिल्टर करने तथा आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ का सुझाव प्राप्त हुआ है ।

मेरठ नगर की वर्तमान जनसंख्या के लिये मानक के अनुसार 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 232.5 एम० एल० डी० जल की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष 158.06 एम० एल० डी० जल की आपूर्ति की जा रही है । मेरठ नगर में 10 नलकूपों का निर्माण कराया जा रहा है जिससे 48.00 एम० एल० डी० जल और प्राप्त होगा इस प्रकार आवश्यकता का 88.6 प्रतिशत जल प्राप्त हो जायेगा । अतः वर्तमान स्थिति में गंगा नहर से पानी लाने का प्रस्ताव/योजना शासन के सम्यक विचारोपरान्त उचित नहीं पाया गया ।

जनपद बदायूं के नगर पालिका परिषद् बिलसी को स्वीकृत अनुदान से कृत निर्माण कार्यों की जांच कृत कार्यवाही

34–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी बदायूं ने अपने पत्र सं० 1937/xx(बी)97-98 दिनांक 6-4-99 के द्वारा नगर पालिका परिषद् बिलसी, जनपद बदायूं को सड़क निर्माण हेतु अनुदान रु० दस लाख तथा नाली नालों के निर्माण हेतु रु० पांच लाख दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त धन से कराये गये कार्यों की जांच प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक आडिट सेल, बरेली द्वारा कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो टी०ए०सी० की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर जिलाधिकारी, बदायूं ने अपने पत्र संख्या–1937/×× (बी) (97-98) दिनांक 6-4-1999 के द्वारा शासनादेशों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से नगर पालिका परिषद्, बिलसी के लिये स्वीकृत कराये जा रहे निर्माण कार्यों की जांच हेतु प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक आडिट सेल, बरेली से अनुरोध किया था । प्राविधिक आडिट सेल बरेली द्वारा उक्त जांच कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्यों की जांच जिला स्तर के किसी तकनीकी विभाग के अधिकारी से कराने का सुझाव दिया गया ।

प्राविधिक आडिट सेल के उपर्युक्त सुझाव के अनुसार जनपद स्तर पर एक समिति गठित की गयी जिसमें अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बदायूं भी सदस्य हैं । प्राप्त जांच आख्या के आधार पर जांच आख्या में अंकित निर्माणाधीन कार्य सं० 1, 2 तथा 7 का चालू भुगतान तथा पूर्ण हो चुके कार्य संख्या 5 व 6 के अंतिम भुगतान के आदेश दिये गये । कार्य सं० 3 व 4 की गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने के कारण नगरपालिका परिषद् बिल्सी के अधिशासी अधिकारी तथा अवर अभियन्ता को प्रतिकूल

प्रविष्टि दी गयी । संतोषजनक न पाये जाने वाले कार्यों का भुगतान आदेश, कार्यों की गुणवत्ता प्रमाणित हो जाने तथा पेनाल्टी निर्धारण के उपरान्त ही पारित किया जायेगा ।

जनपद बदायूं , नगर पालिका परिषद् बिलसी की बैठक अमान्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26-5-99 जो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् बिलसी, जनपद बदायूं द्वारा दिनांक 15-4-99 को पालिका बैठक को अमान्य करने के संबंध में था, सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26-5-99 आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के पत्र दिनांक 12-5-99 के साथ जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को प्राप्त हुआ था, जो नगरपालिका परिषद्, बिलसी की बैठक दिनांक 15-4-99 तथा 28-4-99 के संबंध में था । प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर विचारोपरान्त आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने अपने आदेश संख्या–2245-47/तेईस–128(98-99) दिनांक 12-8-99 द्वारा बैठक दिनांक 15-4-99 एवं 28-4-99 का निष्पादन प्रतिषेध कर दिया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बदायूं नगर पालिका परिषद्, बिलसी से अनियमित रूप से कर्मचारियों की भर्ती की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के जून, 1999 के शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी, बदायूं ने नगर पालिका परिषद् बिलसी जनपद बदायूं में तीन कर्मचारी अनियमित रूप से भर्ती करके कर्मचारियों को अनियमित रूप से वेतन का भुगतान किये जाने की जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका परिषद्, बिलसी जनपद बदायूं के प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 4-4-98 तथा 18-12-96 को शासन द्वारा प्रतिषेध कर दिया गया है तथा की गयी अनियमित नियुक्तियों को भी निरस्त किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, इन्दिरा नगर आवास योजना में आवंटित भवन/भूखण्ड स्वामियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

37–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन और भूखण्ड स्वामियों ने अपने-अपने घर के सामने सड़क के किनारे की भूमि पर मिट्टी डालकर ऊंचा कर दिया है, जिससे लगभग 90 प्रतिशत सड़कें बरसात के पानी में डूब जाने के

कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने व जलभराव की स्थिति से छुटकारा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

भवन स्वामियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को उनके हर्जे-खर्चे पर हटाने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित ग्राम इस्माइलगंज में किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

38–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया जानकारी है कि नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत स्थित ग्राम–इस्माइलगंज फैजाबाद रोड, लखनऊ के मार्ग खसरा संख्या–1030, 1143 व 1161 रकबा 6 बीघा 2 विसवा पर गांव के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा करके बाउन्ड्री वाल आदि बना ली गयी है जिससे मार्ग सकरा व अवरुद्ध होने के कारण वहां की जनता को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या इन रास्तों पर से अविलम्ब अनधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अधीन 17 अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टिकैतराय कालोनी के फेज–3 में निर्मित पार्क का सुन्दरीकरण किये जाने की मांग

39–श्री विनोद मणि–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय एल०डी०ए० कालोनी–लखनऊ में फेज–3 में निर्मित पार्क जो कि पानी टंकी के पास आवास संख्या–आर०एस०/2/298 के सामने हैं पर विगत पांच माह पूर्व बाउन्ड्री का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि घटिया किस्म की सामग्री होने के कारण बाउन्ड्री वाल गिर गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी जनहित में उपरोक्त पार्क की बाउन्ड्री पुनः बनवाकर पार्क का सुन्दरीकरण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आंशिक मरम्मत का कार्य कराया गया था ।

असामाजिक तत्वों द्वारा गिरा दी गयी है ।

कोई नहीं ।

प्राधिकरण को निदेशित किया गया है कि यदि वहां के निवासियों का एसोसिएशन रख-रखाव की जिम्मेदारी के लिये सहमति दे, तो मरम्मत आदि करा दी जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40–श्री संजय गर्ग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

41–43–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर योजना के अन्तर्गत आवंटित विभिन्न श्रेणी के प्लाटों एवं अनियमित-रूप से बने मकानों की जांच की मांग

44–श्री उदयराज यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास प्राधिकरण लखनऊ की कानपुर रोड योजना का रजिस्ट्रेशन वर्ष 1987 में प्रारम्भ हुआ था ? क्या इस योजना में अल्प आय वर्ग के गरीब परिवारों को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 10x40, 10x60 आदि के प्लाट आसान किश्तों में 20 वर्षों में अदा करनी थी तथा 10x40 की किश्त रु० 22.75 का आवंटन किया गया था ? क्या वर्तमान में इस स्कीम में उसी वर्ग के लोग हैं ? क्या उक्त स्कीम में एक व्यक्ति को एक से अधिक प्लाट प्रदान किय गये हैं ? यदि नहीं, तो वहां पर 3, 4 प्लाटों को मिलाकर आलीशान मकान व फ्लैट किन लोगों के नियम विरुद्ध बने हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां । इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों हेतु 3x9 एवं 4x9 वर्ग मीटर के भूखण्ड का आवंटन लाटरी के माध्यम से 20 वर्षों के किश्तों में क्रमशः रु० 17.55 एवं रु० 22.75 पैसे प्रतिमाह की दर से किया गया था ।

जी नहीं ।

प्राधिकण द्वारा किसी योजना को विज्ञापित करते समय पंजीकरण पुस्तिका में पंजीकरण फार्म के साथ निर्धारित शपथ-पत्र का प्रारूप पर आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाती है कि उसके अथवा उसके परिवार के पास लखनऊ शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है, साथ ही अपनी आय की घोषणा भी आवेदक द्वारा की जाती है, जिसके आधार पर आवंटन सुनिश्चित किया जाता है ।

प्राधिकरण के नियमों के अनुसार आवंटी फ्री होल्ड रजिस्ट्री के उपरान्त बिक्रय करने हेतु स्वतंत्र है । यदि कोई व्यक्ति किन्हीं अन्य आवंटियों से सीधे भूखण्ड क्रय कर उसे जोड़कर भवन निर्माण करता है तो इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं हो पाती है ।

इस प्रकार के प्रकरणों के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड योजना के डी०–1– ब्लाक में स्ट्रीट लाइट ठीक कराये जाने की मांग

45–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर रोड के डी०–1 ब्लाक के मकान नं०–एमएम०-303 से 330 तक की स्ट्रीट लाइट पिछले दो वर्षों से खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी०–1 ब्लाक मकान नं०–एम० एम०–303 से एम० एम०–330 तक स्ट्रीट लाइट (मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के रख-रखाव के कार्य) लखनऊ विकास प्राधिकरण से हस्तान्तरण

के फलस्वरूप माह सितम्बर, 1999 से नगर निगम द्वारा देखा जा रहा है । प्रश्नगत स्ट्रीट लाइट्स ठीक करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित कानपुर रोड की सेक्टर डी०–1 की कच्ची सड़क से जल भराव/पानी की निकासी तथा पक्की सड़क बनाये जाने की मांग

46–श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–134 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क के सुधार हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ? क्या सरकार आवंटियों के घरों के सामने एकत्र मिट्टी को हटाकर उक्त सड़क को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत सड़क के साथ ही सेक्टर–डी–1 की आन्तरिक सड़कों के सुधार हेतु प्राप्त निविदा निरस्त कर कार्य की डी० सी० यू० पर कराये जाने की स्वीकृति दी गयी थी जिसके अन्तर्गत क्षेत्र की पटरी इंटिंग का कार्य कराया गया है । क्योंकि आवंटियों द्वारा रैम्प एवं चबूतरे तोड़ने का कार्य अभी नहीं कराया गया है, इसलिये सड़क को पक्का नहीं कराया जा सका है ।

आवंटियों के घरों के सामने की अतिरिक्त मिट्टी हटायी जा चुकी है । आवंटियों द्वारा सड़क पर बनाये गये चबूतरे व रैम्प तोड़े जाने के उपरान्त क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, गोण्डा, बलरामपुर में टर्म लोन योजना में चयनित लाभार्थियों को स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने की जानकारी

47–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि टर्म लोन योजना हेतु जनपद फतेहपुर, गोण्डा तथा बलरामपुर में 1 जनवरी, 95 से 31 मार्च, 1998 तक कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है ? क्या औपचारिकतायें पूर्ण कर देने के बाद भी चयनित लाभार्थियों को अभी तक स्वीकृत धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्प संख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली खां)–

प्रश्नोलिखित अवधि में संबंधित जनपदों में निम्नांकित लाभार्थियों का चयन टर्मलोन योजना में किया गया–

जनपद का लाभ	लाभार्थियों की संख्या
फतेहपुर	90
गोण्डा	136
बलरामपुर	58

उपर्युक्त में से जनपद फतेहपुर के 37, गोण्डा के 85 एवं बलरामपुर के 32 चयनित लाभार्थियों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष लाभार्थियों द्वारा औपचारिकतायें पूरी न किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के श्रमिकों को केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम वेतन दिये जाने की मांग

48–श्री गजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन हेतु क्या केन्द्र सरकार के श्रम विभाग के कोई निर्देश हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां,तो श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने हेतु क्या सरकार कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के हित लाभों को सुरक्षित किए जाने के सामान्य निर्देश हैं । उसी परिपेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 62 अनुसूचित नियोजनों में श्रमिकों की मजदूरी को न्यूनतम दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण किया जाता है । जिसका अनुपालन श्रम विभाग के प्रवर्तन तंत्र द्वारा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ माल एवेन्यू स्थित इस्लामियां कब्रिस्तान में ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार्मर का निर्माण कार्य रोके जाने की मांग

49–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस्लामियां कब्रिस्तान वक्फ नं०–83 स्थित माल एवेन्यू लखनऊ में ट्यूबवेल एवं ट्रान्सफार्मर के निर्माण कार्य को रोकने संबंधी अंजुमन इस्लामियां कब्रिस्तान वक्फ नं०–83 के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 11-7-98 व 17-7-98 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त कब्रिस्तान की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर देहात की बिल्हौर न्याय पंचायत तथा अम्बेडकर ग्राम पंचायत डोड़वा जमौली में सुचार रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

50–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर देहात की तहसील बिल्हौर की न्याय पंचायत एवं अम्बेडकर ग्राम पंचायत डोड़वा जमौली में विद्युतीकरण का कार्य कई वर्ष पूर्व हुआ था ? क्या इस हेतु पोल गड़वा कर तार खीचें गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। प्रश्नगत ग्राम को गांधी ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 में ऊर्जीकृत किया गया था।

जी हां।

जी नहीं। ग्राम में सात उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। प्रश्नगत ग्राम को एल०टी० लाइन विस्तार के लिये पुनः वर्ष 98-99 में अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है। जिसके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

51–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को क्षतिपूर्ति विषयक मा० सदस्य श्री हरदेव सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन द्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्रतिमाह 21000.00 की क्षति की भरपाई संबंधी माननीय हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 27-8-99 जोकि मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से परिषद् को क्षति पहुंचाने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित आरोप प्रमाणित न पाये जाने के कारण किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मन्दिर तथा उससे संबंधित धर्मशालाओं के पुनः निर्माण हेतु भूकम्प राहत कोष से धनराशि आवंटित किये जाने की मांग

53–श्री भारत् सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ मन्दिर तथा उससे संबंधित कितनी धर्मशालायें भूकम्प से प्रभावित हुई है ? सरकार द्वारा भूकम्प राहत कोष से कितनी धनराशि उनके पुनः निर्माण के लिये आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

कुल 6 धर्मशालायें भूकम्प से प्रभावित हुई हैं।

कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा कोष से मन्दिर एवं धर्मशालायें क्षतिग्रस्त होने पर राहत सहायता अनुमन्य न होने के कारण पुनर्निर्माण हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

विद्युत मूल्य वसूली हेतु आई०ए०एस० अधिकारियों के घर पर छापे/बकाया धनराशि/विद्युत विच्छेदन आदि का विवरण

54–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अगस्त, 1999 में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री विरेन्द्र सिंह एवं लेसा महाप्रबन्धक तथा अन्य टीम द्वारा कितने आई०ए०एस० अधिकारियों के घर पर विद्युत मूल्य वसूली हेतु छापे डाले गये ? क्या मंत्री जी उन आई०ए०एस० अधिकारियों के नाम, बकाया धनराशि तथा विद्युत विच्छेदन की तिथि भी बतायेंगे ? छापे में किन-किन अधिकारियों के अवैध कनेक्शन पाये गये ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां, अगस्त, 99 में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह एवं लेसा, महाप्रबन्धक द्वारा 23 आई०ए०एस० अधिकारियों के आवासों पर विद्युत मूल्य वसूली हेतु छापे डाले गये ।

उक्त विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है ।

कोई अवैध संयोजन नहीं था । कतिपय अनियमितायें पायी गयी । धनराशि वसूली एवं विच्छेदन की कार्यवाही की गयी । उक्त विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है ।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पदों पर गलत तरीके से प्रोन्नति दिये जाने विषयक, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद अभिकल्प मण्डल, गोमतीनगर लखनऊ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, अभिज्ञान सं० 6908 विद्युत जनपद अभिकल्प मण्डल, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र सं० 427–वि०ज०अ०मं० दिनांक 6-7-99 जिसमें मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति एवं आर्थिक अनियमितता के दोषी व्यक्तियों को गलत तरीके से प्रोन्नति देने के संबंध में था और जो अध्यक्ष/विभागीय चयन समिति के समस्त सदस्यों को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (जनपद) के पद पर चयन का प्रकरण अभी लम्बित है । अतः गलत तरीके से प्रोन्नति देने का आरोप असामायिक एवं निराधार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राकेश पुष्कर अधिशासी अभियन्ता द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देने तथा गलत अनुवाद कराने वाले एडवोकेट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

56–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० नं० 1179/99 में हलफनामा देने वाले श्री राकेश पुष्कर, अधिशासी अभियन्ता एवं एनेक्सर–पी/1 में गलत अनुवाद कराने वाले श्री प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट के विरुद्ध क्या

कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया गया है ? क्या मंत्री जी अध्यक्ष, उ० प्र० रा०वि०प० के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

तथाकथित गलत अनुवाद की कोई सूचना तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अब उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के संज्ञान में नहीं है । अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद पीलीभीत ग्राम हुसैनापुर का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

58–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राज्य मंत्री ऊर्जा ने अपने पत्रांक–1102, दिनांक 3 जुलाई, 1999 द्वारा ग्राम–हुसैनापुर, तहसील–पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के विद्युतीकरण के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांव का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

धन की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

लखनऊ राजाजीपुरम् में भवन संख्या एफ/3645 से एफ/3655 तक बिजली के तार तथा एक खम्भा हटाने की मांग

59–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि राजाजीपुरम् लखनऊ में भवन संख्या–एफ/3645 से एफ–3655 तक बिजली के तार भवनों के ऊपर से खींचे गये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि भवन संख्या एफ–3645 में एक बिजली का खम्भा लगा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी भवन संख्या एफ–3645 से एफ–3655 तक खींचे गये बिजली के तार हटाने तथा भवन संख्या एफ–3645 के अन्दर लगे बिजली के खम्भे को हटाने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । राजाजीपुरम् कालोनी आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा विकसित कालोनी है, जिसमें भवन निर्माण बिजली के खम्भे एवं तार आवास विकास परिषद् द्वारा लगवाकर उ० प्र० राज्य विद्युत

परिषद् को हस्तान्तरित किया गया है । भवन संख्या–एफ 3645 से एफ–3655 तक के मकान अवैध रूप से आगे की जमीन पर कब्जा कर मूल रूप से बने मकानों को आगे बढ़ाकर अध्यावासियों द्वारा पुनः निर्मित कराये गये हैं जिसके कारण अवैध रूप से निर्मित भाग पूर्व में खींचे गये बिजली के तार के नीचे आ गये हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खम्भा संख्या : आर०जे०पी०एम० 38/11/1 भवन संख्या : एफ 3645 में नहीं लगा है, बल्कि उपरोक्त भवन के सामने लगा है । इस खम्भे के लगाने की स्थिति नियमानुसार है तथा इसका हटाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है ।

लखनऊ स्थित निरालानगर, मायानगर में सीवर लाइन डालने की योजना की जानकारी

60–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला माया नगर (शंकर नगर चौराहे से मुंशी गंज नाले तक) निराला नगर, लखनऊ में सीवर लाइन डालने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सीवर लाइन डाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ में पेयजल हेतु बनी टंकी में जलापूर्ति किये जाने की मांग

61–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के टाउन एरिया, कुरसठ में पेयजल हेतु एक टंकी (पम्प) की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त टंकी से जलापूर्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

टंकी वर्ष 88 में चालू कर दी गई थी परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा हस्तगत न करने के कारण योजना वर्ष 1990 से बन्द है ।

बिजली के खम्भों पर केबिल टी०वी० के तार लगाये जाने एवं राजस्व अर्जित करने के संबंध में जानकारी

62–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा बिजली के खम्भों में केबिल के तार बांधने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा केबिल आपरेटरों से राजस्व अर्जित कर शासकीय कोष में जमा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार बिजली के खम्भों से केबिल के तारों को कब तक हटवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

कुछ नगरों में राजस्व अर्जित कर परिषदीय कोष में जमा हुआ है।

जिन नगरों में राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है उन नगरों में केबिल टी०वी० के तार हटवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी परन्तु केबिल आपरेटर एसोसियेशन एवं परिषद् के मध्य हुई बैठक के उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही अल्प समय के लिये स्थगित कर दी गयी है तथा प्रकरण पावर कारपोरेशन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृत समूह ग, घ के पदों के विरुद्ध आरक्षित कोटे के पदों पर कार्यरत अनु० जाति/अनु०जनजाति कर्मियों के संबंध में जानकारी तथा रिक्त आरक्षित पदों को दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के कर्मचारियों से भरे जाने की मांग

63–श्री ददू प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में समूह "ग" एवं "घ" के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद आरक्षित कोटे के हैं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रत्येक सम्वर्ग में कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर आरक्षित वर्ग के दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करके उक्त कोटा पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण में समूह "ग" एवं "घ" के कुल 1315 पद स्वीकृत हैं, जिसमें समूह "ग" के 510 एवं समूह "घ" के 805 पद हैं। उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध समूह "ग" में अनुसूचित जाति के 107 पद, अनुसूचित जनजाति के 10 पद एवं पिछड़ा वर्ग के 138 पद आरक्षित कोटे के हैं तथा समूह "घ" में अनुसूचित जाति के 169 पद, अनुसूचित जनजाति के 16 पद तथा पिछड़े वर्ग के 217 पद आरक्षित हैं। समूह "ग" में अनुसूचित जाति के 37 कर्मचारी तथा अनुसूचित जनजाति के शून्य कर्मचारी कार्यरत हैं तथा समूह "घ" में अनुसूचित जाति के 146 तथा अनुसूचित जनजाति के शून्य कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में समूह "ग" के 66 तथा समूह "घ" के 80 पद रिक्त हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कतिपय दैनिक वेतनभोगी/वर्कचार्ज कार्मिकों द्वारा विनियमितीकरण हेतु रिट याचिका संख्या–439/99, मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जिसके द्वारा विनियमितीकरण की कार्यवाही, कार्यरत अवर वर्ग सहायक के पदों पर स्थगित कर दी है। प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण रिट याचिका के निस्तारण के उपरान्त ही कोटा पूर्ण किए जाने हेतु आरक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जानी संभव होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान शासनादेशों के अनुसार अकेन्द्रीयित सेवा के दि० 29-12-89 के पहले से कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज कार्मिकों का विनियमितीकरण शासन की वर्तमान नीति के अनुसार सृजित रिक्त पदों के सापेक्ष ही करना सम्यक् होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र महलावां के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के मजरों का मानक के आधार पर विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

64–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि०/ दिनांक 10-4-97 के द्वितीय प्रस्तर में वर्ष 1997-98 में दिये गये मानकों पर पुनर्विचार कर मानकों को निरस्त करते हुये अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् के निर्णय के अनुसार अम्बेडकर ग्राम एवं उनके मजरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र 91–मल्लावां जनपद हरदोई में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के अम्बेडकर ग्रामों एवं उनके मजरों का विद्युतीकरण मानकों के आधार पर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । धन की उपलब्धता न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं उसके मजरों के विद्युतीकरण हेतु तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी । मात्र दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम एवं उसकी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण हो पाया है । सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण संभव नहीं है ।

संसाधन उपलब्ध कराने पर ही प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण संभव हो सकेगा ।

इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

संसाधन न होने के कारण ।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिलसी में चयनित 10 ग्राम अम्बेडकर ग्रामों में मार्ग निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

65–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलसी विधान सभा क्षेत्र के वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए चयनित 10 अम्बेडकर ग्रामों के मार्ग निर्माण एवं विद्युतीकरण हेतु कब तक का लक्ष्य रखा गया था ? क्या उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए ? यदि हां, तो प्रश्नगत निर्माण कार्य एवं विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

विधान सभा क्षेत्र बिलसी में वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 10 ग्रामों में सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं विद्युतीकरण का विभागीय लक्ष्य दिनांक 31-3-99 तक रखा गया था ।

चयनित 10 ग्रामों में से 9 ग्राम पूर्व से ही विद्युतीकृत थे । शेष एक ग्राम का भी विद्युतीकरण हो चुका है । सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत चयनित 10 ग्रामों में से 9 ग्राम पूर्व से ही लेपन से जुड़े थे । एक

ग्राम लेपित किया जाना शेष है। लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति स्वीकृति के अनुसार इस कार्य को मार्च, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। कार्य प्रगति पर है।

जनपद बदायूं के अम्बेडकर ग्राम पिपरी रघुनाथपुर के विद्युतीकरण का कार्य निर्धारित समय पर न होने विषयक जानकारी

66–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र अपैल, 1999 जो अम्बेडकर ग्राम पिपरी रघुनाथपुर वि० खं० बिसौली, जनपद बदायूं के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? क्या लक्ष्य के अनुसार इस गांव का पूर्ण विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 1996-97 में हो जाना चाहिए था ? यदि हां, तो लक्ष्य के अनुसार विद्युतीकरण न करने हेतु कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राधेश्याम कोरी–

मा० सदस्य श्री भोला शंकर मौर्य का पत्र मा० मंत्री जी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

अम्बेडकर ग्राम पिपरी रघुनाथपुर विकास खण्ड बिसौली के विद्युतीकरण का कार्य, लक्ष्य के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1996-97 में होना था, जो उसी वर्ष 31-3-97 तक पूर्ण कर लिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के बिलसी विधान सभा क्षेत्र के दस ग्रामों में अम्बेडकर विकास योजना के अनुसार समस्त कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न किये जाने की जानकारी

67–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में चयनित बिलसी विधान क्षेत्र के दस ग्रामों में अम्बेडकर विकास योजना के कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक के लिए निर्धारित किया गया है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति कब तक पूरी करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो लक्ष्य का पूरा न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री राधेश्याम कोरी–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में बिलसी विधान सभा क्षेत्र में चयनित 10 ग्रामों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 31-3-99 तक समस्त कार्यों को पूर्ण करने का समय निर्धारित था।

उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण, नाली/खड़ंजा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, स्वच्छ पेयजल, स्कूल भवन निर्माण, किसान/वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन आदि के लक्ष्य ससमय पूर्ण कर लिए गये थे। इन 10 ग्रामों के लिए इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 323 पात्र लाभार्थियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण योजना में 10 ग्रामों के लक्ष्य के विपरीत 3 ग्राम पूर्व से ही लेपन स्तर से जुड़े थे, 5 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य जून, 2000 तक निर्धारित है। शेष 2 ग्रामों की आबादी 1000 से कम होने कारण इन्हें जोड़े जाने का लक्ष्य नहीं है।

वाराणसी नगर में मणिकर्णिका तथा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट पर अन्त्येष्टि से संबंधित पुरानी प्रथा को लागू न करने के संबंध में वैधानिक बाध्यता की जानकारी

68- श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में मणिकर्णिका तथा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट पर अन्त्येष्टि हेतु आने वाले मृतकों की मृत्यु सूचना दर्ज कार्यालय को अकारण बन्द कर दिया गया है जिससे जनता को कष्ट हो रहा है ? क्या पहले से चली आ रही प्रथा को पुनः चालू करने हेतु वाराणसी नगर निगम ने कोई प्रस्ताव पारित किया है ? उक्त पुरानी और सरल प्रथा को लागू न करने के वैधानिक कारण क्या हैं और वह महापालिका अधिनियम की किस धारा अथवा संविधान के किन अनुच्छेदों से संबंधित है ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

जी हां ।

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू हो जाने के पश्चात् इस अधिनियम 1969 के लागू हो जाने के पश्चात् इस अधिनियम में व्यवस्था की गयी कि किसी भी स्थानीय निकाय सीमा क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण उन्हीं का होगा जिनका जन्म तथा मृत्यु स्थानीय निकाय क्षेत्र में हुआ है ।

वाराणसी विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं उस पर स्वीकृति की जानकारी

69-श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु 3 नये 33/11 के० वी० ए० के उपकेन्द्रों के निर्माण तथा अन्य कई 33/11 के०वी०ए० उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु वर्ष 1998-99 में एक प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, वाराणसी जोन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य अभियन्ता ''रेस्पो'' को भेजा गया है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव किन-किन क्षेत्रों के संबंध में है ? क्या उक्त प्रस्ताव पर परिषद् स्तर पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां ।

वाराणसी शहर के डाफी, आशापुर तथा रवीन्द्रपुरी में नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों के निर्माण तथा 33/11के०वी० उपकेन्द्रों सिगरा, डी०पी०एच० शकुलधारा तथा पाण्डेयपुर की क्षमता वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव है । केवल आशापुर में नये 33/11के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण तथा संदर्भित सभी 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य वर्ष 1999-2000 के अनुमोदित कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है ।

1-आशापुर में नये 33/11के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण दिनांक 2-6-99 को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ।

2-33/11 के०वी० उपकेन्द्र डी०पी०एच० काशी विद्यापीठ (सिंगरा) शकुलधारा तथा पाण्डेयपुर की क्षमतावृद्धि दिनांक 26-4-99 को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया । परिषद् की विषम वित्तीय परिस्थिति

के कारण डाफी तथा रवीन्द्रपुरी में नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम में सम्मिलत नहीं किया जा सका ।

वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु संसाधनों की उपलब्धता तथा कार्यों की वरीयता को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र को सेवायोजित किये जाने की मांग

70-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण में भवन निरीक्षक पद पर कार्यरत श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय की दिनांक 30 मई, 1996 को सेवावधि में मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित के रुप में उनके पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय को सेवायोजित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1249/वी०आई०पी० दिनांक 1अप्रैल, 1998 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मृतक आश्रित को सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक सेवायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन-

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा विगत वर्षों में करायी गयी पेयजल योजनाओं की मरम्मत पर व्यय एवं नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

72–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल को गढ़वाल जल संस्थान द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में किन-किन पेयजल योजनाओं की क्या-क्या मरम्मत कार्यवाही की गयी है ? उन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सभी पेयजल योजनाओं से नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

गढ़वाल जल संस्थान द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 में क्रमशः 97, 200 तथा 108 पेयजल योजनाओं की मरम्मत करवायी गयी है । इन पेयजल योजनाओं पर वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमशः रु० 134.047, 191.343 लाख तथा रुपये 132.803 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

अधिकांश योजनाओं में सुचारु जलापूर्ति की जा रही है । जिन योजनाओं में जलपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है उनकी आवश्यकतानुसार समय-समय पर मरम्मत करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

73–श्री महेन्द्र कुमार बल्मीकि–

[दिनांक 4-1-2000 को अता० प्र० सं०–132 द्वारा उत्तरित]

74–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी से पारा उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

75–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–68 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी से लगी हुई पारा कालोनी में पारा रोड पर नाग मन्दिर के निकट रखे हुए 250 के०वी०ए० ट्रान्सफार्मर से राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से जोड़कर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से कब तक पारा कालोनी में रखे हुए ट्रान्सफार्मर से जोड़कर उक्त केन्द्र द्वारा विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

राजाजीपुरम् से पारा उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति राजाजीपुरम् में नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात् सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० एसबेस्टास सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों के एक्सीडेंट के मामलों का भुगतान न किये जाने का प्रकरण

76–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–55 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित को ग्रेच्युटी का भुगतान किस तिथि को एवं कैसे किया गया ? क्या भुगतान चेक, ड्राफ्ट या आपसी सहमति से किया गया ? यदि भुगतान चेक या ड्राफ्ट से 32,628.00 एवं 33,215.00 धनराशि का किया गया तो क्षतिपूर्ति मुआवजे की धनराशि रु० 97,842.00 एवं 1,59,800.00 रु० का भुगतान आपसी सहमति से करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि आपसी सहमति के नाम व मात्र 15,000/- अथवा 20,000/- का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराकर क्षतिपूर्ति मुआवजे का पूर्ण भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

सम्बन्धित को ग्रेच्युटी का भुगतान चेक द्वारा क्रमशः दिनांक 31-3-98 व 27-6-98 को किया गया ।

श्रमिकों की शारीरिक अक्षमता के कारण उनके अनुरोध पर ही क्षतिपूर्ति मुआवजे की धनराशि उन्हें नकद भुगतान प्राप्त करायी गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री में सीट्स सुखाने वाले हीटरों से हो रहे प्रदूषण की जांच एवं सेवायोजकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

77–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री, मोहनलालगंज, लखनऊ में पुंठ प्लान्ट पर लगे बड़े-बड़े हीटरों जिनसे सीट्स सुखायी जाती हैं से उठने वाली गैस से फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को सांस की बीमारी, सीने में जलन एवं फेफड़े की खराबी के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार फैक्ट्री में हो रहे इस प्रदूषण की जांच करवाकर फैक्ट्री प्रबन्धक एवं सेवायोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

कारखानों में लगे हीटरों, जिनसे सीट्स सुखायी जाती है, से कोई गैस नहीं निकलती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

78–श्री नेतराम सिंह तथा डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री विनोद कृष्ण सिंघल के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद, लखनऊ नगर निगम द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ दिनांक 4-9-99 को लखनऊ नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध मे कोई मांग-पत्र जो जोनल अधिकारी प्रथम एवं मुख्य नगर अधिकारी को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मांग-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं/समस्याओं के बिन्दुवार निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विदेशी फर्मों द्वारा मास्टर पर्ट नेटवर्क प्रस्तुत करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री हरदेव सिंह–

[illegible] बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत विदेशी फर्मों द्वारा मास्टर पर्ट नेट वर्क प्रस्तुत [illegible] में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान सांसद का पत्र दिनांक 1-4-99 जो कि मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मास्टर पर्ट नेटवर्क प्रस्तुत करने हेतु परिषद् ने कब-कब मेसर्स हुण्डई कोरिया एवं मेसर्स एस०ए०ई० को पत्र लिखा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां । पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि अनुबन्ध में पर्ट/बार चार्ट दोनों का ही प्राविधान था और तत्कालीन उ०प्र० रा०वि०प० में अपनी पारेषण लाइनों के निर्माण की प्रगति अनुश्रवण करने हेतु बार चार्ट का उपयोग प्रभावी एवं सफलतापूर्वक किया जाता रहा है । अतः इस लाइन के मामले में भी बार चार्ट के माध्यम से लाइन के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण करना उपयुक्त समझा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि उक्त लाइन के निर्माण की प्रगति के अनुश्रवण बार चार्ट के माध्यम से किया जाना परिपाटी अनुसार एवं अधिक व्यवहारिक समझा गया ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अगस्त 99 तक छः माह अथवा अधिक अवधि तक अनुबन्ध पर रखे गये सेवा निवृत्त अधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

81-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अगस्त, 1999 तक कितने सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबन्ध सेवा के तहत छः माह एवं इससे अधिक समय तक सेवा में रखा गया ? क्या मंत्री जी अनुबन्ध के तहत रखे गये अधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अगस्त, 1999 तक 8 सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबन्ध के तहत 6 माह एवं इससे अधिक समय तक सेवा में रखा गया ।

संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रगति रिपोर्ट देने का प्राविधान नहीं था अनुबन्ध के अन्तर्गत रखे गये अधिकारियों ने अपने अनुबन्धित कार्यों को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम द्वारा उपभोक्ताओं से अवैध धन वसूलने सम्बन्धी प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

82–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–प्रथम, गोरखपुर द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित कर अवैध धन उगाही करने सम्बन्धी श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 26-11-98 जोकि अध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

शिकायत-पत्र में इंगित उपभोक्ता के अधिष्ठान पर केवल 500 वाट भार ही स्वीकृत था । दिनांक 6-4-98 को की गयी चेकिंग में उसका स्थापित भार 2060 वाट पाया गया जिसके कारण उसे रुपये 3.600 का राजस्व निर्धारण का बिल प्रेषित किया गया था । उक्त राजस्व निर्धारण का उपभोक्ता ने

भुगतान न करके दिनांक 17-4-98 का विद्युत भार 500 वाट से बढ़ाकर 2000 वाट किये जाने का प्रार्थना-पत्र दिया तथा दिनांक 18-4-98 को 2000 वाट भार का अनुबन्ध कर लिया, परन्तु दिनांक 6-4-98 को की गयी चेकिंग के आधार पर रुपये 3600 के राजस्व निर्धारण का भुगतान उपभोक्ता द्वारा न किये जाने के कारण उसे दिनांक 1-6-98 को नोटिस दी गयी, तत्पश्चात् उक्त धनराशि को अन्य बकाया धनराशि के साथ उसने दिनांक 15-2-99 तथा 26-2-99 को भुगतान कर दिया । उक्त समस्त कार्यवाही नियमों के अनुरूप ही की गयी है । इस प्रकरण में श्री ए०के० खरे, अधिशासी अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार अथवा उत्पीड़न करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । पिछले दो वर्षों में अधिक भार प्रयोग करते हुए 27761 उपभोक्ता पकड़े गये जिन पर रुपये 1566.48 लाख का राजस्व निर्धारण प्रस्तावित किया गया । इसके अतिरिक्त 6533 उपभोक्ता पीक आवर्स का उल्लंघन करते हुए पकड़े गये जिनके विरुद्ध रुपये 1350.55 लाख के राजस्व निर्धारण की संस्तुति की गयी ।

प्रवर्तन दल द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154 पर ।

83–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[निदेश संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बागपत छपरौली में 132 के०वी०ए० पावर हाऊस का अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

84–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बागपत छपरौली में 6 मार्च, 1996 को 132 के०वी०ए० पावर हाऊस का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पावर हाऊस का निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

अब तक उक्त उपकेन्द्र का 51 प्रतिशत तथा सम्बन्धित 132 के०वी० लाइन का 10 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूर्ण हो सका है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अवशेष कार्यों के पूर्ण किये जाने की समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ गोमतीनगर में बदबूदार पेयजल की आपूर्ति की शिकायत

85–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गोमतीनगर लखनऊ क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति बदबूदार की जा रही है ? क्या यह सही है कि बदबूदार जलापूर्ति के कारण क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले पानी का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कितनी बार और उसकी रिपोर्ट क्या प्राप्त हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में प्रत्येक नलकूप पर क्लोरीन की जांच नियमित रूप से की जाती है । 3 मार्च, 99 से 1 मई, 1999 तक की अवधि में मुख्य नगर अधिकारी/स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा भी जलापूर्ति की जांच की जाती रही है एवं जांच रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगर पंचायत निवाड़ी की भूमि अनियमित रूप से पट्टे पर दिये जाने संबंधी प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी, गाजियाबाद की रिपोर्ट का परीक्षणोपरान्त कृत कार्यवाही की जानकारी

86-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधिकारी, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट का परीक्षण हो गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये ? दोषी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त नगर पंचायत निवाड़ी की एल०एम०सी० भूमि को अनियमित रूप से नियम के विपरीत कार्यवाही करके पट्टे पर दिये जाने एवं अपने पद के विपरीत कार्य करने में लिप्त अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह, चपरासी, नगर पंचायत निवाड़ी को दोषी पाया गया । अध्यक्ष, नगर पंचायत निवाड़ी श्रीमती शिमला त्यागी को शासन के पत्र सं०-688/9-1-99-7च /98,दि० 20-4-99 द्वारा कारण बताओ नोटिस दी जा चुकी है । निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय ज्ञाप सं०-6/3/261-अ०अ०न०पं०/93, दिनांक 29-6-99 द्वारा श्री कृष्ण शर्मा, अधिशासी अधिकारी को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जांचोपरान्त श्री शर्मा के विरुद्ध आरोप सिद्ध न पाये जाने के कारण उन्हें निदेशालय के आदेश सं०-6/760-शा०/17डी०डी०(जी०)/99दि०27-12-99द्वारा सेवा में बहाल किया जा चुका है तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, चपरासी को निलम्बित कर जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर के नीलमथा बाजार स्थित नगर महापालिका की भूमि पर अवैध निर्माण की जांच कराये जाने की मांग

87-श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत "नीलमथा बाजार" (थाना कैण्ट) स्थित नगरमहापालिका की भूमि पर वर्तमान में अराजक तत्वों द्वारा दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर उत्तरदायी कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानसार ।

जनपद बदायूं की नगरपालिका परिषद् बिलसी द्वारा अनियमित रुप से विद्युत उपकरणों की खरीद की शिकायत विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् बिलसी जनपद बदायूं ने शासन से प्राप्त रु० पांच लाख से बिजली के निस्तारण की धनराशि को अनियमित रूप से बल्ब एवं विद्युत सामग्री खरीद करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर अपने पत्र संख्या-2078/अ०सम/99/विविधा दिनांक 7-6-99 के द्वारा जांच के आदेश प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय को दिये थे ? क्या इसकी जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्नकर्ता ने शिकायती-पत्र जिलाधिकारी बदायूं को दिया था जिस पर जिलाधिकारी बदायूं ने अपने पत्र सं०-2078/अ०सम/99/विविध, दिनांक 7-6-99 द्वारा जांच हेतु प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय बदायूं को आदेश दिये थे । प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु स्वीकृत अनुदान का उपयोग शासनादेश में निहित निर्देशानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन से किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० जल निगम में गैर मान्यता प्राप्त डिप्लोमा एसोसियेशन के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

89-श्री जटा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में कितने डिप्लोमा एसोसियेशन मान्यता प्राप्त हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ फर्जी डिप्लोमा एसोसियशन भी अनावश्यक रुप से मुख्यालय पर निगम के एम०डी० एवं सचिव (प्रशासन) के कार्य में अनावश्यक व्यवधान डालते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गैर मान्यता प्राप्त एसोसियेशन के लोगों पर अनुशासनिक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश जल निगम में केवल एक डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन पूर्व से मान्यता प्राप्त है । उत्तर प्रदेश जल निगम के जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा धारक होते हैं । इस संवर्ग के कुछ सदस्यों द्वारा जल निगम के उच्चाधिकारियों के समक्ष उचित मांगे रखे जाने पर उनका निराकरण वार्ता द्वारा कर दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित टिकैतराय एल०डी०ए० सचिवालय कालोनी में बिना वैध बिजली कनेक्शन के बिजली का उपयोग किये जाने की शिकायत

90-श्री विनोद मणि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय एल०डी०ए० सचिवालय कालोनी , लखनऊ में कितने आवास ऐसे हैं जिनमें आज तक वैध कनेक्शन न होने के बावजूद अध्यासी बिजली का उपयोग

कर रहे हैं ? उन अध्यासियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि आवास संख्या- 2/311 एवं 2/315 में दो-दो बिल अलग-अलग नाम से भेजे जा रहे हैं जबकि राजकीय कालोनी होने के कारण एक ही अध्यासी निवास कर रहा है ? क्या मंत्री जी जिन अध्यासियों ने अभी तक कनेक्शन.नहीं लिये हैं उन पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये उन्हें वैध कनेक्शन देने हेतु कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

टिकैतराय एल०डी०ए० सचिवालय कालोनी में सभी परिसरों में वैध कनेक्शन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोनों आवासों में एक-एक ही बिल भेजा जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत, प्रकाश व्यवस्था हेतु डाले गये टेण्डर का विवरण, सोडियम वेपर फिटिंग्स सम्बन्धी पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

91–श्री हरदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ में प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिये वर्ष 1996 में कोई निविदा प्रकाशित की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि टेण्डर डालने वाले फर्मों के नाम और दर तथा कार्य किसको-किसको दिया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 250 वाट सोडियम वेपर फिटिंग्स कहां-कहां लगाये गये ? कितने पोलों पर आज तक फिटिंग्स नहीं बंधी है ? क्या इस संबंध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 23-9-96, 14-1-97, 1-2-97, 30-1-97 तथा रुपये 113880.00 के घपला सम्बन्धी एक और पत्र दिनांक 23-9-96 जोकि माननीय नगर प्रमुख एवं मुख्य नगर अधिकारी को सम्बोधित थे प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

टेण्डर डालने वाली फर्मों के नाम, दरें एवं दिये गये कार्य का विवरण उपलब्ध है ।

लगाये गये 250 वाट सोडियम वेपर फिटिंग्स का विवरण उपलब्ध है ।

जी हां ।

सन्दर्भित पत्रों में वर्णित बिन्दुओं पर मा० नगर प्रमुख एवं तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त उन्हें निक्षेपित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

92–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

93–श्री भारत सिंह रावत–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी में रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी तक गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत की मांग

94–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–66 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी (शान्ति शिक्षा मन्दिर) तक जाने वाली सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण जल भराव हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पुनर्लेपन एवं मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

सड़क मरम्मत के कार्य हेतु कार्यादेश दिया जा चुका है । जल निकासी हेतु सड़क के किनारे की नाली की सफाई का कार्य किया जा रहा है । पानी निकल जाने के उपरान्त तत्काल सड़क की मरम्मत का कार्य करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित नवीन नगर हसनगंज बावली, कैम्पवेल रोड में खड़ंजा, नाली आदि बनाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला नवीन नगर हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पवेल रोड, लखनऊ के नागरिकों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1999 जो उक्त मोहल्ले में मिट्टी भराई, नाली खड़ंजा, जल निकासी विषयक कार्य कराये जाने हेतु था, श्री अतुल कुमार, सदस्य, विधान सभा के कवरिंग पत्र सहित मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

दो गलियों में नाली खड़न्जा का निर्माण कार्य करा दिया गया है । एक गली में नाली तथा सोलिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और उसका शेष कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ सआदतगंज वार्ड के मुहल्लों की जल निकासी हेतु स्वीकृत नाले का अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग

96–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सआदतगंज वार्ड लखनऊ के मोहल्लों की स्थाई जल निकासी हेतु एक नाला जो धनिया महरी पुल, आलमनगर रोड, लखनऊ से कैम्पवेल रोड (एक्जान स्कूल के सामने) वरदान टेन्ट हाउस तक या उससे अधिक दूरी तक बनाये जाने हेतु स्वीकृत हुआ है ? यदि

हां, तो क्या उक्त नाले का कुछ कार्य कराने के बाद रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? प्रस्तावित नाले का शेष कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

वर्षा ऋतु एवं नाले के रलाइनमेन्ट में अतिक्रमण होने के कारण कार्य रोक दिया गया था ।

प्रस्तावित नाले का शेष कार्य अतिक्रमण हटाकर कराया जा रहा है । कार्य प्रगति पर है ।

लखनऊ स्थित नवीन नगर, हसनगंज बावली कैम्पबेल रोड लखनऊ में नया ट्रांसफार्मर लगाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री अफजाल अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली (एक्जान इण्टर कालेज के सामने) कैम्पबेल रोड, लखनऊ के नागरिकों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 5 मई, 1999 जो बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगाने विषयक था, श्री राजकुमार अग्रवाल सदस्य, विधान परिषद् के कवरिंग लेटर सहित मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? उक्त क्षेत्र में कब तक नया ट्रान्सफार्मर लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अधिक क्षमता का नया ट्रान्सफार्मर दिनांक 25-5-99 को लगा दिया गया है जिससे विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित मोहल्ला नवीन नगर हसनगंज बावली कैम्पबेल रोड की नाली, खड़न्जा, स्ट्रीट लाइट का कार्य पूर्ण कराने की मांग

98–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को जनाकारी है कि मोहल्ला-नवीन नगर हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पबेल रोड, लखनऊ में वर्ष 1998-99 में दो गलियों में मिट्टी भराई, नाली, खड़न्जा तथा ट्यूब लाईट आदि कार्य नगर निगम द्वारा कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस मोहल्ले की शेष गलियों में उक्त सभी कार्य कराये जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव का पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1999 पर मा० नगर विकास मंत्री जी के कैम्प कार्यालय के डिस्पैच सं० 1826/वी०आई०पी०/दिनांक 17-4-99 द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो पत्र में इंगित गलियों के उक्त कार्यों को कब तक सरकार पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

कार्य स्थल पर एक गली का सुधार कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ स्थित-फातिमा नगर मुहीबुल्लापुर की नाली खड़ंजा आदि का कार्य पूर्ण कराने की मांग

99–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला-फातिमा नगर मुहीबुल्लापुर, लखनऊ के नागरिकों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 मई, 1999 श्री अफजाल अहमद, विधायक के कवरिंग पत्र सहित जो मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को नाली तथा खड़ंजा आदि का कार्य कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

स्थल का सर्वेक्षण करा लिया गया है । आगणन तैयार किया जा रहा है । कार्य सम्पादन उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत वरीयता क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी समिति/सदन की स्वीकृति के उपरान्त कराये जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स फैक्ट्री मोहनलाल गंज लखनऊ के कर्मचारियों का शोषण रोकने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

100–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि यू०पी० एस्बेस्टास सीट्स फैक्ट्री मोहनलालगंज, लखनऊ के पदाधिकारियों, प्रबन्धन द्वारा कार्यरत कर्मचारियों का शोषण करने, अनियमित फैक्ट्री संचालन हेतु इक्कीस बिन्दुओं की जांच विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी० एम०/वी० को०/एम–1/गोण्डा/21445/99 दिनांक 19-3-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां, विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०–1/21444/गोण्डा/99 दिनांक 19-3-99 प्राप्त हुआ है ।

इक्कीस बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या–1,2,3,10,16,21 श्रम विभाग से सम्बन्धित नहीं है । 4,11,12 पर जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है । बिन्दु संख्या–5,6,7,13,14 व 15 पर जांचोपरान्त कोई अनियमितता नहीं पाई गई है । शेष बिन्दु संख्या–8, 9, 17, 18 19, व 20 पर जांच की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल बसन्तपुर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण का मामला

101–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर, पौड़ी गढ़वाल के चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत रु० 46,9200.00 की धनराशि से कितने

आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ? क्या यह सत्य है कि चिकित्सालय में स्वीकृति से अधिक आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

रु० 469200.00 के स्वीकृति के सापेक्ष्य 7 आवासीय भवन तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय उपकेन्द्र भवन का निर्माण प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा झूसी ट्रान्समिशन लाइन के अनुबन्ध में क्षतिपूर्ति का प्रकरण

102–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के० वी० अनपारा झूसी ट्रान्समिशन लाइन का अनुबन्ध संख्या–07/एपीटीपी/ओईसीएफ/यूपीएसईबी, दिनांक 23-1-96 को विद्युत 400 के० वी० पारेषण परिकल्पना मण्डल लखनऊ ने विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, इलाहाबाद को कब उपलब्ध कराया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सिविल स्कन्ध को देर से उपलब्ध कराने का क्या कारण था ? क्या दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर परिषद् को हुई क्षति की भरपायी करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत अनुबन्ध की प्रति जनपद स्कन्ध को दिनांक 22-1-97 को उपलब्ध करा दी गई थी ।

जनपद स्कन्ध को अनुबन्ध की प्रति समय से उपलब्ध करा दी गई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज में स्थित विद्युत सब स्टेशन में जे० ई० के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

103–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के वि० खं० माधोगंज में स्थित विद्युत सब-स्टेशन माधोगंज में जे०ई० का पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त है ? क्या इस कारण विद्युत संबंधी त्रुटियों का सुधार नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युत सब-स्टेशन में जे०ई० की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माधोगंज विद्युत गृह के लिए अवर अभियन्ता का कोई पद स्वीकृत नहीं है । उपलब्ध अवर-अभियन्ताओं के आधार पर उपकेन्द्र का कार्य देखा जाता है । इस समय श्री नत्थू लाल पराशर, अवर अभियन्ता द्वारा मल्लावां एवं माधोगंज उपकेन्द्र का कार्य देखा जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में स्व० ओम प्रकाश भटेले, सहायक अभियन्ता जल संस्थान को स्वीकृत समयमान वेतनमान का मामला निस्तारित करने की मांग

104–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय ओम प्रकाश भटेले, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, वाराणसी को समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–1246/बी०आई०पी० दिनांक 1-4-98 एवं पत्र दिनांक 11-2-99 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है और उक्त प्रकरण का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । इस संबंध मे प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–1246/बी०आई०पी० दिनांक 1-4-98 एवं 11-2-99 प्राप्त हुये हैं ।

स्व० श्री ओम प्रकाश भटेले सहायक अभियन्ता को समयमान वेतनमान की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या–2370/9-3-99–115पी०एफ०/91, दिनांक 13-7-1999 द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

वाराणसी में धोबियों के कपड़ा धोने की समस्या के निदान हेतु किये गये कार्यों की जानकारी

105–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी में धोबियों को गंगा घाट पर कपड़ा धोने से मना करने से उत्पन्न परिस्थिति के निराकरण हेतु वर्ष 1998 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई मंत्री जी को धोबियों के शिष्ट मण्डल से वार्ता करने को कहा था एवं जिसमें भवनिया पोखरी में एकत्रित मिट्टी को साफ कराने, समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने, चहारदीवारी का निर्माण एवं एक हैण्ड पम्प लगाने की बात तय हुई थी और एक माह में सभी कार्यों को कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक भी उक्त कार्यों के न होने से धोबियों के समक्ष कठिनाई जस की तस बनी हुई है ? क्या सरकार आश्वासन के अनुसार उक्त कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० सिंचाई मंत्री और धोबियों के शिष्ट मंडल के मध्य वार्ता के पश्चात् भवनिया पोखरी की सफाई एवं कपड़ा धोने हेतु पत्थर एवं ईंटें उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुये थे जिसे जल संस्थान एवं नगर निगम, वाराणसी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करा दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी नगर में रवीन्द्रपुरी कालोनी की समस्त जर्जर सड़कों/सीवर लाइनों को ठीक किये जाने की मांग

107–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में रवीन्द्रपुरी कालोनी की सभी सड़कें एवं सीवर व्यवस्था अत्यन्त जर्जर हो चुकी हैं जिससे आये दिन जल भराव की समस्या उत्पन्न होती रहती है एवं आवागमन में नागरिकों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी एवं नवाबगंज तथा काश्मीरीगंज मोहल्ले की सीवर लाइनों एवं सड़कों को दुरुस्त कराये जाने हेतु वाराणसी नगर निगम को सरकार निर्देश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासन के पत्र सं०–825ए/नौ–7–2000–153ए०क्यू०/99. दिनांक 15-02-2000 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र की सीवर लाइनों एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने हेतु नगर निगम, वाराणसी को समुचित निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में नगर विकास, पेयजल,जल निकासी, सीवर लाइन ठीक कराने हेतु विश्व बैंक द्वारा सहायता/कृत कार्यवाही

108–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास सचिव की अध्यक्षता मे सितम्बर, 98 में नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारियों की हुई बैठक में वाराणसी के पेयजल, जल निकासी एवं सीवर हेतु कौन से निर्णय लिये गये और उक्त योजनाओं को पूर्ण करने हेतु विश्व बैंक से सहायता हेतु क्या कार्यवाही की गयी और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु 122.89 करोड़ तथा जल निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु 207.98 करोड़ तथा सालिडवेस्ट मैनेजमेंट के कार्यों हेतु 12.30 करोड़ रु० की योजनायें जल निगम से विरचित कराई गई हैं । योजनायें विश्व बैंक से वित्त पोषित कराये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई हैं ।

जनपद सहारनपुर में मण्डल मुख्यालय पर श्रम न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री संजय गर्ग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1999 जो जनप सहारनपुर में मण्डल मुख्यालय पर श्रम न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में था, मुख्य मंः को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की परिकल्प नगर कानपुर रोड आवासीय कालोनी के सेक्टर–जी की सड़कों का डामरीकरण कराने की मांग

110–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की परिकल्प नगर, कानपुर रोड आवासीय कालोनी के सेक्टर–जी की सड़कों को डामरीकरण कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इन सड़कों पर डामरीकरण का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

111–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड कोट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहेड़ाखाल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक विधायक/103–शिक्षा/96-97 दिनांक 30 अप्रैल, 99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में विशाल खण्ड–1 गोमती नगर के भवन संख्या 1/843 से 1/854 एवं 1/812 से 1/823 तक प्रकाश व्यवस्था करने की मांग

112–श्री अक्षयवर लाल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि विशाल खण्ड–1 गोमती नगर लखनऊ के भवन संख्या 1/843 से 1/854 एवं 1/812 से 1/823 के सामने लगे पोल लाइट के राड विगत एक वर्ष से खराब हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त पोलों के ट्यूब लाइट्स कब तक ठीक करावेगी ? क्या यह सही है कि भवन संख्या–1/843 के आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान होने के कारण हमेशा अंधेरा बना रहने से चोरी की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन संख्या–1/843 के सामने एक सोडियम लाइट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विशाल खण्ड–1 गोमती नगर, लखनऊ के भवन सं०–1/843 से भवन सं०–1/854 के मध्य दो पोल लगे हैं, जिन पर लगे प्रकाश बिन्दु जलवा दिये गये हैं। भवन सं०–1/812 से 1/823 के मध्य तीन पोल लगे हैं, जिनमें दो पर ट्यूब फिटिंग लगी है, जिन्हें जलवा दिया गया है तथा एक पोल खाली है जिस पर कोई भी प्रकाश बिन्दु नहीं लगा है। भवन संख्या–1/843 के सामने 1×250 वाट की सोडियम फिटिंग लगा दी गयी है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के गांव पनाहपुर, रंजीतपुर आदि गांवों में विद्युतीकरण की व्यवस्था की मांग

113–श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के गांव पनाहपुर, रंजीतपुर आदि गांवों में बिजली नहीं है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में बिजली की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीया विधायक श्रीमती कृष्णा राज द्वारा वर्ष 1998-99 में ग्राम पनाहपुर के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया था, जिसका विद्युतीकरण दिनांक–28-8-99 को कर दिया गया है। रंजीतपुर राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि मजरा है उसमें बिजली नहीं है।

ग्राम पनाहपुर में बिजली की व्यवस्था कर दी गयी है। रंजीतपुर मजरा के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में ग्राम–हंसखेड़ा, पोस्ट–राजाजीपुरम्, आवास विकास कालोनी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग

114–श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–हंसखेड़ा, पोस्ट–राजाजीपुरम्, आवास विकास कालोनी, लखनऊ में ग्राम हंसखेड़ा के बगल से पक्की रोड निकलने के कारण गांव का पानी नहीं निकल पा रहा है तथा शिव मन्दिर के निकट जल भराव हो गया है जिससे गांव के लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जल की निकासी की समुचित व्यवस्था करायेगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

कार्य सम्पादन उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत वरीयता क्रम में नगर निगम कार्यकारिणी/मा० सदन की स्वीकृति के उपरान्त कराये जाते हैं।

उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के विकास कार्यों हेतु जिलेवार आवंटित व्यय का ब्यौरा

115–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों के लिये मार्ग, सेतु, विद्युत एवं शिक्षा आदि विकास कार्यों हेतु मण्डलवार कितनी-कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में वितरित की गयी है ? उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशियों का जिलेवार आवंटन/व्यय का ब्यौरा क्या है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स यू०पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज लखनऊ में मजदूरों को फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान

116–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स यू० पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज लखनऊ में कार्यरत मजदूरों को फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1999 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में फैक्ट्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार मजदूरों के हित में फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

फैक्ट्री में कार्यरत 133 कर्मकारों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान होते पाया गया है ।

जी हां ।

दिनांक 16-11-99 को कारखानें का निरीक्षण न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया गया था ।

जी हां ।

निरीक्षण के समय कार्यरत कर्मकारों को देय वेतन तथा दिये गये वेतन के अन्तर्गत भुगतान दिलाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी लखनऊ के समक्ष निर्देश वाद दायर किये जा चुके हैं तथा वाद में गुण दोष के आधार पर निर्णयोपरान्त नियमानुसार भुगतान करा दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेसर्स यू०पी० एस्बेस्टास सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज लखनऊ में लगे विद्युत कनेक्शनों के भुगतान में हुई अनियमितता का विवरण

117–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे शुक्रवार के ता० प्रश्न संख्या–6 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री पर वर्ष 1995-96, 1996-97 , 1997-98 में अलग-अलग वर्षवार बिल दिनांक एवं मीटर रीडिंग के साथ कितना-कितना विद्युत बिल बकाया था एवं वर्ष 1998-1999 जून तक उपरोक्तानुसार कितना बिल बकाया है ? लाखों की धनराशि विवादित होने के पश्चात् भी इसकी आर० सी० न जारी किये जाने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त भुगतान कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मीटर रीडिंग के विरुद्ध वर्षवार बकाया की स्थिति निम्न है :–

वर्ष	बकाया
1995-96	शून्य
1996-97	शून्य
1997-98	शून्य
1998-99	शून्य

इस उपभोक्ता ने बिलिंग पूर्व में विरल विधा के अन्तर्गत हो रही थी परन्तु सचिव सेस के आदेश पर माह 10/89 से 2/95 तक की बिलिंग दिनांक 1-4-95 को एक साथ अविरल विधा में कर दी गयी, जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा नहीं किया गया । इसी विधा के अन्तर की धनराशि रु० 11.30 लाख दिनांक 1-4-95 से अब तक बकाया के रूप में चली आ रही है ।

उपभोक्ता मे० यू०पी० एस्बेस्टस लि० को सेक्शन 3 में नोटिस जारी की गयी थी जिस पर उपभोक्ता द्वारा आपत्ति की गयी तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदन दिया गया जो अभी विचाराधीन है ।

उपभोक्ता का प्रतिवेदन निस्तारित होते ही तत्काल भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

118–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपारा उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पूर्ण होने की तिथि क्या निर्धारित थी एवं कितना कार्य पूरा हो गया तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? उक्त कार्य निर्धारित अवधि तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? इस लाइन पर प्राइस बैरीएशन 30-8-99 तक मेसर्स एस०ए०ई० एवं मेसर्स हुण्डई सहित अन्य ठेकेदारों को कितना भुगतान किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

800 के०वी० अनपारा उन्नाव ट्रांसमीशन लाइन के निर्माण पूर्ण होने की तिथि जून, 1998 निर्धारित थी । 99.57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । शेष कार्य चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूर्ण हो जायेगा ।

निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने का प्रमुख कारण सोन एवं गंगा नदी में बनने वाले टावरों की विशेष नीवों के प्रकार निर्धारण में विलम्ब तथा लाइन के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब तथा लाइन के निर्माण हेतु जंगल की कटाई एवं निर्माण हेतु वन विभाग से अधिकार की अनुमति में विलम्ब आदि है ।

इस लाइन पर प्राइस वैरीएशन के रूप में 30-8-99 तक मैसर्स एस०ए०ई० एवं मैसर्स हुण्डई सहित अन्य ठेकेदारों को हुआ भुगतान निम्नवत् है :–

मे० एस०ए०ई०	रु० 6.41 करोड़
मे० हुण्डई	रु० 6.14 करोड़
जापानीयेन	रु० 2.17 करोड़
मे० मिडाल	रु० 0.16 करोड़
जापानीयेन	रु० 1.34 करोड़
मे० अपार	रु० 1.60 करोड़

जनपद इलाहाबाद में आशुतोष सहकारी आवास समिति लिमिटेड के पदाधिकारियों के नाम व पते की प्रमाणिकता की जानकारी

119–श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आशुतोष सहकारी आवास समिति लिमिटेड, इलाहाबाद पंजीकृत संख्या–1604 के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम तथा पोस्टल पते क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि इनमें से अधिकतर नाम फर्जी हैं ? क्या सरकार इस समिति का वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 का आय-व्ययक का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आशुतोष सहकारी आवास समिति लिमिटेड इलाहाबाद पंजीकृत संख्या–1604 के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम एवं पोस्टल पते के विवरण की प्रति संलग्न है । †

जी नहीं ।

जी हां । विवरण की प्रति संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा द्वारा अनियमितता के संबंध में शिकायती-पत्र

120–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा द्वारा निविदा सं०–12, 13, 14 एवं 15/98-99 में भारी आर्थिक अनियमितता बरतने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा ने अपने पत्र दिनांक 11-5-99 एवं 14-5-99 द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित निविदा सं०–14 एवं 15/98-99 निरस्त कर दिया गया है । निविदा सं०–12 एवं 13/98-99 ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करके निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा उन्नाव लाइन से संबंधित पत्र/कृत कार्यवाही

121–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य मंत्री सचिवालय से प्राप्त पत्र सं० प्रेस/149/सी०एम०–2/98 दिनांक 4-2-98 जोकि 800 के०वी० अनपरा उन्नाव लाइन से संबंधित था और जो अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पत्र में संदर्भित आरोप निराधार थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सचिव द्वारा स्थानान्तरण में धांधली संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

122–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव द्वारा स्थानान्तरण में भारी धांधली की सी०बी०सी०आई०डी० जांच संबंधी माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 26-5-99/3-6-99 जोकि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगर निगम द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिये गये कर्ज तथा उस पर देय ब्याज की जानकारी

123–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम ने विभिन्न संस्थाओं से अब तक कितना कर्ज लिया है, जो उनके द्वारा चुकाया जाना शेष है । उस पर कुल कितना ब्याज देय है ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, वाराणसी को अब तक विभिन्न संस्थाओं (राज्य सरकार) से कुल रुपया 5,66,64,850.00 ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में मूल धनराशि रुपया 3,51,25,694.50 एवं ब्याज की धनराशि रुपया 4,03,62,642.33 देय है।

प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु विद्युत शवदाह गृह बनाये जाने की मांग

124–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा-गोमती तथा अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सभी स्थानों पर विद्युत शवदाह गृह की स्थापना हेतु सरकार की कोई योजना है ? क्या इस हेतु शुल्क कम लेकर लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु आधा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने के लिये राज्य सरकार केन्द्र से वार्ता करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश की प्रमुख नदियों के किनारे बसे 20 नगरों में विद्युत उन्नत काष्ठ शवदाह गृह की स्थापना की योजना है।

प्रश्नगत योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसके अन्तर्गत रख-रखाव के व्यय का प्राविधान नहीं है।

वाराणसी में टाउन हाल स्थित जर्जर गांधी भवन का जीर्णोद्धार कराने की मांग

125–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में टाउन हाल स्थित गांधी भवन की दयनीय दशा से सरकार परिचित है ? क्या गांधी भवन के ऊपरी मंजिल के सभी कमरे वाराणसी नगर निगम के कब्जे में हैं ? क्या सरकार उक्त गांधी भवन के हाल को सुसज्जित करने एवं ऊपरी मंजिल के कमरों की दशा को सुधारने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

गांधी भवन के ऊपरी मंजिल में दो कमरे हैं, जिनमें से एक नगर निगम के तथा दूसरा श्री राजू द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता के कब्जे में है।

जी हां।

धन की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

126–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु कोई पांच करोड़ रुपये की योजना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और क्या सरकार ने उक्त योजना हेतु पांच करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पनाहपुर रंजीपुर में विद्युतीकरण की मांग

128–श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पनाहपुर, रंजीपुर का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो वहां कब तक विद्युतीकरण की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विकास खण्ड पसगवां के ग्राम पनाहपुर का वर्ष 1998-99 में माननीया श्रीमती कृष्णा राज विधायक द्वारा विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया था जिसका विद्युतीकरण दिनांक 28-8-99 को कर दिया गया है । ग्राम रंजीपुर राजस्व गांव नहीं है बल्कि मजरा है । इस मजरे के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में टाउन एरिया कुरसठ में पानी की टंकी को चालू न करने की जानकारी

129–श्री संजय गर्ग–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में टाउन एरिया कुरसठ में पेयजल हेतु पानी की टंकी (पम्प) का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त टंकी को अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लालजी टण्डन–

. जी हां ।

टंकी वर्ष 88 में चालू कर दी गई थी परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा हस्तगत न करने के कारण योजना वर्ष 1990 से बन्द है ।

लखनऊ गोमती नगर स्थित विशाल खण्ड में ''अमर शहीद'' कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के मकान के पीछे अनधिकृत कब्जा हटवाने तथा उसे आदर्श कालोनी विकसित करने की मांग

130–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि विशाल खण्ड–1 गोमती नगर लखनऊ में ''अमर शहीद'' कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के मकान के पीछे भवन संख्या–1/812 से 1/823 के सामने पार्क में अनाधिकृत कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवा कर पार्क को पूर्ण विकसित तथा वृक्षारोपण कराकर उक्त कालोनी को आदर्श कालोनी के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उक्त पार्क से अनाधिकृत कब्जा हटवा दिया गया है । स्थानीय निवासियों द्वारा पार्क के रख-रखाव करने की मौखिक सहमति दिये जाने के उपरान्त पार्क में आवश्यक मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि कार्य पूर्ण करा दिया गया है । प्राधिकरण अपनी सभी आवासीय योजनाओं में सभी आवश्यक सेवायें आदि उपलब्ध करातीं है तथा संसाधनों की सीमा में उनके रख-रखाव की व्यवस्था करती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में महाराणा प्रताप, अवन्तीबाई, झलकारी बाई की भांति गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

131–श्री अक्षयवर लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप, अवन्तीबाई, झलकारीबाई की भांति गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा लखनऊ नगर के किसी चौराहे पर लगायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम् कालोनी ब्लाक डी में स्वीकृत पेयजल समस्या के समाधान की मांग

132–श्री अक्षयवर लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजाजीपुरम् कालोनी डी० ब्लाक में पेयजल समस्या के समाधान हेतु इस वर्ष स्वीकृत नये ट्यूबवेल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा तथा उक्त ट्यूबवेल कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मार्च, 2000 तक पूर्ण करने का प्रयास है ।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल कमिश्नरी के हेमकुण्ड स्थल तक मार्ग निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण तथा वृक्षों के कटान आदि की कीमत की जानकारी

133–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नरी के हेमकुण्ड स्थल तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाया जा रहा है, उस पर कुल अनुमानित लागत का प्राक्कलन क्या है ? उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल कितने क्षेत्रफल एवं कीमत की भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? उक्त मार्ग में पड़ने वाले कुल कितने कीमत के वृक्षों का कटान सम्भावित है ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

रु० 553.15 लाख । धनराशि की व्यवस्था श्री शिरोमणि संत खालसा इण्टर साहिब (निकर लेक) चण्डीगढ़ द्वारा की जायेगी ।

भूमि अभी अधिग्रहीत नहीं की गई है ।

वृक्षों की कीमत का अभी आंकलन नहीं किया गया है ।

जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष 25 ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

134–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण एक वर्ष में किये जाने का प्राविधान किया गया है ? क्या इससे विधायक के पांच वर्षों के कार्यकाल में केवल पच्चीस ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया जाना सम्भव होगा ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र में 25 ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं । शासन द्वारा माननीय सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रस्ताव पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण केवल वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में कराए जाने का प्राविधान किया गया है ।

जी नहीं ।

क्योंकि शासकीय नीति के अनुसार इसका प्राविधान नहीं है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड–बदलापुर के अम्बेडकर ग्राम हकारपुर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कतिपय अपात्र व्यक्तियों के आवास आवंटन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

135–श्री अफजाल अहमद–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड–बदलापुर जनपद जौनपुर के अम्बेडकर ग्राम हकारपुर में श्री भभूति खरवार, केदारनाथ खरवार एवं रामचन्द्र खरवार को इन्दिरा आवास वर्ष 1996-97, 1997-98 में इनकी पत्नियों को आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त तीन में से दो व्यक्ति सल्तनत बहादुर इण्टर कालेज, बदलापुर में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं ? यदि

हां, तो क्या खण्ड विकास अधिकारी, बदलापुर अपात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने के दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राधेश्याम कोरी–

श्री भभूति खरवार, श्री केदारनाथ खरवार तथा श्री रामचन्द्र खरवार के नाम अथवा उनकी पत्नियों के नाम वर्ष 96-97, 97-98 में कोई इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया गया । ग्राम हकारपुर वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था और उस वर्ष कुल 28 इन्दिरा आवास आवंटित किए गये थे, जिसमें से उपरोक्त तीनों व्यक्तियों या उनकी पत्नियों के नाम कोई इन्दिरा आवास आवंटित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में श्री जे० एन० कौड़ा नगर नियोजक विकास प्राधिकरण के विरुद्ध गम्भीर आरोप-पत्र

136–श्री विश्वनाथ–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में तैनात श्री जे० एन० कौड़ा नगर नियोजक विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विरुद्ध गम्भीर आरोप की जांच आख्या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण वाराणसी के पत्रांक 45/वि०प्रा०/सचिव/98-99 दिनांक 12-6-98 द्वारा सचिव, आवास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

संदर्भित पत्र दिनांक 12 जून, 1998 द्वारा उपाध्यक्ष द्वारा अनियमितताओं के संबंध में कोई प्रारम्भिक जांच आख्या न भेजते हुए आरोप-पत्र का आलेख भेजा गया था । परन्तु श्री कौड़ा द्वारा अनियमिततायें बरते जाने पर शासन की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए कोई जांच–आख्या अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये ।

तद्नुसार प्राधिकरण से प्रारम्भिक जांच–आख्या हेतु अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अभी तक उपलब्ध न हो पाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में टिकैत राय राजकीय सचिवालय कालोनी के फेज–2 व 3 में हैण्ड पम्पों को चालू कराने की मांग

137–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय टिकैतराय सचिवालय कालोनी लखनऊ के फेज–2 व 3 में कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? उनमें से कितने हैण्ड पम्प खराब हैं तथा कितने कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि कालोनी में फेज–3 में मात्र एक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प वर्तमान समय में कार्यरत है बाकी समस्त हैण्ड पम्प खराब हैं ? यदि हां, तो उक्त हैण्ड पम्प ठीक कराकर कब तक चालू करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

राजकीय टिकैतराय सचिवालय कालोनी फेज–2 में 8 नग हैण्ड पम्प एवं फेज–3 में एक नग इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है ।

इनमें से 2 हैण्ड पम्प खराब हैं तथा 7 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

उक्त खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करके चालू करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है ।

यू०पी० एस्बेस्टास सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज, लखनऊ में जून, 1999 तक विभिन्न क्षमता के स्वीकृत विद्युत कनेक्शनों की जानकारी

138–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–102 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1999 तक फैक्ट्री में अलग-अलग कितनी क्षमता का लोड स्वीकृत है और इसके लिये फैक्ट्री द्वारा कब-कब किस तिथि को आवेदन किया गया एवं किस-किस तिथि को उक्त लोड किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

1–जून, 99 यू० पी० एस्बेस्टास (स्बेस्टास) डिवीजन मोहनलालगंज स्वीकृत भार 900 के०वी०ए० जून, 99 यू०पी० एस्बेस्टास (सीमेंट डिवीजन) मोहनलालगंज स्वीकृत भार 950 के०वी०ए० ।

(1) यू०पी० एस्बेस्टास (एस्बेस्टास) डिवीजन आवेदन की तिथि 1974–500 के०वी०ए० ।

(2) भार स्वीकृत की तिथि 1974-500 के०वी०ए० ।

(3) भार स्वीकृत अधिकारी उ० प्र० रा० वि० प० भार कम करने हेतु 500 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० करने हेतु आवेदन की तिथि 28-11-89–400 के०वी०ए० भार कम करने की तिथि 1-1-90–400 के०वी०ए० भार कम करने वाले अधिकारी–महाप्रबन्धक सेस श्री आर० एस० गुप्ता । पुनः 400 के०वी०ए० से 900 के०वी०ए० भार बढ़ाने हेतु–

(1) आवेदन की तिथि 14-10-96–900 के०वी०ए०

(2) भार स्वीकृत करने की तिथि– 15-3-97 कुल 900 के०वी०ए० ।

(3) भार स्वीकृत करने वाला अधिकारी–मंडलीय उद्योग बन्धु समिति लखनऊ ।

2–यू० पी० एस्बेस्टस (सीमेंट डिवीजन) आवेदन की तिथि 31-5-95–950 के०वी०ए० ।

स्वीकृति की तिथि 13-11-95–950 के०वी०ए० स्वीकृत करने वाला अधिकारी सचिव, सेस लखनऊ श्री प्रेम शंकर ।

यू०पी० एस्बेस्टास सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज, लखनऊ के मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में हुई अनियमितता की जांच

139–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–100/101 के उत्तर के संदर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस सक्षम प्राधिकारी के न्यायालय में निर्देश वाद प्रस्तुत किये जा चुके हैं ? क्या प्रतिदिन मजदूरी रेट रु० 64.45 पैसे का भुगतान मजदूरों को कराया

जायेगा ? क्या वर्षों से कार्यरत मजदूरों को डिफरेन्स अवशेषों का भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । विहित प्राधिकारी/उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र के समक्ष निर्देश वाद प्रस्तुत किये जा चुके हैं ।

अन्तर धनराशि का भुगतान गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने के उपरान्त कराया जायेगा ।

जी हां ।

गुण-दोष के आधार पर निर्णय होने के उपरान्त डिफरेन्स अवशेषों का भुगतान कराया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेरठ में आधुनिक पशु वधशाला का निर्माण कराने की मांग

140–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर निगम के कमेले के वर्तमान स्वरूप के परिवर्तन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अब तक न लागू हो पाने का क्या कारण है ? उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आधुनिक पशु वधशाला के निर्माण के लिए केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरठ नगर निगम द्वारा प्रेषित योजना स्वीकार कर ली गई है व रु० 10.00 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ नगर में नालों की सफाई एवं पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने विषयक योजना की जानकारी

141–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर के नालों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

धनराशि की उपलब्धता के आधार पर मेरठ नगर के नालों की सफाई तथा जल–निकासी की व्यवस्था समय-समय पर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जोन में विद्युत देयों से विद्युत परिषद को हो रहे घाटे तथा निरन्तर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

142–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेरठ जोन से विद्युत देयों से विद्युत परिषद को कितना-कितना घाटा होता है ? उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार आय के अनुपात में मेरठ जोन में बाधा रहित निरन्तर विद्युत आपूर्ति करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् को मेरठ क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में ऊर्जा विक्रय में रुपये : 550.34 करोड़ का घाटा हुआ । सम्प्रेक्षित वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखा के अनुसार विवरण :–

(1) मेरठ क्षेत्र में विक्रय की गई ऊर्जा 6117 मि० यू०,

(2 मेरठ क्षेत्र में ऊर्जा विक्रय की औसत दर 168.82 पैसे/यूनिट,

(3) औसत लागत दर 258.79 पैसे/यूनिट,

(4) घाटा प्रति यूनिट–89.97 पैसे एवं,

(5) मेरठ क्षेत्र में ऊर्जा विक्रय का कुल घाटा रु० 550.34 करोड़ ।

जी नहीं । शासन की नीति एवं समय-समय पर प्रदेश में विद्युत उपलब्धता के आधार पर ही विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

143–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[दिनांक 27-3-2000 को अता० प्र० सं०–184 द्वारा उत्तरित]

144–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दिनांक 3-1-2000 को अता० प्र० सं०–78 द्वारा उत्तरित]

वाराणसी की सड़कों एवं गलियों में केबुल बिछाने या अन्य कार्य हेतु रोड ओपनिंग के मद में विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त धनराशि आदि की जानकारी

145–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 31 जनवरी, 1999 तक नगर निगम वाराणसी की सड़कों एवं गलियों में केबुल बिछाने या अन्य कार्य हेतु रोड ओपनिंग के मद में टेलीफोन विभाग तथा अन्य विभाग से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और क्या उक्त खोदे गये सड़कों का पुनर्निर्माण वाराणसी नगर निगम द्वारा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, वाराणसी को दूर–संचार विभाग से वित्तीय वर्ष 1995-96 में धनांक रुपया–11,66,229.00, वर्ष 1996-97 में रुपया–31,33,365.00, वर्ष 1997-98 में रुपया–83,72,406.00 तथा 31 जनवरी, 1999 तक रुपया–40,07,760.00 की धनराशि प्राप्त हुयी है । इसके अतिरिक्त अन्य किसी विभाग से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है तथा उक्त वर्षों में कुल 148 स्थानों पर खोदी गयी सड़कों

का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 08 स्थानों का पुनर्निर्माण कार्य अगले 3 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम सीमान्तर्गत कालोनियों में पक्की सड़क, प्रकाश व्यवस्था एवं नियमित सफाई व्यवस्था कराने की मांग

146–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम सीमा में कितनी कालोनियां हैं जहां के निवासी गृह कर एवं सीवर कर आदि देते हैं परन्तु वहां पक्की सड़क, प्रकाश व्यवस्था एवं नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है ? सभी प्रकार के कर लेने के बावजूद भी उक्त कालोनी वासियों को नागरिक सुविधायें उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ? उक्त सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, वाराणसी की सीमान्तर्गत कुल 232 कालोनियां हैं जिनसे गृह कर व सीवर कर लिया जाता है। इनमें से 86 कालोनियां विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हैं किन्तु नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हैं और 186 कालोनियां अनधिकृत रूप से विकसित हैं। उक्त कालोनियों में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी की नियुक्ति कर समय-समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। प्रश्नगत कालोनियों का हस्तान्तरण न होने के कारण नागरिक सुविधा हेतु पक्की सड़क तथा प्रकाश व्यवस्था आदि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में क्षेत्र मल्लावां के घोषित अम्बेडकर गांवों में विद्युतीकरण कराने की मांग

147–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम सेउड़ही के मजरा लखाही, देवीदीन पुरवा, बन्दीपुरवा, नन्दापुरवा, ओपलपुरवा एवं गोसाई मढ़िया का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 के अनुसार इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

रेस्पो के पत्रांक 2240/रेस्पो ग्रा० वि० दिनांक 10-4-97 सहपठित पत्रांक 6019/रेस्पो/ग्रा० वि० दिनांक 17-6-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्रामों के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं उसके मजरों के विद्युतीकरण हेतु 03 करोड़ 15 लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी। इसके सापेक्ष मात्र दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम एवं उसकी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण सम्भव हो पाया है। सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

148–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम बढ़ैया खेड़ा के मजरा जूरा, तकिया, चौबेपुरा, धनीगंज, कमालगंज का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो ग्रा० वि० दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

रेस्पो के पत्रांक–2240–रेस्पो/ग्रा० वि० दिनांक 10-4-97 सहपठित पत्रांक 6019/रेस्पो/ग्रा० वि० दिनांक 17-6-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्रामों के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद में कोई धनराशि न होने के कारण कराना सम्भव नहीं हैं । वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं उसके मजरों के विद्युतीकरण हेतु तीन करोड़ 15 लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी । इसके सापेक्ष मात्र दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम एवं उसकी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण सम्भव हो पाया है । सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

149–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम रोइया के मजरा, मितानपुरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 10-4-97 के क्रम में कब तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रश्नगत मजरे का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

संसाधन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत मजरे का विद्युतीकरण कराया जा सकेगा । इसलिए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

150–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम कुरसठ बुजुर्ग के मजरा मिर्जागंज, परौली–दिवियापुर, ढेढुई पुरवा, रूद्रपुरवा, तकिया भभूति, बेनीपुरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? शासन के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा० वि० दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां,

संदर्भित मजरा का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

रेस्पो के पत्रांक 2240–रेस्पो/ग्रा० वि०/दिनांक 10-4-97 सहपठित पत्रांक–6019/रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 17-6-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्रामों के सभी मजरा का विद्युतीकरण इस मद में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं उसके मजरों के विद्युतीकरण हेतु 3 करोड़ 15 लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी । इनके सापेक्ष मात्र दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम एवं उसकी अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण हो पाया है । सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम बरौना के मजरा सुल्तानपुर व नटपुरवा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं कराया गया है ? शासन के पत्रांक 2240 रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक इन ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां,

संदर्भित मजरा का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ।

रेस्पो के पत्रांक 2240 रेस्पो/ग्रा०वि०/दिनांक 10-4-97 सहपठित पत्रांक–6019–रेस्पो/ग्रा०वि० दिनांक 17-6-97 के अनुसार चयनित अम्बेडकर ग्रामों के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना सम्भव नहीं है ।

वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्राम एवं उसके मजरों के विद्युतीकरण हेतु तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी । इसके सापेक्ष मात्र दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया, जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम एवं उसकी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण हो पाया है । सम्प्रति कोई धन अवशेष न होने के कारण प्रश्नगत मजरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

जनपद लखनऊ वार्ड बालागंज ग्राम बरावन कलां मुन्नूलाल की बगिया के ट्रान्सफार्मर को बदले जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

152–श्री विश्वनाथ–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह सदस्य विधान सभा का माह दिसम्बर, 1998 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च, 1999 के पत्र जो ग्राम बरावनकलां मुन्नू लाला की बगिया वार्ड बालागंज, जनपद लखनऊ में लगा ट्रान्सफारमर बदले जाने के सम्बन्ध में थे, उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ट्रान्सफारमर कब तक बदल दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिवर्तक बदलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि न्यूट्रल खराब था जिसे ठीक कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में ग्लोबल टेण्डर हेतु विदेशी ठेकेदार/अन्य द्वारा मास्टर पर्ट नेटवर्क न प्रस्तुत करने से हुई क्षति के सम्बन्ध में पत्र तथा कार्यवाही

153–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ग्लोबल टेण्डर में विदेशी ठेकेदार एवं अन्य द्वारा मास्टर पर्ट नेट वर्क न प्रस्तुत करने से परिषद् को 220 करोड़ की क्षति होने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान सांसद का पत्र दिनांक 10-8-99 जोकि मुख्य मंत्री जी, मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ के अनुभाग–5 द में हुई गुण्डागर्दी संबंधी जांच की जानकारी

154–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य **विद्युत परिषद् के** अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ के अनुभाग–05 द में दिनांक 8-4-99 को की गयी गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में मा० नरेन्द्र सिंह शिशौदिया सहित तीन विधायकों के पत्र दिनांक 4-5-99 एवं मा० महेन्द्र कुमार वाल्मीकि विधायक का पत्र दिनांक 15-7-99 पर जांच अधिकारी श्री जगदीश कुमार, निदेशक (कार्मिक) द्वारा जांच कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विस्तृत जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा० सदस्य द्वारा किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

800 के०वी० अनपरा–उन्नाव ट्रांसमीशन लाईन में 45 मीटर से ऊंचे टावर की पेन्टिंग में व्यय धनराशि में हुई अनियमितता

155–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाईन में 45 मीटर से ऊंचे कितने टावर किन-किन लोकेशन पर है ? क्या 45 मीटर से ऊंचे टावर के पेन्टिग की विभागीय दर निर्धारित कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पेन्टिग जैसे सिविल कार्य को इलेक्ट्रिकल अभियन्ता श्री आर० एल० सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा निविदा सं०–9 ई०ई० (सी)/99–2000 प्रकाशित कराने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सत्य है कि इसके पहले लगभग 1.00 करोड़ की फर्जी पेन्टिग के आदेश

श्री परशुराम सिंह, पूर्व सचिव श्री एन० डी० गुप्ता, मुख्य अभियन्ता (पारेषण) द्वारा कराया गया था जो निरस्त किया गया ? यदि हां, तो इसमें दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

800 के०वी० अनपरा–उन्नाव ट्रांसमीशन लाईन में 45 मीटर से ऊंचे कुल 135 टावर हैं जिनकी लोकेशन संख्या संलग्न सूची में उल्लिखित है ।

जी नहीं ।

यह नियमित (रेगुलर) कार्य नहीं है । इस प्रकार के कार्य आने पर खुली निविदायें आमंत्रित करके दर सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित हो जाने पर निश्चित होती है ।

टावर्स की पेन्टिंग के कार्य को सिविल (जनपद) संगठन द्वारा कराये जाने हेतु कोई नियम नहीं है । इस प्रकार के कार्य पारेषण स्कन्ध द्वारा ही कराये जाते रहे हैं । अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

जी नहीं । नागरिक वैमानिक (सिविल एवियेशन) की वैधानिक आवश्यकता के कारण कार्य को टेण्डर आमंत्रित कर निविदा निर्णीत की गई थी । इन निविदाओं को कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही निरस्त कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 155 पर ।)

156–157–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

प्रदेश के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न दिये जाने के संबंध में जानकारी

158–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार के श्रम विभाग के निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने हेतु क्या सरकार कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराने की मांग

159–श्री संजय गर्ग–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ में क्या स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ में विद्युत खम्भों में स्ट्रीट लाइट के तार लगाकर स्ट्रीट लाइट कनेक्शन, मीटर लगाकर दे दिया गया है । खम्भों में स्ट्रीट लाइट फिटिंग का कार्य टाउन एरिया द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खम्भों में स्ट्रीट लाइट फिटिंग का कार्य टाउन एरिया द्वारा किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

160–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

लखनऊ शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग

161–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में बदबूदार पेयजल आपूर्ति की जा रही है ? क्या इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके निवारणार्थ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पेयजल की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है और इसकी नियमित जांच की जाती है ।

लखनऊ नगर में स्थित विशाल खण्ड 1 गोमती नगर के भवन संख्या–1/823 से 1/812 के पास स्थित पार्क के अवैध कब्जा को हटाने की मांग

162–श्री अक्षयवर लाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशाल खण्ड–1 गोमती नगर लखनऊ के भवन संख्या 1/823 से 1/812 के सामने स्थित पार्क से अनधिकृत कब्जा हटवाने आदि के विषय में श्री दीप लाल भारती स०वि०स० का पत्र दिनांक 9 मार्च, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या-क्या हैं एवं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्राप्त होने के उपरान्त पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण भेजा गया था, परन्तु प्राधिकरण में पत्र उपलब्ध न होने पर पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जानकारी हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मा० सदस्य, श्री दीपलाल भारती से व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि पत्र विशाल खण्ड के भवन संख्या–1/623 से 1/812 के सामने बने पार्क से अतिक्रमण हटाने के संबंध में था । उक्त पार्क से अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र के अधीन स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

163–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), लखनऊ के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, नो क्यों ? उक्त कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन किस नियम के तहत आहरित किया जा रहा है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०) के अधीन अधिकारियों के कुल 19 तथा कर्मचारियों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध क्रमशः 19 अधिकारी तथा 73 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी हां । कर्मचारी स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्यत्र इकाइयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध वेतन आहरित किया जा रहा है ।

164–श्री हरदेव सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ की सेवा समाप्ति के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया के पत्र क्रमशः दिनांक 9-4-99 एवं 30-6-98 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा०वि०प० एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सम्बोधित हैं और जो सचिव एवं अपर सचिव द्वारा प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ की सेवा समाप्ति की सी० बी०आई० से जांच कराने के सम्बन्ध में थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 9-4-99 प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र दिनांक 30-6-98 तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

पत्र दिनांक 9-4-99 में उल्लिखित प्रकरण की जांच तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई से करायी गयी । जांच आख्या शासन के परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ क्षेत्र कार्यालय के अधिष्ठान अनुभाग में उपस्थित पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर के प्रकरण पर शिकायती-पत्र एवं कार्यवाही की मांग

166–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को सम्बोधित लखनऊ क्षेत्र कार्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान अनुभाग में उपस्थित पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर की हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट द्वारा जांच कराकर दोषियों को बर्खास्त करने सम्बन्धी श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 10-9-99 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री बी०आर०के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य मण्डल, लखनऊ को दिनांक 11-11-99 को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ में प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गढ़रोड, विश्वविद्यालय तिराहे पर मूर्ति स्थापना तथा स्टेडियम का नाम उनके नाम से रखने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी

167–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पूर्व शिक्षा एवं वित्त मंत्री तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गढ़रोड मेरठ (वि०वि० तिराहे पर) में मूर्ति स्थापना तथा मेरठ स्थित स्टेडियम का नामकरण उनके नाम पर करने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है अथवा शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन उस पर कब तक निर्णय लेकर उसे लागू करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

नगर निगम के सभासदों को संकल्प के अधिनियम की धारा 30 (क) के अनुसार देय मासिक भत्ता के पारित प्रस्ताव की जानकारी

168–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के किन नगर निगम के सभासदों को कब से मासिक भत्ता किस दर पर दिया जा रहा है ? क्या वाराणसी नगर निगम में निगम अधिनियम की धारा–30 (क) के तहत प्रत्येक सभासद को प्रति माह 2,000/- रुपया भत्ता दिये जाने के पारित प्रस्ताव की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

किसी भी नगर निगम के सभासद को मासिक भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

जी हां ।

वाराणसी नगर निगम के संकल्प संख्या–449 दिनांक 12-08-99 द्वारा अधिनियम की धारा–30 (क) के अन्तर्गत प्रत्येक सभासद को 2000/–रुपया मासिक भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ ।

उक्त प्रस्ताव परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ।

169–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

170–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[नियम 28 (20) के अन्तर्गत निरस्त]

पर्वतीय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की सड़कों से मलवा हटाने के संबंध में मानव श्रम तथा बुल्डोजर्स द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी

171–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की सड़कों से मलवा हटाने का काम मानव श्रम द्वारा किया जाता है अथवा बुल्डोजर्स द्वारा इसमें कितनी धनराशि का प्राविधान है ? क्या विभाग के पास पर्याप्त संख्या में बुलडोजर्स उपलब्ध हैं ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के मलवा हटाने का काम मानव श्रम तथा बुल्डोजर्स दोनों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है ।

इस प्रयोजन के लिए अलग से किसी धनराशि का प्राविधान नहीं किया जाता है, बल्कि वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए प्राविधानित धनराशि में से यह कार्य किया जाता है । भूस्खलन के रूप में दैवी आपदाओं की घटनाओं के संबंध में प्रारम्भिक रूप से सड़क खोलने के लिए, दैवी आपदा मद से राहत आयुक्त से भी धनराशि प्राप्त की जाती है ।

समय-समय पर अतिरिक्त बुल्डोजरों की मांग प्राप्त होती रही है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त बुल्डोजरों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है ।

172–श्री राजधारी सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

जनपद अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान में स्थापित खण्डों द्वारा वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्यों एवं व्यय आदि की जानकारी

173–श्री अजय भट्ट–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अल्मोड़ा क्षेत्र में वर्तमान में स्थापित विभिन्न खण्डों द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 1997-98 से अब तक कौन-कौन से कार्य किन-किन स्थलों पर सम्पन्न कराये गये हैं ? उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? उक्त धनराशि में से उक्त अवधि में कुल कितनी धनराशि नियमित अधिष्ठान एवं अन्य अधिष्ठान में व्यय की गयी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद अल्मोड़ा में वर्तमान स्थापित खण्डों द्वारा वर्ष 1997-98 से 30-9-99 तक 24 मोटर मार्ग लम्बाई 47.96 कि०मी०, 12 हल्का वाहन मार्ग लम्बाई 28.25 कि०मी० का

नवनिर्माण, 26 मार्गों जिनकी लम्बाई 63.70 कि०मी० का सुधार एवं पुनः निर्माण कार्य तथा 8सेतुओं का नव निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। सूची संलग्न है।

रु० 1443.81 लाख।

उक्त धनराशि में से कोई भी धनराशि नियमित अधिष्ठान एवं अन्य अधिष्ठान में व्यय नहीं की गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 156–159 पर।)

जनपद पौड़ी की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित अधूरे मार्गों को लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराने के संबंध में जानकारी

174–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित अनेकों अधूरे मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराने की स्वीकृति शासन द्वारा दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

एक मार्ग काणाखेत से धार 3 कि०मी० का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर में क्षेत्र जहूराबाद बरेसर सलेमपुर मार्ग पर पूर्वांचल विकास निधि से आवंटित धन से कराये गये अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

175–श्री गणेश राजभर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद अन्तर्गत बरेसर सलेमपुर मार्ग पर वर्ष 1996-97 में पूर्वांचल विकास निधि से लेपन कार्य करने हेतु आवंटित धन से क्या कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

बरेसर सलेमपुर मार्ग पर 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद बस्ती में सिसवा बुजुर्ग से दसिया मार्ग को जोड़ने के संबंध में सही आगणन मंगाकर पूर्वांचल निधि राज्यांश या नाबार्ड से स्वीकृति की मांग

176–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती में विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के अन्तर्गत ग्राम सिसवा बुजुर्ग से दसिया मार्ग को आगणन की त्रुटि के कारण पूर्वांचल निधि राज्यांश से नहीं जोड़ा जा सका है ? क्या इस सम्बन्ध में माह सितम्बर, 1999 के प्रथम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई

पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सिसवा बुजुर्ग से दसिया मार्ग को जोड़ने के लिये अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग बस्ती से सही आगणन मंगाकर पूर्वांचल निधि राज्यांश या नाबार्ड से इस मार्ग को जोड़ने की स्वीकृति जारी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश खन्ना–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । सम्प्रति राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत योजना की स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से तथा नाबार्ड योजना के मानकों के अनुरूप न होने के कारण स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है ।

जनपद पौड़ी के प्रत्येक विकास क्षेत्रों के कतिपय रा० कन्या उ०मा० विद्यालयों को इण्टर कालेज हेतु उच्चीकरण की मांग

177–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक विकास क्षेत्र में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना हो गयी है ? क्या पौड़ी जनपद के रा० कन्या उ० मा० वि० पैडूल (विकास क्षेत्र पौड़ी), रा० कन्या उ० मा० वि० एकेश्वर– (वि० क्षे० एक्वेचर), रा० कन्या उ० मा० वि० सुमाड़ी (वि० क्षे०–सिर्स) का इण्टर हेतु उच्चीकरण की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रस्ताव अप्राप्त है ।

लखनऊ में बरावन कलां, बार बालागंज, हरदोई रोड में विकास कार्यों हेतु प्रमुख सचिव गरीबी उन्मूलन एवं नगरीय रोजगार, उ० प्र० शासन को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

178–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री नेतराम सिंह, विधायक का पत्र ग्राम बरावन कलां, हरदोई रोड, लखनऊ में जल निकासी हेतु नाली एवं खड़ंजा बनवाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, गरीबी उन्मूलन एवं नगरीय रोजगार, उ० प्र० शासन को माह जनवरी/फरवरी, 98 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आगणन के आधार पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

अनुभाग के अभिलेखों से संदर्भित पत्र की प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पा रही है ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा वर्ष 1998-99 की कार्य योजना के आधार पर प्रश्नगत बांध में रुपये 2,62,145-00 की लागत से खड़न्जा एवं नाली निर्माण का कार्य कराया जा चुका है ।

ए०पी० सेन मेमोरियल चारबाग, लखनऊ की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग

179–श्री उदय राज यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी० एम० बी० को० एम–1-21446 दि० 19-3-99 जो ए० पी० सेन मेमोरियल चारबाग, लखनऊ की भूमि से अवैध कब्जे को समाप्त करने के सम्बन्ध में था और जो जिलाधिकारी लखनऊ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच एवं गाटा सं० की पैमाइश करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अवैध कब्जा हटवाते हुए स्कूल भूमि को मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नकर्ता का नहीं वरन् उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा का पत्र जो ए०पी० सेन मेमोरियल कालेज, चारबाग, लखनऊ की भूमि से अवैध कब्जे को समाप्त करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय के संदर्भित पृष्ठांकन संख्या दिनांक 19-3-99 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच तथा गाटा संख्या की पैमाइश करा ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा हैवलक रोड योजना के अन्तर्गत पट्टेदार को पट्टे पर दी गयी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त अनधिकृत निर्माण/अवैध कब्जे किये गये हैं जिसके हटाने का दायित्व पट्टेदार का है न कि विकास प्राधिकरण का ।

प्रश्न नहीं उठता ।

180–श्री हरदेव सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तहसील ब्लाक एवं नगर मुख्यालयों पर रहने वाले आंचलिक पत्रकारों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग

181–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ब्लाक एवं नगर मुख्यालयों पर रहने वाले आंचलिक पत्रकारों को सरकारी दर पर आवास उपलब्ध कराये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पत्रकारों को सरकारी दर पर आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् द्वारा जन-सामान्य को, जिसमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं, को निर्धारित मूल्य पर आवास उपलब्ध कराये जाते हैं । विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् के किसी भी आवास की कोई सरकारी दर नहीं होती है वरन ये संस्थायें स्वयं मूल्य तय करती हैं तथा उसी मूल्य पर आवास उपलब्ध कराती है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन के कार्यकर्ताओं की अवमानना से संबंधित शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्ण उ० प्र० में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन के कार्यकर्ताओं की अवमानना की सी० बी० आई० जांच हेतु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद (निवर्तमान) का पत्र दिनांक 16-8-99 जो कि मुख्य मंत्री, उ० प्र० मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी जांच करने वाले अधिकारी का नाम भी बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय वित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजन की मांग

183–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय वित्त पोषित मान्यता प्राप्त कितने ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें अभी तक पद सृजन की स्वीकृति नहीं दी गई है ? क्या सरकार इस संदर्भ में पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

प्राप्त सूचनानुसार इस प्रकार के 12 विद्यालय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये यथासमय विचार किया जायेगा ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के इण्टर कालेज ढामकेश्वर में संस्कृत विषय की मान्यता प्रदान करने की मांग

184–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि इण्टर कालेज ढामकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में गत कई वर्षों से संस्कृत विषय की मान्यता नहीं प्राप्त है और विद्यार्थी बिना मान्यता के उक्त विषय की परीक्षा दे रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त विषय की मान्यता कब तक दे दी जायेगी ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

मान्यता हेतु निर्धारित मानक कालेज द्वारा पूर्ण कर लेने के उपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

लखनऊ स्थित टिकैतराय राजकीय कालोनी के फेज–3 पार्क की टूटी बाउन्ड्री वाल को पुनः बनवाने एवं उसमें सफाई कराने की मांग

185–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिकैतराय राजकीय कालोनी के फेज–3 लखनऊ स्थित पार्क जो कि पानी टंकी के पास है, की बाउन्ड्री कुछ माह पूर्व बनवाई गयी है ? क्या यह सत्य है कि घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग होने के कारण बाउन्ड्री की दीवारें गिर गयी हैं ? इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर बाइन्ड्री पुनः बनवाकर पार्क की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आंशिक मरम्मत का कार्य कराया गया था ।

असामाजिक तत्वों द्वारा गिरा दी गयी है ।

कोई नहीं ।

प्राधिकरण को निदेशित किया गया है कि यदि वहां के निवासियों को एसोसियेशन रख-रखाव की जिम्मेदारी के लिए सहमति दे, तो मरम्मत आदि करा दी जाय ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

186–श्री उदयराज यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 31 मार्च, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है, वह उपस्थित हैं। दूसरी सूचना श्री उबैदुर्रहमान की है, वह अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री राम नरेश यादव, चौथी सूचना डा० कौशल किशोर की, पांचवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की, छठी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की, सातवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की और प्रतीक्षा सूची से डा० धर्मज्ञ मिश्रा की सूचना स्वीकार की जाती है। शेष सूचनायें श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री रामजग, श्री संजय गर्ग, श्री सरवर अली, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री अरिमर्दन सिंह की अस्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकार की गई सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद बदयूं के विकास खण्ड अम्बियापुर की ग्राम पंचायत बरौलिया के उप प्रधान द्वारा विभिन्न योजनाओं की धनराशि के आहरण में की गयी कथित धांधली की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिल्सी, जनपद बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर की ग्राम पंचायत बांस बरौलिया के उप प्रधान तेजपाल ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 में लगभग दो लाख रुपया का आहरण ग्राम पंचायत के विभिन्न योजनाओं ग्राम निधि, जवाहर समृद्धि योजना तथा अन्य योजनाओं से किया है। उक्त धनराशि के आहरण में तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी बांस बरौलिया अमर चन्द्र का पूरा सहयोग एवं साझेदारी रही है। उक्त धनराशि से ग्राम पंचायत में नाम मात्र का विकास कार्य कराया गया तथा बड़ी मात्रा में धनराशि का गबन किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 22-2-2000 को शिकायती-पत्र ग्राम वासियों के द्वारा जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी बदायूं को किया गया और उस पर जांच कमेटी जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी, किन्तु जिला पंचायत अधिकारी ने इस मामले को दबा रखा है। और गबन को ढकने के लिए कोई जांच कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया है। जिसके कारण पूरे ग्राम में गहरा आक्रोश, रोष एवं विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। और किसी समय भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसके कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व का है। जिसको सदन के संज्ञान में लाकर इस प्रकरण की तत्काल जांच और प्रभावी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।

अतः उक्त प्रकरण के जांचोपरान्त यदि उप प्रधान दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल एफ० आई० आर० दर्ज करायी जाये, और सरकारी धन के गबन में सहयोग देने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी एवं तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी भूषण कुमार को भी दंडित किया जाये, तथा वी० के० गुप्ता जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जांच रोके जाने की भी जांच करायी जायें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश चीनी निगम की इकाई शाहगंज, जौनपुर रत्ना शुगर फैक्ट्री का आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार तथा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, उ० प्र० चीनी निगम की इकाई शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर फैक्ट्री की आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर के विकास में महत्व पूर्ण भूमिका है, किन्तु इसका आधुनिकीकरण तथा क्षमता में विस्तार न किये जाने के कारण गन्ना की पेराई सत्र की अवधि कम होती जा रही है एवं किसानों के गन्ना मूल्य बकाये की धनराशि में बृद्धि होती जा रही है इस प्रकार कई करोड़ रुपये गन्ना किसानों को देय है उपरोक्त चीनी मिल का बेचना एवं बन्द करना समस्या का समाधान नहीं है । इससे इन क्षेत्रों का विकास रुक जायेगा ।

अतः इसे सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मिल के आधुनिकीकरण विस्तार करने तथा बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये तत्काल कदम उठाये ।]

जनपद लखीमपुर के ग्राम बहेजम में एक मोहल्ले एवं धार्मिक स्थल का रास्ता जबरन बन्द करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं रास्ता खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, ग्राम बेहलम ब्लाक बेहजम जनपद-लखीमपुर में अल्पसंख्यक वर्ग के व अन्य गरीबों की एक सघन आबादी है उसी में एक मस्जिद बनी है इस मोहल्ले को बेहजम नीम गांव मार्ग से एक रास्ता मुहल्ला व मस्जिद तक जाता है जिसको कुछ दबंग लोगों ने घेर कर अवरुद्ध कर दिया है तथा रास्ते में ही एक छोटे मन्दिर की स्थापना भी कर दी है । जिसकी वजह से अब रास्ता पूर्णरूप से बन्द है गरीब बेसहारा निवासी बेहद परेशान हैं । ग्राम प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय की दीवाल खड़ी करके अवरोध उत्पन्न कर दिया है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को जनहित में इस रास्ते को अविलम्ब खुलवाया जाय ।]

जनपद जालौन के लघु सिंचाई विभाग उरई में बोरिंग मशीनों की फर्जी मरम्मत एवं निर्माण कार्य में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने विषयक वित्तीय अनयिमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्रीराम पाल–

[मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग उरई जालौन द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में बोरिंग मशीनों की मरम्मत के नाम पर कानपुर स्थित वर्कशाप मालिक की सांठ-गांठ से लाखों रुपया फर्जी मरम्मत के बिल बाउचर लगाकर निकाला गया तथा ख० वि० महेवा के ग्राम सधारा में चैकडैम के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाकर तथा मानक के विपरीत कार्य करके लाखों रुपये का घपला किया गया । इसी प्रकार ख० वि० महेवा के ही ग्राम सस्सई में नाले की खुदाई मात्र कागजों में ही प्रदर्शित करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है तथा जनपद जालौन में लघु सिंचाई विभाग के पास जितनी भी बोरिंग मशीनें हैं सभी में फर्जी मरम्मत दिखाकर वित्तीय अनियमिततायें की हैं । ग्राम निवासियों को महीनों बोरिंग मशीन खड़ी रखकर मरम्मत कार्य दिखाया गया, जिससे लक्ष्य के मुताबिक बोरिंग कार्य न होने से जनपद में किसानों को आशा के अनुकूल रबी की फसल नहीं मिल सकी ।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता ह ।]

---

* नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला सहकारी बैंक फैजाबाद के शाखा प्रबन्धक/सचिव द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भीम प्रसाद सोनकर–

~ मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में जिला सस्कासी बैंक में लूट घसोट की चरमसीमा पार कर चुका है जिसका जीता जागता उदाहरण शाखा प्रबन्धक नरेन्द्र सिंह सचान एवं राजाराम सचिव फैजाबाद जिला सहकारी बैंक फैजाबाद का है।

1–शाखा प्रबन्धक नरेन्द्र सिंह सचान द्वारा वर्ष 1980 से 1984 तक किये गये आई० आर० डी० एवं स्पेशन कम्पोनेन्ट ऋण एवं सा० सह० समिति लि० चिन्तौरा विकास खण्ड टाण्डा में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में इनके कार्यकाल में आई० आर० डी० एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट ऋण की वितरण से फर्जी तरीके से की गयी है और आज तक वह धनराशि को वसूली नहीं हो रही है।

उक्त स्थिति में नरेन्द्र सिंह सचान शाखा प्रबन्धक की बैंक में तीन-तीन वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक होते हुए भी नरेन्द्र सिंह सचान को वरिष्ठ अधिकारी बनाकर बैंक की मर्यादा के विपरीत कार्य किया गया है अथवा नहीं ?

2–फैजाबाद के जिला सहायक निबन्धक द्वारा डी० आर० फैजाबाद को प्रेषित जांच के अनुसार बैंक सचिव महाप्रबन्धक श्री राजा राम को एवं नरेन्द्र सिंह सचान के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं शाखा प्रबन्धकों द्वारा प्रेषित करायी गयी है उदाहरणार्थ फैजाबाद जिला सहकारी बैंक शाखा जहांगीरगंज के शाखा प्रबन्धक श्री शिवजोर वर्मा और मंगल प्रसाद गुप्ता के पत्र एवं अम्बेडकर नगर जनपद में सहायोगियों को प्रेषित के आधार पर सीज हो रही है।

3–पूरे फैजाबाद एवं अम्बेडकर नगर जनपद-सहयोगियों को प्रेषित करके कैरियर, कैरियर को प्रोन्नत करके शाखा प्रबन्धक धन उगाही के माध्यम से बनाया गया है।

4–बैंक के अध्यक्ष श्री हरी राम वर्मा के गाड़ी के प्राइवेट चालक का अकबरपुर जिला सहकारी बैंक से पास बुक बनाकर बैंक से फर्जी तरीके से भुगतान करके बैंकों की क्षति पहुंचायी जा रही है।

5–ऋण राहत की अवशेष धनराशि चुनाव के समय टाण्डा व्यय के अपने मानचित्र समिति को एडवांस बनाकर किया गया है दिनांक 29-2-2000 को 3.46 लाख रुपये की जांच रिपोर्ट डी० आर० फैजाबाद के यहां प्रेषित है।

अतः आपके माध्यम से इनके भ्रष्टाचार की जांच करायें जाने की मांग करता हूं तथा सदन की कार्यवाही रोक कर एक घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया की नगर पंचायत बिल्थरा रोड के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार सीज होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव–

[मान्यवर, नगर पंचायत बिल्थरा रोड जनपद बलिया के वर्तमान अध्यक्ष जिनके विरुद्ध कई जांचें चल रही हैं, और कई जांचें हुई है और घोटाले में लिप्त होने के उपरान्त उनका अधिकार (वित्तीय) सीज कर दिया गया है। चूंकि वर्तमान में भी जांचें चल रही हैं और वित्तीय अधिकार सीज होने से नगर पंचायत के सारे कार्य अवरुद्ध है जिसकी सूचना स्थानीय लोग बार-बार लिख कर दे रहे हैं। परन्तु वित्तीय अधिकार किसी एस० डी० एम० स्तर के अधिकारी को नहीं दिया जाना चिंता का विषय है जहां तक कि नालियों की मरम्मत, लाईट व्यवस्था आदि कर्मचारियों का वेतन वितरण आदि का कार्य रुका

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ा है । जिससे स्थानीय लोग आन्दोलित हैं, और धरना प्रदर्शन चल रहा और लोग वित्तीय अधिकार किसी भी उच्च अधिकारी को दिये जाने की मांग कर रहे हैं । तो शासन को इसमें आपत्ति क्यों है समझ से बाहर है । ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आन्दोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

अतः मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि नगर पंचायत बिल्थरा रोड के वित्तीय अधिकार किसी भी उच्च अधिकारी को दे दिया जाये जिससे जनहित का कार्य न रुके । जांचें पूर्ण होने पर अध्यक्ष को दिया जा सकता है ।]

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० धर्मेज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित अम्बेडकर ग्रामों को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है जिसके कारण यहां की जनता को आवागमन की कठिनाइयों से जुझना पड़ रहा है ।

1. माधोगंज नयागांव रोड से अम्बेडकर ग्राम कंथरी तक 3 कि०मी०
2. मल्लावां कटिया गौसगंज रोड अम्बेडकर ग्राम मझिया जाफरपुर तक 3 कि० मी०
3. फुलई कटिया मिरवारीपुर रोड से फुलई तक 3 कि० मी०
4. मल्लावां उन्नाव रोड से अम्बेडकर ग्राम शहाबुद्दीनगर तक 2205 कि० मी०
5. बिलग्राम उन्नाव रोड से अम्बेडकर ग्राम खंधोरिया खंजापुर 3 कि० मी०
6. कुरसठ बुजुर्ग अम्बेडकर ग्राम कुरसठ परौली रोड से मिर्जागंज तक 1.05 कि० मी०
7. बिलग्राम निजामपुर रोड से ग्राम कुतुबापुर तक 3 कि० मी०
8. हरदोई उन्नाव रोड से पसनाऊ 1 कि० मी० अवशेष
9. माधोगंज परचल रोड से हथौरा तक 3 कि० मी०
10. मल्लावां मेहदी घाट रोड से करवा 3 कि० मी०

जनहित में अम्बेडकर ग्राम योजना को सफल बनाने तथा जनता को लाभ प्राप्त कराने के उद्देश से उपरोक्त ग्रामों को तत्काल प्रभाव से सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए जो कि अभी तक नहीं जोड़ा गया है। चूंकि जनहित का एक अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है और जिस पर तत्काल कार्यवाही क के उक्त सड़कों का निर्माण कराया जा सके ।]

विधायक निधि की पी० एल० ए० जमा धनराशि के 31 मार्च 2000 के उपरान्त व्यपगत हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 31 मार्च, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय की विधायक निधि के पी० एल० ए० में जमा धनराशि के 31 मार्च के उपरान्त व्यपगत हो जाने के सम्बन्ध में है ।

* श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, विकास की जो प्रक्रिया है, वह अनवरत् चलने वाली प्रक्रिया है और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये इस सदन की इच्छा के अनुसार विधायक निधि की स्थापना की गई थी, इसी तरह सांसद निधि बनाई गई थी, सांसद निधि लेकिन लैप्स नहीं होती, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु विधायक निधि के पी० एल० ए० में जमा होने के कारण यह लैप्स हो जाती है या तो इसे डी० आर० डी० ए० के खाते में अथवा किसी अभिकरण बनाकर उसके खाते में जमा किया जाय ताकि इसके लैप्स होने की सम्भावना न रहे। इसी प्रकार राज्य सेक्टर में पूर्वांचल विकास निधि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया कि 31 मार्च के उपरान्त पी० एल० ए० के एकाउंट में जितना धन अवशेष रहेगा, वह लैप्स हो जायेगा, इससे विकास के कार्य रुक जा रहे हैं। मान्यवर, आप स्वयं भिज्ञ होंगे कि मौदानी भागों में मार्च, अप्रैल, मई, जून इन 3-4 महीनों में सड़कों का निर्माण हो सकता है, पुल-पुलिया बन सकती है, लेकिन पैसा लैप्स हो जाने से यह कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस विषय की ग्राह्यता इस लिये है क्योंकि इस सदन में इसको लाने का काम किया गया था, माननीय अध्यक्ष जी ने भी निर्देश दिया था कि इस तरह की व्यवस्था की जाय, जिससे यह लैप्स न होने पाये, इसके बावजूद भी वित्त विभाग की ओर से ऐसा कोई शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, यह पूरे प्रदेश के विकास से सम्बन्धित इश्यू है। आपसे चाहता हूं कि आप इस तरह के निर्देश देने का काम करें जिससे यह पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि और विधायक निधि का पैसा लैप्स न हो।

श्री अधिष्ठाता–

सारी बात आ गई है।

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, हमारे जनपद में 6-6 महीने तक रोका गया है। जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता यह थी कि समय के अन्दर अपना काम न करके , समय से पैसे का उपयोग न करके 21 मार्च, 31 मार्च, को निकाल कर बहुत से विभाग पी०एल०ए० में जमा कर देते थे और वह पैसा वहां पड़ा रहता था। इस संबंध में महालेखाकार के निर्देश हुए कि पीएलए में पैसा डालना अनियमित है यदि आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो उसका दोबारा प्राविधान करायें, तब वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने, वर्तमान सरकार ने यह व्यवस्था की कि समय के अन्दर वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई। जब समय के अन्दर वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गयी और वे खर्च नहीं कर पाते तो इसके लिये विभागाध्यक्ष जिम्मेदार हैं।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए।)

जैसा राय साहब ने शिकायत की कि उन्होंने लिखा था और काम नहीं हो सका। वे स्पेशिफिक जानकारी दे दें, कार्यवाही की जायेगी। जो वित्त विभाग का शासनादेश है वह पूर्णतया उचित है। अगर वह नहीं रहेगा तो एक जंगलराज पैदा हो जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय,.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पहली बार इस शासनकाल में समय से स्वीकृतियां जारी की गयीं । कदाचित कई जनपदों में, मैं बस्ती जनपद की बात कर रहा हूं, वहां डेढ़ माह पूर्व स्वीकृतियां जारी की, विधायक निधि द्वारा जो प्रस्ताव दिये हैं, पूर्वांचल निधि के द्वारा गांव की विद्युतीकरण के जो प्रस्ताव हैं, वहां डेढ़ माह से कोषागारों में रोक लगी हुई है और आज तक पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है जिसकी बात माननीय सदस्य ने की है यह लैप्स नहीं होता । यह विधायक निधि या पूर्वांचल विकास निधि सदस्यों के प्रस्ताव पर है, यह 31 मार्च के बाद भी लैप्स नहीं होता । कम से कम जो विधायक निधि है, पूर्वांचल निधि है और अन्य निधियां हैं जो प्रस्ताव लिया गया है यदि मौखिक रूप से शासन ने कह दिया है ट्रेजरी को । आज लोग बैंक में चेक लिये खड़े थे और उनसे कहा जा रहा था कि ट्रेजरी से कहलाइये । पूरे प्रदेश में कहीं भुगतान नहीं हो रहा है । पूरे प्रदेश में जो चेक काटे गये हैं और हमारे विधायक निधि, पूर्वांचल के प्रस्ताव जो स्वीकृत हो चुके हैं, पैसा विभाग में नहीं जा रहा है । माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि समय पर स्वीकृतियां जारी की गयी हैं । आज 31 मार्च है, आज 11-12 बजे रात तक शासनादेश निर्गत होंगे तो जो शासनादेश 31 मार्च को जारी हो रहा है सरकारी मशीनरी द्वारा आज ही वह पैसा कैसे खर्च कर लिया जायेगा । इस समय फसल खड़ी है सड़कों का निर्माण संभव नहीं है । सड़क, अप्रैल, मई, जून में बनेगी और लेपन का कार्य भी अप्रैल मई में होगा । अप्रैल-मई में होने वाला कार्य पहले कैसे हो जायेगा ?

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिन तथ्यों को अवगत कराया है उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले महीने विकास से संबंधित अधिकारियों ने हमें सूचना दी कि शासनादेश प्राप्त हुआ है जिसके तहत सरकार का निर्देश आ गया है कि 31 मार्च तक विधायक निधि का पैसा यदि खर्च नहीं हुआ है तो वह लैप्स नहीं होगा । संसदीय कार्य मंत्री बड़ी भ्रम पैदा करने वाली बात कर रहे हैं । यह पैसा 31 मार्च तक लैप्स हो या नहीं होगा इसको संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

विधायक निधि के बारे में माननीय वर्मा जी ने नियम 300 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है उससे स्पष्ट है कि विधायक निधि का पैसा लैप्स हो जायगा । पिछले महीने आदेश पहुंचा है कि जैसे सांसद निधि का पैसा लैप्स नहीं होता है उसी प्रकार से विधायक निधि का पैसा लैप्स नहीं होगा । इस संबंध में एक शासनादेश जारी कर दिया जाय कि विधायक निधि का पैसा लैप्स नहीं होगा, यह मैं चाहता हूं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत सीधा सा प्रश्न माननीय लालजी वर्मा जी ने उठाया है । वर्मा जी ने संशय प्रकट किया है कि पैसा लैप्स हो जायगा । अगर संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर यह आश्वासन दे दें कि विधायक निधि और पूर्वान्चल निधि का पैसा लैप्स नहीं होगा तो इस सारे विवाद का अन्त हो जायेगा ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पिछली बार एक प्रश्न का लिखित उत्तर मुझे मिला है उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि महालेखाकार ने जो आपत्तियां उठायी हैं उसको परिनिरीक्षण करते हुये यह विधायक निधि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

31 मार्च, 2000 के बाद लैप्स नहीं होगी । अगर इसको संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें तो यह भ्रम अपने आप ठीक हो जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने अभी सामान्य बात कही, मैंने वित्तीय अनुशासन की बात कही थी । जहां तक विधायक निधि का प्रश्न है तो विधायक निधि के बारे में बजट भाषण में भी उल्लेख किया गया था कि जहां 25 लाख रुपया नहीं मिला है । 1998-99 का वह भी उपलब्ध कराया जायेगा । इसलिये जो विधायक निधि या पूर्वान्चल निधि की बात है, मान्यवर, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूं, आज ही मैं सदन में जानकारी दे दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूर्वान्चल विकास निधि का गठन जनपदों की विषमताओं को दूर करने के लिये हुआ था । आज पूर्वांचल विकास निधि का आधा पैसा राज्य स्तर पर रखा जा रहा है । आधा पैसा ही जनपदों में सम्मानित विधायकों के लिए जा रहा है । आधा पैसा जो राज्यांश में रखा जा रहा है । एक ठेकेदारों का रैकेट तैयार हो गया है । यहां दो प्रतिशत का कमीशन दे करके राज्यांश का 80 प्रतिशत पैसा अपने जनपदों में ले जा रहे हैं । पैसा विधायक के कहने पर नहीं जा रहा है बल्कि कुछ ठेकेदार कमीशन दे करके सीधे ले जा रहे हैं । मान्यवर, इस पर मंत्री जी जांच कराने का आश्वासन दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जानकारी देने की बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी ही न दें, अगर ऐसा आदेश नहीं हुआ है तो आदेश निर्गत करके सदन को अवगत करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, अगर किसी ऐसे आदेश की आवश्यकता हो, तो वह आदेश निर्गत कर दिया जाये, जिससे विधायक निधि का पैसा 31 मार्च, 2000 के बाद व्यपगत न हो । यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसे अग्राह्य किया जाता है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम०एस०सी० (टेक) फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1999 को सदन के निर्देश के बावजूद कृत कार्यवाही से अवगत न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो विषय मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उठा रहा हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एम० एस० सी० (टेक) फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री कोर्स के नाम पर ऐसा कोर्स चलाया जा रहा है जिस कोर्स की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है । इन छात्र-छात्राओं की लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं की भांति रसीद कटती है और न ही मार्कशीट दिया जाता है । इस विषय पर नियम 52 के माध्यम से 31 मार्च, 1999 को इस माननीय सदन में चर्चा हुई थी और दैवयोग से आज 31 मार्च, 2000 है । इस विषय पर जब चर्चा हुई तो माननीय अधिष्ठाता जी ने यह कहा था कि हमने आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा सुनी और डा० बाजपेयी ने जो तथ्य बताया, मैं भी ऐसा अनुभव करता हूं और मेरा आग्रह है कि शासन न्याय विभाग से विधिक राय ले लें और यह सुनिश्चित करें कि उन छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय नहीं होगा । पीठ के निर्देश के बाद विधान सभा सचिवालय के संसदीय अनुभाग द्वारा 6 पत्र उच्च शिक्षा विभाग को लिखे जा चुके हैं । ये पत्र 28 अप्रैल,, 8 जून, 14 सितम्बर और 9 नवम्बर, 1999 तथा 14 जनवरी व 25 मार्च, 2000 को लिखे गये हैं । इसके अलावा दो पत्र 29 अप्रैल तथा 19 मई, 1999

को मेरे द्वारा लिखे गये लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज तक विधिक राय प्राप्त नहीं की गयी। 31 मार्च, 1999 की चर्चा थी। जुलाई के सत्र में पुनः नया दाखिला कर लिया। जब जुलाई में सत्र हुआ तो हमने 15 जुलाई, 1999 को इस विषय को उठाने के लिये अनुमति चाही लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। 31-3-1999 को इस पर हुई बहस पर पीठ द्वारा दिये गये निदेश का पालन सरकार से करा लिया जाए एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को इस सदन में बुला लिया जाए और उनसे यह पूछा जाए कि सदन में हुई चर्चा और छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए सवाल पर संसदीय विभाग द्वारा 6 पत्र भेजने के बावजूद उन्होंने इसे विधिक राय के लिये क्यों नहीं भेजा एवं विभाग की राय प्राप्त करके सदन एवं पीठ को अवगत क्यों नहीं कराया। मेरी मांग है कि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को सदन में बुलाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर उनकी उपेक्षा के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए एवं इस विषय पर विधिक राय लेकर उसके अनुसार कार्यवाही की जाए।

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि इतने अनुस्मारक भेजने के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसकी मैं जानकारी करके दो-एक दिन में अवगत करा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

विधान सभा सचिवालय से 7 पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

कम से कम इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाए।

विधायकों के प्रस्ताव पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक सदनों में की गयी घोषणाओं का अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय सदन के समक्ष यह प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। पिछले सत्र में भी विगत वर्ष 1999-2000 में भी ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् के प्रस्ताव पर पांच-पांच गांव विद्युतीकृत कराने के लिये शासन ने व्यवस्था की है। माननीय सदस्य लिस्ट दे देगा और उसकी लिस्ट के अनुसार पांच गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। इसी तरह से आज हमारा एक प्रश्न लगा था प्रश्न में यह पूछा गया था कि कृपया ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में सदस्य विधान सभा के प्रस्ताव पर क्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पांच-पांच गांव विद्युतीकृत कराने की नीति बनाई गई है उत्तर में जवाब दिया गया शासन द्वारा माननीय सदस्य विधान सभा और विधान परिषद् के प्रस्ताव पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के पांच-पांच गांव का विद्युतीकरण वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 में कराये जाने का प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से मा० ऊर्जा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र और आदरणीय शिवपाल सिंह जी के विधान सभा क्षेत्र जसवंत नगर में 1998-99, 99-2000 में केवल एक एक गांव विद्युतीकृत कराये गये। हमारे विधान सभा क्षेत्र भोगांव में इस वर्ष पांच गांव के विरुद्ध एक गांव विद्युतीकृत किया गया चार गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया। यह गांव है जमइतगंज जिरौला, खजुरिया, हिम्मत का नगला (शाहपुरा)। यह सदन कोई सावर्जनिक मीटिंग का स्थल नहीं हो सकता अगर यहां कोई घोषणा की जाती है या पीठ का निर्देश दिया जाता है या मंत्रियों द्वारा कोई यहां घोषणा की जाती है तो उसका पालन होना चाहिये, अगर इनका पालन नहीं होगा तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसे औचित्य के रूप में स्वीकार करने में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

वर्ष 1998-99 और वर्ष 1999-2000 में जो हमने विधान सभा में बजट भाषण पेश किया था तब यह घोषणा की गयी थी कि प्रत्येक विधायक के कहने पर पांच गांव के ऊर्जीकरण का काम किया जाएगा । इससे पहले यह योजना नहीं थी । इससे पहले विधायकों का कोई श्रेय नहीं था । यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है । मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 जो योजनायें चयनित हुई हैं उनको हम चार महीने में पूरा करायेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक प्राविधान है दो लाख और पांच लाख रुपये का । क्या इन गांवों में पांच लाख रुपया लग जाता है ? क्या इस धनराशि से ऊपर जिन गांवों में धन लगना है उनका भी विद्युतीकरण किया जायेगा या नहीं ? वर्ष 2000-2001 में यह योजना लागू होगी या नहीं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारा मानना है कि एक गांव में पांच लाख तक धन लग जाता है । यह कोई निश्चित मानक नहीं है । बजट आने दीजिये फिर हम देख लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार से यह अपेक्षा की जाती है, कि इस सदन में जो भी आश्वासन अथवा निर्देश दिये जाते हैं, उनको कार्यान्वित करें । यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती । इसलिये इसे अस्वीकार किया जाता है ।

सदन की बैठकें वर्ष में 90 दिन किये जाने का प्राविधान नियमावली में होने के बावजूद उसका अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । ऐसे तो बहुत से नियमों की अपेक्षा होती है, कुछ नियमों की वजह से यह सदन चलता है । यह परम्परायें नहीं हैं, नियमावली में प्राविधान हैं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 में बनी । उसके अध्याय 4 और नियम 14 के अन्तर्गत सभा के अधिवेशन के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख है । मैं इसे पढ़कर सुना देता हूं । "अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतय तथा प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे ।" मान्यवर, वर्ष 1958 में जब यह नियमावली बनी थी तब उत्तर प्रदेश की आबादी आज की आबादी की आधी थी । 58 में समस्यायें कम थीं, जागरुकता कम थी, हमारी जिम्मेदारियां सदन में इतनी रहते हुए भी विकास के प्रति उन्मुख नहीं थे । स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश के बावजूद भी मौजूदा सरकार जो लगातार चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है, यह सदन के कार्यकाल को कम करती चली जा रही है । नतीजे के तौर पर सदन में गठबन्धन सरकार की रणनीति के तहत उपवेशन कम किये जा रहे हैं । यह सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सदन में उठाया जा सके । यह सरकार नहीं चाहती कि उन विधायकों को अवसर मिले जो नवनिर्वाचित होकर आये हैं और सरकार के कार्यों के संदर्भ में कुछ कह सकें । मान्यवर, अगर 90 दिन का सत्र होता तो 450 कार्यस्थगन होते । अगर 90 दिन का सत्र होता तो 18 हजार तारांकित प्रश्न संसूचित होते और 540 घंटे हम सबको मिलते । परन्तु जानबूझकर सरकार कभी 30 दिन, कभी 27 दिन तो कभी 32 दिन का सत्र चलाती है जानबूझकर समय को सीमित किया जा रहा है । आबादी दुगुनी हो गई और जन समस्यायें दुगुनी हो गई परन्तु दिनों की संख्या एक तिहाई हो गई है । इसमें साजिश यह है कि अगर

समय कम होगा तो माननीय सदस्यगण अपनी समस्याओं पर एक ही दिन में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे । हर पार्टी की अपनी एक प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता होती है । इसलिये सरकार जानबूझकर दलों के अन्दर उनकी प्राथमिकताओं के कारण भेद कराना चाहती है । आज इसी कारण हम लोग जनता की समस्याओं को यहां ला नहीं पा रहे हैं । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना रटा रटाया जवाब यहां पर देंगे कि इस वर्ष इतने दिन चली और इस वर्ष इतने दिन चली और अगर हम इतने दिन चला रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं ? आप उस समय का उल्लेख क्यों नहीं करते जब सदन 90 या उससे अधिक दिन तक चला और जब सदन 70-80 दिन चलता था, उसका उल्लेख आप क्यों नहीं करते ? आप उन दिनों का उल्लेख क्यों करते हैं जब सदन 30-32 दिन चला हो । आप गलत परम्परा को क्यों दुहराना चाहते हो । माननीय श्री मणि जी कह रहे हैं कि यह सरकार ही गलत परम्परा से उपजी है । मैं आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं कि अगर 90 दिन का सत्र चलेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जावेगा । आज सीमित समय के कारण माननीय सदस्य अपनी समस्या के कारण उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार उनको वेल पर भी मजबूरी वश आना पड़ता है । अगर हाउस 90 दिन चलेगा तो यह स्थिति पैदा नहीं होगी और माननीय सदस्य भी उत्तेजित नहीं होंगे । मैं कोई इस सरकार से याचना नहीं कर रहा हूं, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं । आप अपनी पीठ से सरकार को निर्देशित करें कि जिस संविधान के तहत और नियमावली के तहत यह सरकार यहां बैठी है और जवाब दे रही है तथा हम उस जवाब को सुन रहे हैं, नियमावली के अध्याय–4 के नियम 14 के अन्तर्गत 90 दिन के उपवेशन का जिक्र किया गया है, इसका पालन किया जाय । अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो इस नियमावली की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर 90 दिन हाउस नहीं चलता है तो यहां पर जो व्यवधान होता है उसके लिये विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सरकार जिम्मेदार है । इसलिये आप निर्देशित करें सरकार को कि हाउस 90 दिन चले ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्री तिवारी जी का मौलिक भाषण मैंने सुना । बड़ा ओरीजनल था, यह विषय जैसे पहले कभी नहीं उठा और अपने तर्क उन्होंने प्रस्तुत किये । मुझसे कहा गया कि रटा रटाया जवाब दे देंगे । इससे पूर्व भी जो भी अवसर आया, प्रयास होना चाहिये कि 90 दिन चलाया जाय और इससे भी ज्यादा दिन चलाया जाय । यह कोई बुरी बात नहीं है । अब चलाने में दोनों पक्षों का सहयोग और सहमति होनी चाहिये । इससे केवल एक पक्ष जुड़ा हुआ नहीं है सदन कितने दिन चलेगा और कितने दिन नहीं चलेगा । यह कोई रटा रटाया जवाब नहीं है । यह एक विषय है । आखिर कारण क्या है जब भी कोई पार्टी सरकार में बैठती है तो जब वह उधर बैठती है तो उसे 90 दिन की याद आ जाती है और जब इधर बैठती है तो 90 दिन की याद नहीं आती । आखिर यहां पर बैठने में उन्हें 90 दिन की याद क्यों नहीं आती । मान्यवर, 1992 के बाद में पहली बार 1999 में पिछले 10 वर्षों से सबसे ज्यादा सदन चला है । अपेक्षा से कम परन्तु जितने दिन चला वह कम नहीं चला । 39 दिन सदन चला । पहली बार 39 दिन सदन चल पाया हमारे प्रयास के बावजूद यदि हमारी इच्छा शक्ति न रही होती तो आपका तो हमें आशीर्वाद प्राप्त था कि सदन दो दिन में ही निपटा देते । मान्यवर, आप जो निर्देश देंगे वो शिरोधार्य है लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह से सदन चलाने में हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं रहेगी । हम चाहते हैं कि मिलकर बैठें और प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मिलकर उसको सुलझाने का कोई रास्ता निकालें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदन कम समय नहीं चलेगा । मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति इनकी है, सरकार इनकी है, सदन बुलाने के लिये मंत्रि-परिषद् की सहमति पर राज्यपाल द्वारा सदन आहूत किया जाता है । सब कुछ इन्हीं को करना है । कार्य-मंत्रणा समिति में इनका बहुमत है । यह 90 दिन का प्रस्ताव बनाकर लायें अगर विपक्ष मना करे तो विपक्ष की जिम्मेदारी होगी सदन को 90 दिन चलाना इनकी जिम्मेदारी है । अगर इस नियमावली में यह संशोधन कर दिया जाय कि

सदन को बुलाने का दिन निश्चित करने का अधिकार नेता विरोधी दल को होगा, विरोधी दल को यदि यह अधिकार दे दिया जाय तो हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे । हम 90 दिन सदन चलायेंगे तब न चले तो विपक्ष की जिम्मेदारी होगी । जब नियमावली से सदन चलना है तो उसमें सदन चलाने का जो अधिकार है वह सत्ता पक्ष का है । वह 90 दिन सदन चलायें । मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई याचना नहीं कर रहा हूं, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं । हम चाहते हैं कि आप निर्देशित करें कि सदन की कार्यवाही 90 दिन तक चले । आपने अभी कहा कि 92 से अब तक मैं यह पिछले वर्ष सबसे ज्यादा चला । कितना चला ? 39 दिन यानि आधा भी नहीं चला । मैंने कहा था कि यह रटा रटाया जवाब देंगे । मैं फिर कह रहा हूं आखिर क्या कठिनाई है 90 दिन सदन चलाने में ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रक्रिया नियमावली के नियम–14 में वर्ष में साधारणतया 3 अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशनों का प्राविधान है, जिसका पालन यथासंभव करने का प्रयास किया जाना शासन से अपेक्षित है । यह प्रश्न औचित्य के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये अग्राह्य किया जाता है ।

उ० प्र० पुनर्गठन विधेयक, 2000 को सदन के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही शासन द्वारा अवलोकित कर संकल्प तैयार करके कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने से संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं अपनी इस सूचना के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । श्रीमन्, इस सम्मानित सदन के अन्दर 27 तारीख को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को प्रस्तुत किया गया, रखा गया वह सदन के पटल पर और उसी के ऊपर उसी तारीख के एजेण्डे में सरकार की तरफ से एक संकल्प भी सूचीबद्ध किया गया था । उस ऐजेन्डे में छपा हुआ था । इस बात को दोहराकर मैं इसलिये कह रहा हूं कि 27 तारीख को जो ऐजेन्डा था सरकार की तरफ से जो संकल्प प्रस्तुत किया जाना था ऐजेन्डे में सूची बद्ध था । उस संकल्प के अन्दर तमाम खण्ड, उपखण्ड, धारा और अनुच्छेद का जिक्र था जो मूल उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 से संबंधित थे । इस संकल्प को सरकार ने उस दिन वापस ले लिया । महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि उसे वापस ले लिया । महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैं क्यों जोर देकर कह रहा हूं आप विद्वान हैं मैंने इसे औचित्य के रूप में रखा है । संविधान के अनुच्छेद–3 को देखने का कष्ट करें । उसमें इस बात की व्याख्या है कि जब कभी भी किसी राज्य या राज्य क्षेत्र को मिलाकर कोई नया राज्य गठित किया जायेगा तो जिन राज्य या राज्यों की सीमाओं पर उस नये राज्य से प्रभाव पड़ेगा उन सभी राज्यों के विधान मण्डल को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन्देश भेजा जायेगा और जब तक महामहिम राष्ट्रपति उस विधान मण्डल की राय उस बिल पर नियत समय के अन्दर प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक वह बिल पार्लियामेन्ट के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । श्रीमन्, जो जोर देकर कहने की बात है मैं फिर दोहराकर कह रहा हूं कि इसके अन्दर व्यवस्था है भारत के महामहिम राष्ट्रपति संबंधित प्रदेश के विधान मण्डल को भेजेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सदन के सामने 3 तारीख को विचार के लिये बिल आने जा रहा है जिस बिल को सचिव विधान सभा द्वारा 27 तारीख को टेबिल किया गया । यदि आप ध्यानपूर्वक देखें । मेरे सामने जो पत्र है उसका उल्लेख करना चाहता हूं । पत्र है भारत सरकार के विशेष सचिव आर० डी० कपूर का दिनांक 7 फरवरी, 2000 के इस पत्र का अवलोकन करें स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 है । जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से उत्तर प्रदेश विधान मंडल को संदर्भित है । यह भारत सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा गया है । एक वैधानिक प्रश्न है जो संविधान कहता है महामहिम राष्ट्रपति के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बीच में और संबंधित राज्य विधान मण्डल के बीच में जो संवाद होगा उसके बीच में कड़ी नहीं होगी । मैं समझता हूं लेजिस्लेचर को बाइपास करने की बात नहीं है, यह निर्देश आपका हो सकता है आप कह सकते हैं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति के किसी कृत्य के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, मैं भिज्ञ हूं मैं महामहिम राष्ट्रपति के किसी आदेश निर्देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता हूं ।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति का संदेश उत्तर प्रदेश विधान सभा को सीधे प्राप्त होता या विधान परिषद् को सीधे प्राप्त होता, उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर को सीधे प्राप्त होता यह संविधान की मंशा है लेकिन विधान सभा को बाइपास करके, विधान परिषद को बाइपास करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संदेश को मुख्य सचिव को भेजा और मुख्य सचिव ने संदेश को उत्तर प्रदेश विधान सभा को भेजा लिहाजा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर 3 तारीख को विधान सभा में चर्चा होगी, यह महामहिम राष्ट्रपति का संदेश न होकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार के विशेष सचिव का संदेश हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री के नौकरशाह जो मुख्य सचिव हैं मुख्य सचिव का संदेश विधान सभा को भेजा जा रहा हो, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा संवैधानिक प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है । सदन को जिस पर विचार करना है वह राष्ट्रपति का संदेश न होकर प्रदेश के मुख्य सचिव का संदेश विधान सभा में प्रस्तुत किया जाए क्या यह सही है ? मान्यवर, बहुत मौलिक प्रश्न कहना चाहता हूं आपके यह भी निर्देश हो सकते हैं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति चाहें तो किसी के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं लेकिन भारत सरकार के विशेष सचिव ने जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है उसका आप अवलोकन करने का कष्ट करें–उसमें लिखा है इसका बिन्दु संख्या–7 देखें इसमें है कि–विधेयक को तब तक गुप्त रखा जाय जब तक वह "राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाय" मान्यवर, 27 तारीख को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव द्वारा 27 तारीख को विधान सभा के सदन के पटल पर रख दिया गया, 27 तारीख को एजेन्डे में छपा, लेकिन जो प्रस्तावित संकल्प था वह पहले ही छप चुका था जो माननीय सदस्यों को एजेन्डा बंटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 सदन के पटल पर 11.00 बजे के बाद रखा गया, तो मान्यवर अगर भारत सरकार के विशेष सचिव का पत्र भारत के महामहिम राष्ट्रपति की मंशा मान लें तो भी उसके मुताबिक जब तक विधेयक सदन के पटल पर नहीं रख जाता । उत्तर प्रदेश सरकार विधान सभा और विधान मंडल के ऊपर नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उस बिल का अवलोकन करे और संकल्प ले । इसलिये संविधान के अनुच्छेद–3 का उल्लंघन हुआ है । इस सम्मानित सदन का अनादर किया गया है । आज इस सदन के सामने जो विचार के लिये बिल टेबिल किया गया है वह 3-4 तारीख के अन्दर, जब कोई तारीख नियत की जायेगी तब इस बिल पर विचार करना होगा । इस प्रकार यह राष्ट्रपति महोदय का संदेश न होकर मुख्य सचिव द्वारा भेजे गये बिल पर विचार करना होगा । इसलिये यह बुनियादी संवैधानिक सवाल है । संविधान के अनुच्छेद 3 से यह संबंधित है, राष्ट्रपति के संदेश से तथा विधान सभा की नियमावली से संबधित है । चूंकि आपके निर्देश से, इस पीठ से विधान सभा के सचिव यहां पटल पर तमाम [illegible] जात रखते हैं, जो औपचारिक रूप से रखे जाने हैं । इसलिये यह बिल रखे जाने से प्रदेश की सरकार [illegible] तरफ से इस पर संकल्प प्रस्तुत करना और सुबह उसे बंटवा देना राष्ट्रपति के मंशा और संविधान के अनुच्छेद–3 का उल्लंघन हुआ है । इसलिये इस पर आप स्पष्ट व्यवस्था देने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश विधेयक का पुनर्गठन विधेयक यहां जो रखा गया है क्या उस पर यहां विचार न किया जाय । पिछले [illegible] यह सदन में जब पेश हुआ था तो उन्हें परेशानी थी, अब जब फिर पेश हुआ तो उन्हें परेशानी [illegible] मान्यवर, संवैधानिक बाध्यता है कि किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाय तो उसके लिये संबंधित [illegible] के विधान मंडलों की राय ली जायेगी । मेरी राय के लिये यह प्रस्तुत हुआ, आपने संवैधानिक [illegible] उठा दिया । संविधान के अनुच्छेद–3 में कहां यह उल्लेख है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति [illegible] निर्देश डाक से अथवा स्पेशल मैसेन्जर से भेजेंगे । माननीय सदस्य इस तरह की बात

करके केवल सदन का समय नष्ट कर रहे हैं । आपने 23 सितम्बर, 1998 को भी लगभग यही विचार रखे थे, जिस पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हुई थी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़कर उसे सुना सकता हूं । वह राष्ट्रपति महोदय को और यह माननीय अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एक बिन्दु यहां निस्तारित हो चुका है और अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो चुकी है तो इसमें कोई भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । जो राष्ट्रपति की सूचना आयी है वह संविधान के अनुच्छेद–3 के प्राविधानों के अनुसार आयी है, जो ठीक है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कोई भी अनियमितता नहीं किया है । न उत्तर प्रदेश सरकार बीच में आती है । महामहिम राष्ट्रपति जी ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से यह संदेश भेजा है । उन्होंने मुख्य सचिव को भेजा और मुख्य सचिव की बाध्यता थी यहां भेजा जाय तो वह उसे यहां क्यों नहीं भेजते । माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर 23 सितम्बर, 98 को अपनी व्यवस्था देते हुए यह कहा था कि "माननीय श्री मुन्ना चौहान और श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी का कहना है कि यह विधेयक सीधे विधान मंडल को आना चाहिये था लेकिन चूंकि किसी माध्यम का अनुच्छेद–3 में उल्लेख नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है । जो तर्क प्रस्तुत किया गया है वह इस सूचना के द्वारा संविधान में उसमें भले ही महामहिम राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप न किया गया हो परन्तु महामहिम के विवेक का किसी माध्यम से व संदर्भित कारणों से इस विधेयक को उसे लौटाना एक प्रकार से अन्तर निहित है ।" उन्होंने सीधे-सीधे यह कहा कि किसी प्रकार से नियम–300 में नहीं आती है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है उसको सुन लें ।

श्री हुकुम सिंह–

पहले मुझे सुन ले । महामहिम राष्ट्रपति जी ने 4 फरवरी, 2000 को एक सूचना दी है । आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं ।

"चूंकि भारत सरकार, सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्ताव करती है कि कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन द्वारा उत्तरांचल राज्य के निर्माण और उससे जुड़े हुए मामलों की व्यवस्था करने के लिये संसद में यथासमय शीघ्र एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाय,

और चूंकि, विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्ताव, जहां तक वह वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य से कतिपय राज्य क्षेत्रों को पृथक करके एक नये राज्य जिसे उत्तरांचल राज्य कहा जायेगा, के निर्माण से सम्बन्धित है, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र और सीमाओं को प्रभावित करता है, अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसरण में मैं एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000" नामक विधेयक को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल को 16 मार्च, 2000 तक उस पर अपना विचार व्यक्त करने के लिये निर्दिष्ट करता हूं ।"

इसमें समय की मांग की गयी थी जो कि महामहिम द्वारा कृपापूर्वक दे दी गयी थी । अब यह प्रश्न उठाया जाना कि मुख्य सचिव तो सरकारी नौकर हैं तो वह तो है ही इसमें कोई दो राय नहीं है । महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने काम करने का अधिकार है । उन्होंने बहुत सोच समझ कर केन्द्रीय सरकार के माध्यम से गृह सचिव को भेजा तो यह उनका अपना विवेक था । आप उसको चुनौती न दें । अगर आपको कोई क्षेत्रीय कठिनाई हो रही है तो उसे आप यहां न रखें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि .....

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप मेरी व्यवस्था सुन लें । आपकी सारी बात आ गयी है । अगर आप मेरी व्यवस्था से संतुष्ट न हो, तो फिर अपनी बात कह दीजियेगा । मैंने औचित्य के इस प्रश्न पर श्री मुन्ना चौहान एवं

संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा, कि यह प्रश्न इसके पूर्व भी सदन में प्रस्तुत किया गया है और इस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दे दी गयी है । मैंने दोनों के तर्कों को सुना है और मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं । सम्यक् विचारोपरान्त यह व्यवस्था दी जायेगी ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अभी यह कहा गया कि इस बिल को हम ब्लाक करना चाहते हैं इसलिये तत्समय उठाया गया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें गोरखनाथ पाण्डेय जी जो सिगनेटरी थे । मान्यवर, दूसरा वैलिड बिन्दु यह उठा कि वह भारत सरकार के गृह सचिव की बात को हमने माना जिसमें लिखा है कि जब तक विधान मण्डल में टेबुल नहीं होता है तब तक यह गोपनीय रखा जायेगा । विधान मण्डल में टेबुल होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे संकल्प पेश कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे दोहराने से क्या लाभ ? आपकी बात कार्यवाही का अंग है । इस पर पुनर्विचार करके व्यवस्था दी जायेगी ।

प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा समाप्त करने तथा परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिसमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व श्री रामजग की है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 45 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । "बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध राज्य के संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ।"

मान्यवर, संविधान की मंशा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विगत 10 वर्षों से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा निःशुल्क थी । विगत दिनों शासनादेश जारी करके प्रदेश के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों के ऊपर शिक्षा शुल्क बढ़ा कर लागू कर दिया जो एक मार्च से प्रभावी हो गया । मान्यवर, इसमें हाईस्कूल के छात्रों पर 15 रु० प्रति माह, इन्टर के छात्रों को कक्षा वर्ग और वाणिज्य वर्ग में 20 रु० प्रतिमाह और विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिये 25 रु० प्रतिमाह शुल्क किया गया है । सरकार की संवेदनहीनता इस बात से जाहिर होती है कि समाज के जो अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र हैं उनको शिक्षा उपलब्ध कराने में यह सरकार कितनी तत्पर है । उनको भी इस शुल्क से मुक्त नहीं रखा गया है । उनसे आधा शुल्क लिया जायेगा । जो परीक्षा शुल्क है वह भी बढ़ा है इसमें 24 जनवरी, 2000 को एक शासनादेश जारी हुआ हाईस्कूल के छात्रों के लिये जो परीक्षा शुल्क पहले 120 रु० था उसको 150/- रु० कर दिया गया और जो व्यक्तिगत छात्र हैं उनका शुल्क 200 रु० के स्थान पर 500 रु० कर दिया गया । इस शासनादेश से इन्टर में संस्थागत छात्रों का परीक्षा शुल्क 150 रु० से बढ़ाकर 300 रु० कर दिया गया और व्यक्तिगत छात्रों का 300 रु० से बढ़ाकर 600 रु० कर दिया गया बिल्कुल दुगुना कर दिया गया है ।

श्रीमन्, मैं आपसे विनती के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि जिस सावधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आज इस आदरणीय सदन में बैठी है उस संविधान की मंशा 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी थी और उसके अनुरूप ही पूर्व की प्रदेश सरकारों ने

एक अच्छी व्यवस्था कायम की थी । उत्तर प्रदेश सरकार जहां यह कह रही है कि हम सबको शिक्षा उपलब्ध करायेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता को विकेन्द्रीकृत करके किसी को वंचित नहीं रखेंगे शिक्षा से और आज इसी सरकार ने इतना बड़ा जन विरोधी निर्णय लिया है । मान्यवर, आज हमारी आबादी 16 करोड़ है और स्वयं सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि 47 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहें हैं अगर इस आंकड़े को देखें तो 6 करोड़ लोग दो जून की रोटी को मोहताज हैं और आज जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनसे सरकार कहती है कि हम शिक्षण शुल्क वसूलेंगे और उन परिवार के बच्चों से परीक्षा शुल्क बढ़ाकर लेंगे यह निर्णय सरकार का घोर जनविरोधी है और यह गरीब लोगों के हितों पर कुठाराघात है इसलिये इससे तत्कालिक और अविलम्बनीय कोई और प्रश्न नहीं हो सकता है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तत्कालिक और अविलम्बनीय विषय पर सदन के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें और इस शुल्क की बढ़ोत्तरी और परीक्षा शुल्क की वृद्धि को वापस लेने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को आप स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । आज उत्तर प्रदेश की सरकार जहां उत्तर प्रदेश में जहां ग्रामीण अंचल में और शहरों में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है । वहां यह सरकार छात्रों की फीस बढ़ाकर संविधान विरोधी काम कर रही है मान्यवर, सरकार ने शासनादेश जारी किया है हाईस्कूल में 15 से 20 बढ़ाया है इण्टरमीडियेट में 20-25 रुपये बढ़ाया है और परीक्षा शुल्क में यह सरकार हाईस्कूल में रेगुलर के लिये 300 रु० और प्राइवेट के लिये 500 रुपये कर इंटरमीडियेट में रेगुलर के लिये 400 और प्राइवेट के लिये 600 तथा विज्ञान के छात्रों के लिये 750 रु० कर दिया गया है । अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस बढ़ा दी है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अब तक यह व्यवस्था रही है कि इन्टरमीडियेट तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था और अनुसूचित जाति के छात्रों से किसी प्रकार की फीस न लिये जाने की व्यवस्था रही है । यह सरकार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्राओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है । पूरे प्रदेश के ग्रामीण और शहर की जनता जो गरीब है वह मर्माहत है मैं आपसे अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से जनविरोधी कार्यवाही कर रही है, आप नियमों को निलम्बित करके इसकी चर्चा करायें और बढ़ी हुई फीस को तत्काल वापस लेने का निर्देश दें ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें दो लोगों ने हस्ताक्षर किये थे । दोनों की बात आ गयी है । इसमें आपके हस्ताक्षर सही हैं, आप बैठें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बढ़ी हुई फीसों को इस सदन में वापस लेने की घोषणा करें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बहुत ही गहन विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है आप सहमत हों कि दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियों की बात आप करते हैं कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें हमारे बच्चे हमारे भाई और हमारे समाज के लोग पचास रुपया 100 रुपया फीस देते हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर पांच रुपये से सात रुपये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फीस ली जाती है और फिर शिकायत होती है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रही है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया और वृद्धि की गयी है। वह बहुत ही मार्जिनल हुई है। लगभग 45 वर्ष बाद पहली बार यह हुआ है कि कुछ वृद्धि हो जानी चाहिये ताकि यह पैसा शिक्षा संस्थाओं को अच्छा बनाने में इस्तेमाल हो सके। मान्यवर, कहा गया कि धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं, वह तो कहीं हो नहीं रहे हैं, हो भी नहीं पायेंगे क्योंकि आज का बच्चा समझता है, नागरिक समझता है कि उसे क्या करना चाहिये। जो कुछ हो रहा है, वह आपकी मानसिक क्रान्ति में हो रहा है।

विधायक निधि की पी०एल०ए० में जमा धनराशि के 31 मार्च, 2000 के उपरान्त व्यपगत हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो एक दूसरी बात बता दूं, लालजी वर्मा ने प्रश्न उठाया था, मैंने सदन को आश्वस्त भी किया था, इस संबंध में जानकारी दे दूं कि वित्त विभाग के 9 फरवरी, 2000 के शासनादेश के अनुसार खाता संख्या 8448 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के व्यक्तिगत लेखे के माध्यम से विधायक निधि के खाते का संचालन किया जायेगा, अब यह पैसा व्यपगत नहीं होगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

पूर्वांचल विकास निधि के बारे में भी बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सारे सदन की चिन्ता थी, इस पक्ष की भी थी, उस पक्ष की भी थी। विधायक निधि के बारे में तो बता दिया, पूर्वांचल विकास निधि का पैसा भी व्यपगत नहीं होगा।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामजग व श्री जगदम्बिका पाल आदि सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निशुल्क शिक्षा सुविधा समाप्त करने तथा परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

अब सारी बात आ चुकी है, नियम 311 के अन्तर्गत श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामजग और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः अस्वीकार की जाती है। अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद, डा० कौशल किशोर की है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की कि बढ़े हुये शुल्क को वापस लिया जायेगा या सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि इतने गम्भीर सवाल पर इन्होंने इतनी अनुदारता का परिचय दिया है और यह भी कहा है कि प्रदेश में कहीं धरने-प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, मा० सुबाष जी ने पूछा था कि बढ़े हुये शुल्क को वापस लेने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, बढ़ा हुआ शुल्क बालिकाओं पर नहीं है और बढ़ा हुआ शुल्क काफी सोच विचार कर लगाया गया है, इसलिये वापस लेने का सवाल नहीं है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामजग आदि मा० सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने दूसरी सूचना ले ली है, आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिये । आपकी पूरी बात आ गई है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इन स्कूलों में गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं । मान्यवर, इतनी बड़ी संवेदनहीनता का परिचय प्रदेश सरकार शिक्षा तथा परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दे रही है । इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होने चाहिये । शिक्षा को महंगा बना दिया गया है । आज उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पुनः विचार करने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये हम और हमारा दल सरकार के इस रवैया के विरोध में सदन में बहिर्गमन करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वहिर्गमन कर चले गये)

श्री रामजग–

मान्यवर, यह सरकार संवेदनहीन है,शिक्षा को महंगा कर दिया गया है इसलिये हम और हमारा दल सदन से वहिर्गमन करता है ।

(श्री राम जग अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

जिला कचहरी लखनऊ में शान्तिपूर्ण सत्याग्रह करते वकीलों पर लाठी चार्ज और बर्बर अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, नियम–311 के अन्तर्गत ये जो सूचना दी है । समूचे उत्तर प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है, श्रीमन्, 17 फरवरी, से समूचे उत्तर प्रदेश में जितनी कचहरी हैं, वकीलों की हड़ताल चल रही है और वकीलों की हड़ताल श्रीमन् इसलिये चल रही है कि भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जिस कानून के चलते वकीलों को हर पांचवे साल इम्तहान में जाना पड़ेगा । श्रीमन्, यही नहीं ऐसा कानून भारत सरकार ने बनाया है कि इसके तहत अब विदेशी वकील आकर उत्तर प्रदेश में और हिन्दुस्तान की कचहरियों में वकालत करेंगे । श्रीमन्, सी० पी० सी० में भी अमेन्डमेंट किया गया है । यह विषय केन्द्र सरकार का है और आज केन्द्र सरकार के इस काले कानून से उत्तर प्रदेश की कचहरियों में, विभिन्न जनपदों में 17 फरवरी से हड़ताल चल रही है । लाखों वकीलों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है । दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश की जेलों में हजारों-हजार लोग जो इनोसेंट हैं, जेलों में बन्द हैं, क्योंकि वकील हड़ताल पर हैं, उनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है । वादकारी जिला कचहरी में आते हैं और लौट जाते हैं । समाज के गरीब लोगों की जमीनों पर, उनके घरों में जबर्दस्ती कब्जा हो रहा है, यह इसलिये हो रहा है क्योंकि न्यायालय बन्द है, अदालतें बन्द हैं । पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल हो गया है । हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण समाज का तबका ही

---

* वक्ता नहीं भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं आज जो हमारे अध्यक्ष जो पीठ पर बैठे हैं, वह भी अधिवक्ता से आये हैं । देश में जितने भी प्रधान मंत्री हुए हैं वे वकील तबके से निकल कर प्रधान मंत्री की कुर्सी पर गये हैं । आज उनका अपमान हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और इस हड़ताल पर सरकार ने आज नोटिस नहीं ली है । मेरा विनम्र निवेदन है कि इस गम्भीर मामले पर इस आदरणीय सदन में एक प्रस्ताव पास किया जाए और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भेज दिया जाए भारत सरकार के पास, भारत सरकार के कानून मंत्री के सामने और प्रधान मंत्री के सामने कि आज वकीलों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त है । वकीलों पर लखनऊ में भी लाठीचार्ज हुआ है जिसमें से दो दर्जन से ज्यादा वकील घायल हुये हैं, उनके हाथ टूटे हैं, उनके सर फूटे हैं । आज श्रीमन्, अस्पताल में जाकर देखा जा सकता है दो दर्जन से ज्यादा वकील वहां लखनऊ मेडिकल कालेज में हैं । आज मुझे सूचना मिली है कि आज भी लखनऊ में लाठी चार्ज हुआ है और वकील बुरी तरह से मारे गये हैं । यह विषय केन्द्र सरकार का है लेकिन प्रदेश से भी संबंधित है । उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है । उत्तर प्रदेश की कोई कचेहरी ऐसी नहीं है जहां पर वकीलों ने प्रधान मंत्री और कानून मंत्री की अर्थी बनाकर जलाया न हो । लेकिन फिर भी सरकार की आंख नहीं खुल रही है इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय और एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय । वकीलों पर लाठी चार्ज होना कलंक हैं । वकील समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं वह विधि के ज्ञाता हैं और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वकील रहे हैं । जिन अधिकारियों ने वकीलों पर लाठी चार्ज किया है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और जो अराजकता का माहौल बना हुआ है उसको समाप्त करवाया जाय । ऐसे गम्भीर मामले पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके भेजने की मैं मांग करता हूं ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, पिछले । महीने से ज्यादा हो गया है वकील हड़ताल पर हैं इस कारण वादकारियों का हित बाधित हो रहा है और बेगुनाह लोग जेलों में भरे पड़े हैं वहां पर उनके रहने की जगह नहीं है । नतीजा यह हो रहा है कि पुलिस लोगों को जेलों में भेजने में संकोच कर रही है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं ऐसे लोगों के सामने दिक्कत पैदा हो गयी है । अधिवक्ता लोग इस काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं । वकीलों पर दिल्ली में पानी फेंककर उनको परेशान किया गया और उनके हाथ पैर तोड़े गये । कल लखनऊ में वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया है । मैं चाहता हूं कि आज इस विषय पर चर्चा करायी जाय और एक प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय । प्रदेश के अधिवक्ता भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और ऐसी स्थिति प्रदेश में पहले कभी नहीं रही है इसलिये मैं मांग करता हूं कि एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाय ।

* श्री दिलीप कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, वकीलों की हड़ताल एक महीने से चल रही है । कल लखनऊ में वकीलों पर भीषण लाठी चार्ज किया गया है और अनेक वकील अस्पताल में भर्ती है । इस घटना की जांच करायी जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय और इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कल जो वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ है, उसकी निन्दा करता है और दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारत सरकार अपने काले कानून को वापस ले । यह दोनों प्रस्ताव मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य ने 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है वह ऐसे प्रकरण के संबंध में है, जो कानून भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। वह कानून उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने नहीं बनाया है। आज आपको जानकारी मिली होगी। कल माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने एक निर्णय दिया है। वादकारियों को कोई कठिनाई न हो इसलिये यह निर्णय दिया कि सभी न्यायालय अपने कक्ष में बैठें, मुकदमों की सुनवाई न करें, उन्हें स्थगित न करें ताकि वादकारियों को कठिनाई न हो। अभी यहां लखनऊ की घटना को उठाया। लखनऊ में जो घटना हुई है उस घटना का इस कानून के संशोधन से कोई लेना-देना नहीं है। यह स्थानीय किसी बात को लेकर हुई थी और उसमें कार्यवाही की जा रही है। यह नियम 311 में नहीं आती है अतः इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस विषय पर श्री अवधेश प्रसाद, डा० कौशल किशोर एवं श्री दिलीप कुमार जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम 311 में नहीं आता है। अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

टेल्को वर्क्स फैक्ट्री, लखनऊ में दिनांक 28-3-2000 को की गयी गैर कानूनी तालाबन्दी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना 28-3-2000 को टेल्को फैक्ट्री लखनऊ में की गयी गैर कानूनी तालाबंदी तथा पुलिस प्रशासन के द्वारा दमनात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में श्री धनीराम वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार एवं श्री मुन्ना चौहान की है।

* श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वह जो सूचना मैंने दी है, यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व की है और तात्कालिक है। चिनहट, लखनऊ में टेल्को फैक्ट्री स्थित है. टेल्को की पूरे देश में कई जगह इस तरह की फैक्ट्री है। लखनऊ के फैक्ट्री में जो विवाद है वह वेतनमान को ले करके है और पिछले कई वर्षो से चल रहा है। वेतनमान के पुनर्धारण के लिये पिछले 5 वर्षों से यहां की यूनियन के लोग लगातार प्रबन्धतंत्र से प्रयास करते रहे। उनकी मांग थी कि जितना पूना में दिया जाता है वही वेतनमान यहां दिया जाय। उप श्रमायुक्त के हस्तक्षेप के बाद भी प्रबन्धतंत्र ने इनकी मांग नहीं मानी और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 28 मार्च, 2000 को जब वार्ता चल रही थी, 12 बजे दिन से लेकर 1 बजे रात्रि तक। उस समय उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उन्हें बुरी तरह से घायल किया गया और इतना ही नहीं यहां के प्रशासन का जो रवैया रहा, ए० डी० एम० ट्रांस गोमती का वह बर्बरपूर्ण था। शान्तिपूर्वक वार्ता चल रही थी कोई व्यवधान नहीं था। उप श्रमायुक्त के हस्तक्षेप के बाद वहां के प्रबन्धतंत्र ने उनकी मांगों को नहीं माना। इस सरकार ने कई कीर्तिमान स्थापित किये हैं। यह लखनऊ का प्रकरण है इस सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि हस्तक्षेप करके इसको समाप्त कराया जाये। स्थिति यह है कि तमाम लोग धारा 307, 302 और अन्य कई धाराओं में जेल भेजे जा चुके हैं। दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, कई गम्भीर रूप से घायल हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल लांक-आउट जो गैर कानूनी है, को समाप्त कराया जाये और फैक्ट्री को खुलवाया जाय तथा मजदूरों के हित की रक्षा की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बरीष कुमार–

अभी टेल्को का प्रकरण माननीय रेवती रमण सिंह जी ने उठाया । मैं दो-तीन तथ्यों की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 13-4-99 को मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने प्रबन्धिका को यह पत्र दिया था कि 1986 में जो कर्मचारी लखनऊ में भर्ती हुए थे और उसी समय पूना और जमशेदपुर की फैक्ट्री में भर्ती हुई थी उनके वेतनमान में 4 हजार रुपये का अन्तर था और श्रम विभाग की उदासीनता भी देखिये । लेबर कमिश्नर से अपर लेबर कमिश्नर से वार्ता हुई और प्रबन्धिका ने मना कर दिया लेकिन इसके बाद भी एक अनुत्तरित प्रश्न है आखिर इस गतिरोध के बावजूद श्रम विभाग ने, प्रशासन ने क्या कदम उठाए कि यह विवाद शान्त हो सके और इस विवाद का हल निकल सके । 28 को प्रबन्धिका और मजदूर संघों की सीधी वार्ता हुई, सीधी वार्ता हो रही थी कि वहां पर एक कूट रचना हुई, षडयंत्र हुआ प्रबन्धिका और प्रशासन के बीच वार्ता से पहले ही 12 बजे से ही भारी पुलिस फोर्स वहां बुला लिया गया रात 9 बजे तक वार्ता चलती रही यह चिन्ता का बिन्दु है, चिन्तनीय बिन्दु है कि जब 9 घंटे तक वार्ता हुई लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं हुई लेकिन अचानक 9 बजे रात को पुलिस बल की जरूरत भी महसूस हुई और हिंसा भी हो गयी और मजदूरों पर आरोप भी लगा दिया गया । यह कोई नई बात नहीं है हमेशा पिटता है मजदूर, हमेशा पिटता है दलित,हमेशा पिटता है कमजोर वही स्थिति टेल्को में भी हुई वहां मजदूर पिटा 30 लोगों के फ्रैक्चर हुआ, 40-42 लोग बन्द किये गये हैं 50 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर पर कहीं न कहीं चोट हैं । इतनी बड़ी घटना हो गई है और उसके बाद भी आज भी मजदूर के घर पर पुलिस के छापे पड़ रहे हैं । प्रबन्धिका गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री में तालाबन्दी करके अपने-अपने घरों पर चैन की नींद सो रही है । साथ ही मजदूरों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और यह स्थिति पैदा की जा रही है कि या तो मजदूर शोषण के लिये तैयार हो या फिर प्रशासन के साथ मिलकर उसका यही हाल कराया जायेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन के पास यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धारा–3 के तहत पावर है ।

"पावर टू प्रिवेन्ट स्ट्राइक्स लाक आउट्स फार अपाइटिंग कमेटीस रिप्रेजेन्टिंग बोथ आफ द एम्प्लायर एण्ड वर्क मेन फार सिक्योरिंग कमेटी एण्ड गुड रिलेसन्स बिटवीन द एम्प्लायर एण्ड वर्कमैन एण्ड फार सेटलिंग इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बाई कान्सिलिऐशन ।"

अगर श्रम विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों ने संयम से काम लिया होता तो इस विवाद का हल पहले हो गया होता । मैं आपके माध्यम से दो बिन्दु रखना चाहता हूं एक बिन्दु तो यह है कि जो हिंसा हुई है, पुलिस के द्वारा हुई है या जिस किसी के द्वारा हुई है इसकी जांच कराई जाय । दूसरा बिन्दु यह है कि जो एक हजार लोगों के रोजी रोटी का जीवन निर्वाह का प्रश्न खड़ा हुआ है उसका निराकरण किया जाय क्योंकि हमारे प्रदेश में वैसे ही बेरोजगारी की भयावह समस्या है । अतः एक एम्पीकेबुल सेटलमेंट होना चाहिये । इम्लाइज और इम्लायर के बीच । जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि इस मामले में ए० डी० एम० स्तर के अधिकारी संलग्न हैं अतः इसकी जांच किसी ऐसे उच्च अधिकारी से जो ए० डी० एम० से बड़े स्तर का हो चाहे वह आयुक्त हो या बोर्ड आफ रेवेन्यू का मेम्बर हो । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए यह कमेटी एम्पीकेबिल सेटलमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करे जिससे इस समस्या का निराकण किया जाए । यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, लखनऊ स्थित टेल्को फैक्ट्री के अन्दर जो घटना घटित हुई उस संबंध में कहना चाहता हूं श्रीमन् हम सब इस सदन के अन्दर बैठकर चिन्ता करते हैं, सरकार भी इस बात के लिये चिन्ता करती है, इस प्रदेश के अन्दर निरन्तर एक बहस होती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर

औद्योगिक वातावरण का सृजन किया जाय । एक साधारण सी बात है, प्रबन्धतंत्र और कामगारों के बीच कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इसके साथ ही साथ कानून में इस बात का स्पष्ट प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी चाहे वह लेबर कमिश्नर हो, डिप्टी लेबर कमिश्नर को रिकंसाइलेशन आफिसर का रोल अदा करे मालिकों और मजदूरों के बीच में बैठ कर जो भी समस्या है उसका समाधान खोजे । इस बात की कोई आवश्यकता नहीं थी कि लाठी चार्ज हो या कोई बल का प्रयोग किया जाय । कोई भी गैर कानूनी काम मजदूरों की तरफ से नहीं किया गया । यह फैक्ट्री का यह इकाई अलाभकारी साबित हो रही थी या कोई और बात थी जिसके तहत प्रबन्धतंत्र कोई न कोई बहाना ढूढ़ रहा था कि इस इकाई को बन्द करा दिया जाय और इसका श्रेय मजदूरों के मत्थे जड़ा जाय, जिसके लिये प्रबन्धतंत्र ने ऐसा वातावरण तैयार किया कि हिंसा भड़के । यह साधारण मामला नहीं है । इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जगत में वहां के मजदूर यूनियनों में भारी रोष व्याप्त है । जिस तरह से निरन्तर कारखानों के अन्दर मजदूरों के हितों की अनदेखी इस सरकार द्वारा की जा रही है जिससे औद्योगिक जगत पर बुरा असर पड़ रहा है, प्रतिकूल असर पड़ रहा है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये और दोषी अधिकारियों को उजागर कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । मजदूरों को राहत पहुंचाई जाय तथा कारखाने को खुलवाया जाय । आपने मुझे इस प्रकरण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत टेल्को फैक्ट्री के श्रमिकों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस संबंध में जो विचार मा० रेवती रमण जी, मा० मुन्ना चौहान जी और मा० सदस्य श्री अम्बरीष कुमार जी ने रखे । मैं उन पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्धतंत्र और श्रमिकों के बीच में जब सुलह समझौते की बात चल रही थी तो फिर लाठीचार्ज क्यों हुआ किसके आदेश से हुआ ? इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिये और जो दोषी पाये जाये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा इसमें जो घायल श्रमिक हैं उनकी दवा के लिये हरजाने के रूप में टेल्को फैक्ट्री के प्रबन्धतंत्र को मुआवजा देने के निर्देश दिये जाये तथा फैक्ट्री फिर से खोली जाय । जिन अधिकारियों के आदेश से लाठी चार्ज हुआ, जांचोपरान्त अगर वह दोषी पाये गये जायं तो उनको सजा दी जाये । मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से वह अधिकारी दोषी हैं, कहीं न कहीं इस सरकार और टेल्को प्रबन्धतंत्र के बीच सांठगांठ जरूर रही होगी । जिसके तहत यह लाठी चार्ज करवाया गया ताकि फैक्ट्री बन्द हो । घाटे के कारण पहले से ही टेल्को का प्रबन्धतंत्र इसे बन्द करना चाहता था । जो श्रमिक बेरोजगार होंगे और जिनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे और इस सरकार के लिए यह अभिशाप होगा इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि टेल्को के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और टेल्को फैक्ट्री को खुलवाकर श्रमिकों को कार्यरत करवाया जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, टेल्को कम्पनी निजी क्षेत्र की कम्पनी है । आज के इस युग में जबकि कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिक का युग है तो इस कम्पनी का भी अपना एक महत्व है । यह कम्पनी कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है । हमारे प्रदेश के श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है कि श्रमिकों के हितों के प्रति हम संवेदनशील हों । एक विवाद चल रहा था काफी समय से वेतनवृद्धि को लेकर । कई बार प्रश्न उठाये गये कि शासन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है हम लोग अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं । जहां तक शासन की भूमिका का सवाल है जहां भी आवश्यकता पड़ी शासन ने तुरन्त अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास किया जब वेतनवृद्धि की वार्ता चल रही थी तो हमारे यहां लखनऊ के उप श्रमायुक्त ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से वार्ता की, वार्ता करने के उपरान्त

इम्पलायर दो हजार रुपया वेतनवृद्धि के लिए तैयार हो गये परन्तु यह वेतनवृद्धि श्रमिक नेताओं को स्वीकार नहीं हुई । वह लगभग सैंतीस सौ रुपये वेतनवृद्धि की मांग कर रहे थे । इस समझौते को कराने में हमारे प्रयास सफल नहीं हो सके । इम्पलायर ने इतनी वेतनवृद्धि करने में अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है । यह सारी बातें चल रही थीं और शासन स्तर पर प्रयास किया जा रहा था परन्तु 28 मार्च, 2000 को घेराव हो गया कुछ श्रमिक नेताओं ने वहां के महाप्रबन्धक सी०वी० सिंह का घेराव कर लिया और प्रशासनिक कार्यालय का घेराव कर लिया । घेराव चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी बन्द हैं और प्रशासनिक कार्यालय बन्द है, सामने श्रमिक बैठे हैं, अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमें बाहर निकलवाया जाय तो उस समय प्रशासनिक अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए । जिन लोगों ने अपने उद्योग यहां लगाये उन उद्योग के अधिकारी और कर्मचारी बन्द हो जाते हैं और उनकी मांग होती है कि हमारी जान को खतरा है तो वहां पर हमारे अधिकारी जाते हैं जाने के बाद जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि जो दो नेता थे जिनके नेतृत्व में काम चल रहा था वह पुलिस मुर्दाबाद और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये । इसके बाद वहां पर जो अग्निशमन यंत्र लगे हुये थे उनको तोड़ दिया गया और जो शीशे लगे हुये थे उनको तोड-तोड़ कर बराबर पुलिस के ऊपर फेंके जाने लगे जिससे हमारे कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जख्मी हो गये और वहां पर जो आयरन राड पड़ी हुई थी उनसे वह हमला करने लगे ।

उससे पुलिस के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हमला किया गया तब जाकर शान्ति स्थापित करने के लिये कौन सा रास्ता रह जाता है । तीन बार वार्निंग देने के बाद में उनको निकालने के लिये जितनी आवश्यक कार्यवाही थी, की गई । एक ओर तो हम यह कहते हैं कि हमारे यहां उद्योग चलें और दूसरी तरफ उद्योग चलाने में इस तरह की बाधा पैदा करने का प्रयास करें । अभी मणि जी ने कहा नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कहा कि यह उद्योग घाटे में चल रहा है वह यहां से भागना चाहते हैं । आप निष्पक्ष भाव से सोचें कि अगर उद्योग घाटे में चल रहा है तो वह वेतनवृद्धि करने के लिये कैसे तैयार हो जायेंगे । वेतनवृद्धि की बात हम दबाव बनाकर प्रयास करते हैं कि हो जाय । वह तो स्वयं कह रहे हैं कि हम दो हजार रुपये प्रतिमाह देने के लिये तैयार हैं । तब भी समझौता नहीं होता है । यह सारी स्थिति थी जिस कारण से यह मामला आया । मेरी आपकी भूमिका क्या होनी चाहिये ? किस तरह से विवाद को समाप्त करवायें ? मैं और आप मिलकर कोशिश करें ताकि दोनों ओर से कोई आपत्ति न हो । एक ऐटमौसफियर बने, एक वातावरण बनें कि यह फैक्ट्री दोबारा चल जाय । कुंवर साहब ने अभी कहा पता नहीं इनको कहां से जानकारी हो जाती है । आपने कहा कि 302 के मुकदमें कायम हुए हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

307 कहा था ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरे पास जो जानकारी है उसमें 147, 148, 149, 336, 436, 353,504, 506, 427 धाराएं हैं । 307 और 302 में कोई नहीं है । जो धाराएं मैंने बताई उसमें मुकदमें कायम हुए हैं । मान्यवर, यह स्थिति है इसलिये कोई 311 का विषय नहीं बनता है इसको निरस्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ...

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बयान किया है और स्वीकार किया कि फैक्ट्री चलनी चाहिए । मेरा कहना है कि यह लांकआउट इन्लीगल हैं, गैर कानूनी हैं । इसको चलवाने के लिये सरकार को पहल

करनी चाहिए और यहां पर एक सर्वदलीय कमेटी बना दें सत्ता और विपक्ष के लोग उसमें रहें जो पहल करके इस फैक्ट्री को चलवाये । किन्हीं कारणों से नहीं मानते हैं तो कमिश्नर लखनऊ को अधिकृत कर दें इस मामले में पहल करके वो इस फैक्ट्री को चलवायें । जो मुकदमें और धाराएं मजदूरों के ऊपर लगाई गई हैं उनको समाप्त करें । पूरे प्रकरण की जांच कमिश्नर लखनऊ द्वारा करवायें और वे 15 दिन में सदन को इसकी रिपोर्ट देने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें जो कार्यवाही होनी है वह चल रही है । अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या कार्यवाही चल रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

बताते हैं । कार्यवाही चल रही है । प्रशासन की और हमारे श्रम विभाग का पूरा प्रयास यह रहा है कि यह उद्योग चलता रहे । दोनों पक्षों में एक समझौता हो जाय । प्रयास जारी है । दूसरी बात यह है कि जो हिंसा हुई है । हिंसा के बारे में मुकदमा कायम हुए हैं आपका पूरा सहयोग रहा तो उनको खत्म कराया जायेगा और जो कार्यवाही चल रही है वह चलती रहेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्यवाही होती रहेगी । हम कार्यवाही करके मामले को सुलझाने की बात कर रहे हैं । फैक्ट्री चलवायें । आप कह रहे हैं कि कार्यवाही होती रहेगी इस तरह से समझौता नहीं होता है । समझौते का प्रयास कब होगा जब डी०एम० के आदेश से वहां पर लाठी चार्ज हुआ है । कोई उच्च अधिकारी यहां से जायेगा प्रयास करेगा तब ही तो सार्थक होगा । यहां बैठकर इस तरह का उत्तर देंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी । हमारा आपका दोनों का प्रयास होना चाहिए कि फैक्ट्री चले ।

कमिश्नर लखनऊ को अधिकृत क्यों नहीं कर देते हैं कि जांच करें । यदि आप प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि 15 दिन में जो धारायें मजदूरों के ऊपर लगी हैं वापस हो जाएं । (जवाब न आने पर) बोलिए भई, बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से करा लें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक उत्तर दे दिया । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है इससे सवाल का हल निकलने वाला नहीं है । मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना है ?

श्री हुकुम सिंह–

इसमें विभाग इस बात का प्रयास कर रहा है कि फैक्ट्री बन्द न हो । एक अधिकारी जो समस्या से संबंधित है जो समस्या से भिज्ञ है जो इस बारे में जानते हैं जिन्होंने इस प्रकरण को लिया है, आपने कह दिया, कि कमिश्नर, को अधिकृत कर दें, श्रम विभाग के अधिकारी पहले से अधिकृत हैं आपका सहयोग हो जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 311 में नहीं आती है । इसको निरस्त किया जाता है अगली सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री संजय गर्ग, श्री राजपाल सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रदीप कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री बाबू लाल, श्री परवेज हलीम की है । इसको निरस्त किया गया । दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है । इन्होंने जनपद आजमगढ़ में ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान के संबंध में सूचना दी है । इसको

विधायक समस्या के अन्तर्गत सुना जायेगा । तीसरी सूचना श्री श्रीराम पाल की है । इन्होंने जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट तथा अन्य घटनाओं के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको विधायक समस्या के अन्तर्गत सुना जायेगा । चौथी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है । इन्होंने विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर में तहसील भवन न बनवाये जाने के संबंध में सूचना दी है । इसको विधायक समस्या के अन्तर्गत सुना जायेगा । पांचवीं सूचना श्री हरदेव की है । इसकी सूचना को अस्वीकार किया जाता है छठी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी जी की है । इसको भी अस्वीकार किया जाता है । सातवीं सूचना श्री सीताराम निषाद जी की है । इन्होंने उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 1999 की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में हेराफेरी के संबंध में सूचना दी है । इसको नियम–51 में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

(मद संख्या–4 पुकारे जाने पर कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था सुनाई यह माननीय अध्यक्ष जी की दी हुई व्यवस्था है ।

जनपद मेरठ में महानगर बस सेवा की बसों में प्रवेश एवं निकासी हेतु दरवाजों की अलग-अलग व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री रविन्द्र तायल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ में महानगर बस सेवा की बसों में प्रवेश निकास हेतु दरवाजों की अलग-अलग व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री रविन्द्र तायल तथा श्री राकेश मेहरा, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, पीठ से अध्यक्ष जी ने कहा था कि दो-दो मिनट सुनेंगे आप कह रहे हैं नहीं सुनेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह अध्यक्ष जी की व्यवस्था थी जो मैंने कही ।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

पीठ से हमसे कहा गया था ।

सत्रकाल के दौरान जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुलाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, सदन की पीठ से समय-समय पर निर्णय लिये गये हैं कि जिस समय विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय जनपदों में जिनमें विधान सभा के सदस्य समितियों के सदस्य होंगे चाहे वह जिला योजना, डी० आर० डी० ए०, बी० डी० सी०, क्षेत्र पंचायत की बैठकें हों उनको आहूत नहीं किया जाएगा लेकिन तीन तारीख को मेरे जनपद में मैं उसका सदस्य हूं बनकटी क्षेत्र में बैठक मुख्य विकास अधिकारी ने आहूत कर ली है जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा है ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो आपने कहा है मैं उससे सहमत हूं। बार-बार आश्वासन दिये गये हैं कि जिन समितियों में माननीय सदस्य हैं उनकी सत्र के दौरान बैठक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक पहलू यह भी देख लें कि क्षेत्र समितियों, बी०डी०सी०, की बात कह रहे हैं तो एक-डेढ़ महीने यह सत्र चलेगा, आपको देखना होगा कि कितने माननीय सदस्य बी०डी०सी० की बैठकों में जाते हैं ? इसलिए इसमें मैं समझता हूं कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

''यह सदन केन्द्र सरकार में संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रख दिया जाय'' विषयक श्री गोरखनाथ पाण्डेय का नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मेरे प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने का आदेश दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, भारत के संविधान में राज्य विधान सभा में कुछ व्यवस्था दी गयी है और वहीं दूसरे सदन, राज्य विधान परिषद् जो उच्च सदन के रूप में है भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 में व्यवस्था दी गयी है कि 12 ऐसे जो कला, विज्ञान के क्षेत्र से अथवा सरकारी व्यवस्थाओं से महामहिम राज्यपाल द्वारा माननीय सदस्य नामित किये जाते हैं उसके तहत अनुच्छेद 171 के खण्ड 5 के माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव यहां रखा था और उसमें यह निवेदन किया था कि

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रख दिया जाय।''

मान्यवर, जहां तक विधि क्षेत्रों से जो हम लोग यहां आते हैं और यहां स्वच्छ विचार रखते हैं जिनसे समाज को एक नई दिशा मिलती है उसी तरह अधिवक्ताओं का यहां सदन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनसे अच्छे विचार आ सकते हैं उनके द्वारा नियम और कानून बनाने में उनका सहयोग मिल सकता है यदि अधिवक्ताओं को भी विधान परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जाता तो यह एक अच्छी परम्परा होती। मान्यवर, आज से पूर्व, आजादी से लेकर आज तक आप देखें तो महात्मा गांधी और भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। पहले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के योगदान से आज यहां लोकतंत्र लाभान्वित हो रहा है और वे विधि क्षेत्र से ही आये थे। मान्यवर, पहले प्रधान मंत्री के रूप में पं० जवाहर लाल नेहरू विधि क्षेत्र से ही संबंधित थे और इसके बाद डा० भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना में अपना सहयोग दिया और लोकतंत्र यहां कायम हुआ जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। मान्यवर, वह भी विधि विशेषज्ञ रहे थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि विधि क्षेत्र से जो लोग आते हैं विधि में विशेषज्ञ हैं, जो कानून बनाने के लिए आते हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उन्हें यदि यहां आने का मौका मिलता है तो उनसे हम लोग लाभान्वित होंगे और कानून में, नियमों में, बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को विधान परिषद् के माध्यम से यहां पर लाने का अवसर दिया जाय। मान्यवर, चाहे विधि की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, वाद-विवाद हो उसमें सुधार लाना अपेक्षित है। हम अपनी समस्याओं को रखते हुए विधि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बनाते समय एक स्वस्थ्य परम्परा कायम करना चाहते हैं । तो मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था दी जाती है तो यह पूरे देश के लिए एक दिशा-निर्देश होगा और एक परम्परा कायम होगी । विभिन्न क्षेत्रों से जो विद्वान कला प्रेमी, साहित्यकार, वैज्ञानिक आते हैं उनसे हमें ज्ञान का लाभ होगा और इससे यह भी फायदा होगा कि हमें बार-बार विधि में कोई संशोधन भी नहीं करना पड़ेगा । तो मैं अपने प्रस्ताव के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पारित करते हुए केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करके उन्हें भी अवसर दिया जाय ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय मै श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं । इस देश का दुर्भाग्य यह रहा है कि आजादी के पहले अधिवक्ताओं ने जो योगदान देश की आजादी और समाज के उत्थान में दिया, आजादी के बाद लोग अधिवक्ताओं को भूल गये । अगर हम याद करें डा० राजेन्द्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है, तो यह कहां से व्यवस्था चल रही है ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के योगदान को यदि हम याद करें तो देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसकी कापी में आज भी लिखा है कि "एक्जामिनी इज बैटर दैन एक्जामिनर" । डा० राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता समुदाय से आये थे । वे अपनी सारी सुख-सुविधा और वैभव को छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूदे और उसमें भाग लिया । उन्हें देश का प्रथम राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ । आज इस संविधान के अन्तर्गत लोक सभाएं एवं विधान सभाएं चल रही हैं । संविधान का राज्य चल रहा है । हम डा० भीमराव अम्बेडकर को नहीं भूल सकते हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की, वह भी अधिवक्ता समाज से आये थे । सरदार बल्लभ भाई पटेल, मोती लाल नेहरू जी, जिन्ना साहब की भी मैं याद दिलाना चाहता हूं । इस विधान सभा के अध्यक्ष महोदय भी अधिवक्ता समाज से आये हैं और बड़ी ही कुशलता के साथ इस विधान सभा का संचालन कर रहे हैं ।

मान्यवर, संविधान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए मनोनयन की व्यवस्था है लेकिन जो बहुत बड़ा समाज है अधिवक्ता समाज, उसके बारे में चिन्ता नहीं की गयी है । श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी ने इस सदन में प्रस्ताव लाकर अधिवक्ता समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करने का जो प्रयास किया है यह सदन उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करे तो अधिवक्ता समाज द्वारा किये गये देश निर्माण में योगदान के प्रति वह कृतज्ञता अर्पित कर सकेगा । यह ऐतिहासिक बात होगी । अधिवक्ताओं को भी लगेगा कि उनके लिए विधान सभा ने चिन्ता की है ।

विधान सभा और लोक सभा कानून बनाती है कानून बनने के बाद जब दोबारा फिर सदन आहूत होता है तो यह बात समझ में आती है कि इसमें त्रुटि रह गयी । जब मैं छात्र था तो यह बात मैंने समाचार-पत्र में पढ़ी थी कि कानून बनाने वालों को कानून जानने की आवश्यकता नहीं है (ला मेकर्स नीड नाट नो दि ला) मैं आश्चर्य में पड़ गया था । आज अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में, सदन में लाने के प्रयास की आवश्यकता है, फिर शायद बार-बार संशोधन करने की कानून में आवश्यकता नहीं होगी । इसी के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है । उसकी कोई उपयोगिता नहीं है । आज इस तरह की व्यवस्था संविधान में की गयी है जिसमें साहित्यिक विज्ञान कला और समाज

सेवा में रहने वाले लोगों को जो राजनीति में रुचि नहीं ले पाते हैं ऐसे लोगों को महामहिम राज्यपाल को नामांकित करने का अधिकार दिया गया है । इसका मकसद यह था कि ऐसे वर्गों को वहां प्रतिनिधित्व मिल जायेगा ।

मान्यवर, जहां तक विधि विशेषज्ञों की बात है संविधान लागू हुआ, ऐसी व्यवस्था न होते हुए भी जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी ने बताया देश की सर्वोच्च कुर्सी–राष्ट्रपति, प्रधान मत्री, विधान सभा के अध्यक्ष, मुख्य मंत्री के पदों पर विधि विशेषज्ञ या वकील वर्ग के लोग आसीन हुए हैं । मान्यवर, यह 425 सदस्यों की जो विधान सभा है उसमें एक चौथाई के आस-पास उस वर्ग के लोगों का निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व होगा । ऐसी स्थिति में इसमें इन शब्दों को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं होता है, हां कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों का भी इसमें नाम बढ़ाया जाता तो निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम होता । मान्यवर, विधान परिषद् में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है वहां स्नातक लोगों को ही वोट देने का अधिकार है । इसमें विधि विशेषज्ञ भी आते हैं । मान्यवर, ऐसे संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए इसको वापस लेने का कष्ट करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन् कदाचित इस सदन में नामित या चयनित करने की बात इस संकल्प में नहीं है इस संकल्प की मूल मंशा है कि जिस तरह से उच्च सदन का गठन प्रदेशों में है उस उच्च सदन में इस बात का प्रयास किया जाता है कि जो विधेयक हम इस सदन से पारित करें उस विधेयक के संबंध में उच्च सदन में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति चयनित होकर आयें । हमारे उच्च सदन में ग्रेजुएट कांस्टीटुएन्सी के लोग हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापक भी चुनकर आते हैं और महामहिम राज्यपाल के द्वारा जिस बात का उल्लेख किया गया है और जो सामाजिक साहित्य या कला के क्षेत्र में हैं उनको भी नामित किया जाता है । मैं उन बिन्दुओं को दोहराना नहीं चाहता हूं ।

जंगे आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश या देश में राजनीतिक आन्दोलन में अधिवताओं की कितनी मुख्य भूमिका रही है और आजादी की लड़ाई में कम से कम इस इतिहास को मुकम्मल नहीं कर सकते तब तक उन तत्कालीन अधिवक्ताओं ... द्वारा जो योगदान रहा उनको जोड़ा नहीं जाता । मान्यवर, स्वनाम-धन्य राजेन्द्र ... बाबू, माननीय अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी और अधिष्ठाता जी आप स्वयं अधिवक्ता क्षेत्र से आते हैं हम सब यह मानते हैं कि हम कानून बनाने का काम करते हैं आज कानून बनाने का काम कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, हम विधायक हैं और विधायिका के अंग हैं । श्रीमन् क्या यह विडम्बना का विषय नहीं है ? कदाचित जब लोग यह कहते हैं, एक उल्लेख किया माननीय सदस्य ने कि हमारे बारे में यह धारणा बनी कि हमारे सदन में जो कानून के निर्माता हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है (व्यवधान) अध्यादेश और विधेयक में क्या अन्तर है ? कब सदन के पटल पर रखा जायेगा ? कब व्यपगत हो जायेगा ? संचित निधि यह भारित निधि क्या है ? पूंजी लेखे, राजस्व लेखे तो श्रीमन्, अधिवक्ताओं का एक ऐसा क्षेत्र है अधिवक्ताओं के पूरे क्षेत्र में यह सदन एक आदर्श सदन रहा है और साधुवाद मैं करूंगा पाण्डेय जी का कि यह एक ऐसा संकल्प लाये हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं मार्ग-दर्शक का काम करेगा बल्कि देश के दूसरे सदन में जो उच्च सदन हैं उनमें जो अधिवक्तागण है विधि के जानकार जो लोग हैं, वहां उच्च सदन में उनका स्थान सुरक्षित हो सकें । जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में नामित किया जाता है । श्रीमन् साहित्य से से जुड़े हुए किसी पत्रकार को सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए किसी को और कला के क्षेत्र से किसी को आज हम नामित कर सकते हैं तो आज भी करोड़ों-करोड़ों लोगों के हितों की रक्षा करते हैं जो विधि की व्याख्या करते हैं और इस विधि की भी जो हम निर्माण कर देते हैं उनकी भी कमियां आती हैं

उनको उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में हमारे अधिवक्ता उन कमियों के बारे में संदर्भित करते हैं। श्रीमन्, गोरखनाथ पाण्डेय जी के संकल्प पर मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि यह कोई राजनीतिक विषय नही है और सम्पूर्ण सदन को इसमें सहयोग करना चाहिए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने पुनः बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। हम लोग दोनों सदनों से कानून व्यवस्था संचालित करने के लिये व्यवस्था देते हैं और सब कुछ स्वस्थ्य परम्परा के अनुकूल हो, इसके लिये आवश्यक है कि विधि विशेषज्ञ उच्च सदन में मनोनीत हों। ऐसी परिस्थिति में, जब कानून व्यवस्था लुंज-पुंज होती दिख रही है, जहां वाद-विवाद का स्तर घटता जा रहा है, हमारी परम्परायें अव्यवस्थित होती जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में विधिवेत्ताओं का होना आवश्यक है। अगर वह रहेंगे तो हमारा वाद-विवाद का स्तर ऊंचा होगा और किसी भी कानून को बनाने के बाद, उसके संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाय, ताकि पूरे देश में इससे एक अच्छा संदेश जाये।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अपने प्रस्ताव के माध्यम से सम्मानित सदस्य श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी ने भावना रख दी है और इस पर विस्तार से चर्चा भी हो गई है। यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर सभी सदस्यों के अलग-अलग विचार हैं, जो सामने आये हैं। यह किसी दल विशेष से जुड़ा प्रश्न नहीं है। इसमें विचारणीय विन्दु यह है कि जब हम राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिवक्ताओं के योगदान की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि बहुत विद्वान अधिवक्ता आन्दोलन में कूदे। वह केवल अधिवक्ता नहीं थे बल्कि उससे आगे भी कुछ थे। 171(5) में आप देखें, इसमें समाजसेवी भी लिखा है, वैज्ञानिक भी लिखा है, साहित्य भी लिखा है। जिन महान व्यक्तियों की हम बात करते हैं, वह अधिवक्ता से ऊपर उठकर समाज की सेवा में लिप्त थे, इसी कारण से वह प्रातः स्मरणीय हो गये। मेरा आग्रह है कि यदि हम वर्ग विशेष की बात करेंगे तो फिर डाक्टर की बात कैसे हटा देंगे, यह इतना बड़ा समाज है, इसमें कृषक वर्ग भी है, वैज्ञानिक भी है, इसीलिये हर वर्ग का कोई भी व्यक्ति इसमें हो सकता है, बशर्ते कि वह समाजसेवी हो। समाजसेवा का भाव जिन अधिवक्ताओं में है, वह इसमें आ सकते हैं, इसलिये मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डेय जी, प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(माननीय सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त किये जाने पर)

प्रश्न यह है कि श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ तथा प्रस्ताव वापस हुआ।)

जनपद मेरठ में पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज तथा पुलिस जीप से छात्र की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने नियम 311 में एक नोटिस दी थी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 300 के बाद सुनी जायेगी। सबकी सूचनायें सुन ली गई लेकिन हमारी नहीं सुनी गई।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में अपनी बात रख दीजिये।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मेरी सूचना छात्र उत्पीड़न को लेकर है । यहां कई माननीय सदस्यों ने पुलिस उत्पीड़न, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज और टेल्को फैक्टरी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की बात उठाई । दिनांक 13 मार्च को मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अमित कुमार एम०एस०सी० फाइनल का विद्यार्थी था, उसकी एक जीप से एक्सीडेन्ट में मृत्यु हो गई । जिस जीप ने उसको कुचला, वह एक पुलिस वाले सिपाही की थी, अगले दिन जब उस छात्र का दाह संस्कार हुआ तो हजारों की तादाद में छात्रों ने उसमें शिरकत की ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह 13 मार्च की घटना है । इसी सदन में नियम–51 में परसों वक्तव्य के लिए स्वीकार हो चुका है, 23 मार्च से यह सदन चल रहा है । 311 के नियम में सुनने की तात्कालिकता कहां है ?

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, क्या ये उनके पैरोकार बैठे हैं ? ये उनकी पैरोकारी कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज कर रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जब सदन एक बार इस पर विचार कर चुका है तो...

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, 13 मार्च को उस विद्यार्थी की मृत्यु हुई । पुलिस की जीप सरकारी नहीं थी । वह पुलिस वाले की थी । 14 मार्च को जब उस छात्र का दाह संस्कार हुआ तो उसके गांव हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे । वहां से लौटने के बाद जो छात्र संघ के पदाधिकारी थे और 30-40 दूसरे छात्र थे वे थाना लाल कुर्ती गये और पूछताछ की कि जीप चालक को गिरफ्तार किया गया कि नही । उनसे झूठ बोला गया कि जीप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है ...

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कह दें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जब उनसे पूछा गया कि जीप चालक को गिरफ्तार किया कि नहीं, उनसे झूठ बोला गया । उसको लेकर कुछ विवाद हुआ और उन पर लाठी चार्ज हुआ । 13 छात्र वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए । जो एस०पी० (सिटी) थे छात्र संघ के अध्यक्ष के सिर पर लात रखकर मारने का प्रयास किया । इसके बाद छात्रों ने धरना दिया वहां पर वही एस०पी० सिटी पहुंचा और लाठीचार्ज किया । कई छात्रों की हड्डियां टूट गयीं और अनेक घायल हुए । विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वे घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को शान्त किया । एस०पी० सिटी ने कुलपति के साथ भी धक्का-मुक्की की । छात्र शान्तिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और अगले दिन एस०पी० सिटी से जब एक प्रतिनिधि मण्डल मिलने गया तो उसने लाठीचार्ज कर दिया । मान्यवर, एक तरफ तो मेरठ में अपराधों की बाढ़ आयी हुई है और पुलिस गंभीर अपराधों को रोकने में असफल हैं और दूसरी तरफ जो निहत्थे छात्र हैं, जनप्रतिनिधि हैं, छात्र नेता हैं उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो मैं केवल इतनी मांग करता हूं, मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, तो न्यायिक जांच कराई जाये और जो दोषीजन हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और जो थाना इन्सपेक्टर लालकुर्ती हैं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये जिससे वे उत्पीड़न की कार्यवाही करने की हिम्मत न कर सके । दूसरी मांग की जो छात्र अमित कुमार जो जीप से कुचल कर मरा था, एम०एस०सी० फाइनल का छात्र था, अकेला था, उसकी 3 बहने भी हैं, उसके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जायें अगर मुआवजा दिया जाता है कि उसके परिवार को सांत्वना मिलेगी और उनका कुछ काम चलेगा । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मुख्य मंत्री जी से इस आग्रह के साथ कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये और अमित कुमार के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाये ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, एक सूचना मेरी है ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह अजीब संवेदनशील सरकार है कि सारी की सारी हुकूमत पुलिस को सौंप दी है । जो काम यह नहीं कर सकते हैं वह पुलिस के जरिये करवा रहे हैं । जरा गौर करिये आज 4 मामले ऐसे आये हैं जो पुलिस की ज्यादतियों, एट्रोसिटीज से संबंधित हैं । मान्यवर, मेरठ में एक पुलिस वाले की जीप टैक्सी में चलती थी । उस जीप से अमित कुमार की हत्या हो गयी । उस संबंध में लाठी चार्ज हुआ और स्थिति बिगड़ गयी । मेरठ यूनीवर्सिटी के वाइसचांसलर इसको रोकने गये कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है ? लेकिन पुलिस ने उनके साथ धक्कम धक्का किया । आप पुलिस के जरिये सरकार चलायेंगे, पुलिस को सारी ताकत देंगे तो पुलिस कहीं पर वकीलों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज करेगी और कहीं पर वाइसचांसलर की इज्जत उतारेगी । अगर यह सब होगा तो यह प्रदेश कैसे चलेगा ? मैंने समरपाल जी ने जो बातें कहीं हैं उन पर बल देता हूं और आग्रह करता हूं कि अमित कुमार के परिवार वालों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और वहां के एस०पी० सिटी, जिन्होंने एक लड़के की हत्या करने की कोशिश की और इंस्पेक्टर लालकुर्ती थाने के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

हमने इस घटना की जानकारी प्राप्त की है, हम जल्दी ही जब आप तिथि निर्धारित करेंगे, वक्तव्य दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना निरस्त की जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है आप माननीय सदस्य को सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचनायें 311 में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सुनने के लिये निर्धारित थीं, उनको सुन लिया गया है । बाकी के संबंध में व्यवस्था दे दी गयी है। इस सूचना पर, विशेष आग्रह पर, मैंने सुना ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 2 मिनट दुर्गा प्रसाद जी को दे दें । पुलिस तो बराबर अत्याचार कर रही है । ओले गिरे हैं जिनसे फसल नष्ट हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल को बोलना है अब समय नहीं दिया जा सकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कौकब हमीद–

मुख्य मंत्री जी मुआवजा देने की घोषणा करें।

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट संबंधी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े'' विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–9 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर जो चर्चा जारी थी उसको स्थगित किया जाता है।

श्री कौकब हमीद–

यह सरकार जन विरोधी है।

श्री समरपाल सिंह–

यह सरकार अधिवक्ताओं, छात्रों, जन प्रतिनिधियों का उत्पीड़न करवा रही है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा †

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां सदन में दिया वह उनका निजी भाषण नहीं था। सरकार की जो नीति और रीति अगले वर्ष के लिये होती है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उसी को प्रतिबिंबित करता है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार की नीति को अपने शब्दों और इनके शब्दों वर्णन किया।

श्रीमन् सारे अभिभाषण को पढ़ने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और संभवतः आप लोग और सम्पूर्ण सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा होगा कि इस अभिभाषण में जो नीति अगले वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है। उसमें इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के लिए किंचित मात्र भी हित की कोई बात नहीं है जो उसको लाभ पहुंचा सके। सबसे पहली बात जो अभिभाषण में है वह यह कही गयी है कि हम प्रदेश में श्रेष्ठ शासन स्थापित करने जा रहे हैं यानी कानून-व्यवस्था प्रदेश में अच्छी हो रही है और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी। यह सबसे पहला बिन्दु अभिभाषण का है। श्रीमन्, कानून व्यवस्था जिस तरीके कि इस प्रदेश की है उससे सारा प्रदेश और यह सदन भलीभांति अवगत है। जिस तरह से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है उसी तरह से यहां की कानून-व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अगर मैं यह कहूं कि आज कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं रह गयी है तो अतिश्योक्ति नही होगी। श्रीमन्, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बहुत से उदाहरणों के साथ अपनी बात की पुष्टि आपके माध्यम से इस सदन के सामने करने का प्रयास करुंगा। सही बात यह है कि सारा प्रशासन तंत्र, प्रशासन में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं वह सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण ही सारा प्रशासन तंत्र लुंज-पुंज हो गया है, कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है और कारण इसका

नोट :– † दिनांक 30 मार्च, 2000 की कार्यवाही से।

एक है कि कब किस पर ट्रांसफर की गाज गिरे, इसका किसी को विश्वास नहीं रह गया है कि वह कितने दिन अपने पद पर रहेगा जब कोई भी अधिकारी यह नहीं समझ पा रहा है कि हम जो नीति निर्धारित कर रहे हैं वह क्रियान्वित करने का मौका भी मिलेगा या नहीं ? तो फिर वह नीति का निर्धारण भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। वह भी सोचते हैं कि जो चलता है उसे चलने दो। क्योंकि हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। इसी कारण से जितने अच्छे अधिकारी हैं उनको प्रशासन में ऐसी जगहों पर रखा गया है जिससे उनके अनुभव का लाभ इस प्रदेश की जनता को मिल ही न सके। जो ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं ...

श्री राज्यपाल, के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष एवं नेता सदन के भाषण के समय पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के दीर्घा में उपस्थित न रहने के संबंध में की गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन की जो सर्वोच्च परम्परायें हैं उनमें प्रेस दीर्घा या अधिकारियों/राज्यपाल दीर्घा का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन माननीय नेता सदन यहां उपस्थित हैं। कदाचित इस सदन के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, इस सरकार को जिस ढंग से इस प्रदेश की नौकरशाही ले रही है और उसी तर्ज पर जब माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण या राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान और बजट की सामान्य चर्चा के दौरान जितने विभाग हैं उनके विभागाध्यक्ष, सचिव और प्रमुख सचिवगण उपस्थित रहते आये हैं। माननीय नेता सदन के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं होनी चाहिए कि इस सदन की उच्च परम्पराओं का पूरी तरह से परित्याग नौकरशाही ने कर दिया है। कहीं से आपके इस सदन को जिसके आप नेता हैं, उसका नोटिस नहीं ले रही है।

मैंने सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए निवेदन किया है। इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

जब नेता सदन यहां बैठते हैं तो इनके साथ कोई विधायक नहीं बैठता है क्योंकि कोई इनके साथ नहीं है। यह जो लोग वहां बैठे हैं वह सीमा रिजवी को अपना नेता मानते हैं इसलिए बैठे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रजातंत्र में जितना महत्व नेता सदन का होता है उतना महत्व नेता प्रतिपक्ष का होता है जब नेता सदन या नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहते हैं तो सारे मंत्री बैठ जाते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखते हैं तो पूरी ब्यूरोक्रेसी यहां दीर्घा में बैठकर उनके सुझावों को नोट करती है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष केवल आलोचना ही नहीं वह बहुमूल्य सुझाव भी देते हैं। यह गंभीर प्रकरण है यहां पर ब्यूरोक्रेसी में कोई भी सुझाव नोट करने के लिए उपस्थित नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप ट्रेजरी बेंच में मंत्रियों की संख्या देखें केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री ही बैठे हैं। कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्य मंत्री जी भी अपने वचनों से अपने मुखारविन्द से बोलने की कृपा करें वह केवल बैठे ही रहते हैं। इस गंभीर प्रकरण पर वह अपने कुछ तो विचार रखें।

श्री प्रमोद कुमार–

यह बहुत गंभीर बात है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी इसे बहुत ही गंभीरता से लें इस विषय में कोई भी रूलिंग देने के पूर्व परम्पराओं को ध्यान में रखें । संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नेता सदन के बाद होता है। जब सरकार गिरती है तो नेता प्रतिपक्ष ही सरकार बनाने का दावा कर सकता है । नेता विरोधी दल का बड़ा महत्व होता है । यह परम्परा चली आ रही है कि जब नेता प्रतिपक्ष का भाषण होता है तो मुख्य मंत्री स्वयं तो उपस्थित रहता ही है । पूरी कैबिनेट उपस्थित रहनी चाहिए ।

(श्री प्रमोद कुमार के भाषण के मध्य 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठसीन हुए ।)

सामान्य शिष्टाचार के नाते पूरी कैबिनेट को उपस्थित रहना चाहिए । यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का अपमान नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या यह पूरे सदन का अपमान है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने पूरी बात नहीं कही थी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके मन की बात बहुत जल्दी समझ लेता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने जो कुछ भी सीखा है । अच्छा बुरा सब आप ही से हाईकोर्ट में सीखा है ।

श्री अध्यक्ष–

आशा है कि अच्छा ही सीखा होगा, बुरा नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि कृपया इसे गंभीरता से लें । माननीय नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल अभिभाषण पर बोलना यह पूरे प्रदेश को इंगित करता है । इस समय राज्यपाल दीर्घा में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है । यह नेता प्रतिपक्ष का ही नहीं बल्कि पूरे सदन का अपमान है । इस सरकार की कैबिनेट की फौज जो है वह मजबूरी में है इसके बावजूद भी मा० मुख्य मंत्री जी अकेले बैठे हुए है । इस पद की गरिमा की रक्षा के लिए और उस पद की गरिमा की रक्षा के लिए पुरानी परम्पराओं का पालन बहुत जरूरी है । मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों की उपस्थिति अनिवार्य कराई जाय । यह सब बाते मा० मुख्य मंत्री जी की कमजोरी को ही दर्शाती है । मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी नजीर प्रस्तुत करें जिससे इस बात की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी ने जिस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । मैंने उसे संज्ञान में ले लिया है । अब आप लोग शान्त हो जायं और मा० नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

राज्यपाल दीर्घा का संज्ञान कैसे लिया जा सकता है ?

श्री रामजग–

मान्यवर, हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता प्रतिपक्ष को लम्बी बात कहनी है अगर आप लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो यह कैसे होगा ?

श्री रामजग–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर मा० नेता प्रतिपक्ष बोलने वाले हैं और मा० मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं परन्तु यहां न तो कैबिनेट के मंत्रीगण बैठे हुए हैं और ना ही मुख्य सचिव और अन्य सचिव। मैं समाजवादी पार्टी के नेता अम्बिका चौधरी के विचारों पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अम्बिका चौधरी, श्री प्रमोद कुमार, श्री रामजग, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी आदि को सुना। यह एक औचित्य की बात है। राज्यपाल दीर्घा में कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है हम इस बात को संज्ञान में नहीं लेते हैं। लेकिन जब नेता सदनऔर नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हो और राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो, तो ऐसा उचित समझा जाना चाहिए कि अभिभाषण में उल्लिखित विभागों के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति हो ताकि संबंधित विभागों के मंत्रियों को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने अथवा निर्देश देने में सुविधा हो। मैं समझता हूं कि मा० मुख्य मंत्री जी ने इस बात को अपने संज्ञान में ले लिया है और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, अभी मैं कह रहा था कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है ...

वैसे ही कानून-व्यवस्था भी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। इसलिये सारे प्रदेश में यहां तक कि राजधानी लखनऊ में नित्य प्रति अपराध बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कमी का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सारे प्रदेश की जनता इस समय भय के वातावरण में अपना जीवन जी रही है। उसे यह विश्वास नहीं है कि कब, किस समय कौन सी घटना घटित हो जाय। सारे प्रदेश में कत्ल, डकैती, अपहरण, बलात्कार, चोरी और तमाम अपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से सारा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर रहा है।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि या सारा का सारा दोष और सारी कि सारी जिम्मेदारी यहां बैठे हुए शासन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों और उनके सहयोगियों की है। जो शासन में बैठता है, अच्छाई और बुराई दोनों ही यश और अपयश उन्हीं को भोगना पड़ता है। उन्हीं की लोग प्रशंसा करते हैं। अच्छा शासन और अच्छा काम करने में और जब कुशासन होता है तब बुराई भी उन्हीं की होती है। करने वाले की अच्छाई और बुराई होती है। आज सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जनता कोसती है और बुरी तरह से भय महसूस कर रही है। आज जिस तरह से प्रदेश और राजधानी में घटनायें हो रही हैं, प्रमुख घटनाओं की तरफ जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। जिस तरह से पुलिस उत्पीड़न हो रहां है और तमाम घटनायें घटित हो रही हैं, सच-मुच उससे शासनतंत्र और जो जंनता के बीच में काम करने वाले जनसेवक हैं, उनकी छवि धूमिल हो रही है। आम जनता के दिमाग में यह आ रहा है कि जन सेवक और यह सरकार जनता की तरफ से मुंह मोड़ लिये हैं।

आज प्रदेश में हत्याओं की स्थिति यह है और जो सारे देश में जो हत्याओं के आंकड़े हैं, वह दुगुने को भी पार कर गये हैं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 8303 हत्यायें हुई और बिहार में 5811 मध्य प्रदेश में 23266 अपहरण, उत्तर प्रदेश में 4369, बिहार में 2758। अगर यह लिस्ट हम सारे देश की आपके सामने रखेंगे तो समय बहुत लगेगा। इससे साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वह अपहरण, लूट, बलात्कार और हत्या के मामले में सबसे आगे है।

श्रीमन्, प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई हैं अभी इस थोड़े समय में, उनके सम्बन्ध में भी मैं यहां सदन को अवगत कराना चाहता हूं। वैसे तो सारा सदन घटनाओं से अवगत है लेकिन मैं सारे प्रदेश को इन घटनाओं का सदन में जिक्र करके अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही एटा जनपद में 19-2-2000 को एक दलित महिला और उसके पुत्र की हत्या वहीं के नगर पालिका के अध्यक्ष ने कर दी और आज तक सरकार के दबाव में अपराधी पकड़े नहीं गये। चूंकि वह दलित वर्ग की महिला और उसका पुत्र था, प्रभावहीन थे। यह सरकार का दबाव इतना पड़ा कि अध्यक्ष नगर पालिका होने के कारण पुलिस ने आज तक अपराधियों को छुआ तक नहीं और खुले आम घूम रहे हैं जिससे अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है और वह अपराध करने के लिए प्रेरित होंगे क्योंकि जब किसी अपराधी को सजा नहीं मिलती है तो दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ऐसे मौके पर मैं भी इस तरह की घटना घटित कर दूंगा तो मुझे भी कोई कहीं पकड़ने वाला नहीं है।

इसी तरह से 13–14 फरवरी की रात्रि में काला इमामबाड़ा परिषद् जिला जनपद बरेली में प्रख्यात शिया बुद्धिजीवी 65 वर्षीय वाहिद हुसैन उसकी पत्नी रजिया बेगम और उनके 11 वर्षीय पुत्र की नृशंस हत्या कर दी गई। शासन में बैठे हुए कुछ लोगों के दबाव के कारण अपराधी आज तक खुले घूम रहे हैं। उनको पकड़े जाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन्, सारे भले आदमी शांति प्रिय आदमी इस दहशत में है कि कब किसके सामने किसके ऊपर कौन सी घटना घटित हो जाय इसलिये वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुःखी हैं। श्रीमन्, इसी तरीके से 20-3-2000 को कानपुर के एक सराफ जिनका नाम आलोक है उनका दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया और श्रीमन्, अपहरण में दो लोगों को पुलिस ने पूछ ताछ के लिये बुलाया लेकिन शासन के दबाव में उन दोनों को छोड़ दिया गया। अगर सचमुच में उनसे पूछताछ की गई होती तो निश्चित रूप से इस घटना का पर्दाफाश होता। आज तक जो सर्राफ लापता है उसका पता मिल जाता और उसकी जान बच जाती। इस तरह से दबाव डालकर अपराधियों को संरक्षण दिया जायेगा तो अपराध बढ़ेगें। इसी तरीके से और भी बहुत सी घटनाएं लखनऊ शहर में भी घटित हुए हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। हजरतगंज में राजभवन के पास जिला अधीक्षक आर० के० तिवारी की हत्या हुई। हजरतगंज में पुलिस मुख्य कार्यालय के पास आरक्षी की दर्शनसिंह यादव की हत्या हुई और स्टेनगन लूट ली गई। हजरतगंज में विधान सभा के सामने गोली चली उसमें एक रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई और एक घायल हो गया। एक मंत्री के आवास में हत्या हुई हजरतगंज में जिलाधिकारी के आवास के पास युवक की हत्या हुई। मान्यवर, युवा पत्रकार राहुल शर्मा की हत्या हुई प्रसिद्ध व्यवसायी संदीप अग्रवाल की हत्या हुई। एम०एल०सी० भगवान बख्श सिंह की हत्या हो जाती है जबकि उस समय प्रधान मंत्री जी यहां नामोनिशान के लिए आ रहे थे। पूरी व्यवस्था चाक-चौबन्द थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेन्ज करते हुए दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। अब चैलेन्ज देकर हत्यायें हो रही हैं। अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। इससे शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। पुलिस द्वारा उत्पीड़न हो रहा है यह अपने में बेमिसाल है।

पुलिस उत्पीड़न को सरकार संरक्षण दे रही है अगर सरकार संरक्षण न देती तो पुलिस बेलगाम न होती और पुलिस उत्पीड़न इतना अधिक न होता। आप भी अवगत होंगे पिछले वर्ष एक पुलिस अधिकारी पर, यशपाल सोढ़ी परिवार की एक लड़की द्वारा होली पर रंग का गुब्बारा फेंका गया, इस पर वह अधिकारी इतना उत्तेजित हो गया कि उस सीधे-साधे परिवार पर कहर ढाने का निश्चय कर लिया

गया उसका परिणाम यह हुआ कि नाना प्रकार के मुकदमें उस परिवार पर उनके पांच भाइयों पर लगाने शुरू कर दिए, यशपाल के भाई मनदीप पर रोज दबिश होने लगी तो मनदीप ने परेशान होकर इसी पवित्र विधान सभा के सामने जहां पुलिस हमेशा चाक चौबन्द रहती है, पुलिस निष्क्रिय हो गई पुलिस प्रशासन लुंज पुंज हो गया । उस नौजवान ने अपने शरीर को आग लगा ली और जान दे दी । अगर पुलिस द्वारा इतना उत्पीड़न न हुआ होता तो ऐसा न होता जबकि उसकी मां और भाइयों ने अधिकरियों से कई बार गुहार लगाई कई बार मिले उस नौजवान की मां, और भाइयों ने बयान दिया है कि अगर अधिकारी उनकी बात सुन लेते तो उस नौजवान को अपनी जान देने के लिए मजबूर न होना पड़ता । जब वह आजिज आ गया उसने देखा कि सारा परिवार इस माहौल में फंसा है उनका जीना दूभर हो गया है तो मनदीप परेशान हो गया वह व्यवसाय नहीं कर सकता था । घर पर शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता था तो उसने सोचा कि मरना अच्छा है इस तरह की मौतों से ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और कोई नहीं हो सकती है । श्रीमन्, यही नहीं, आज सारे प्रदेश में पुलिस द्वारा प्रतिदिन एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या यह दिखाकर कि यह अपराधी है इसलिए मुठभेड़ में मारा गया, इस प्रकार प्रत्येक दिन एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली जा रही है और यह शासन पूरी तरह से मूक-दर्शक होकर देख रहा है । विपक्ष के लोग जब इसे उठाते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष के लोग अनर्गल बात कह रहे हैं और विपक्ष की बात को अनसुनी कर दिया जाता है । मान्यवर, अपराधों में आज लगातार वृद्धि हो रही है जबकि पहले ऐसा नहीं था, यदि विपक्ष के लोग ऐसी बात यहां उठाते थे तो सरकार उसे संज्ञान में लेती थी यदि निर्दोष व्यक्ति की हत्या में या उसे प्रताड़ित किया जाता था तो उसको संरक्षण दिया जाता था । साथ ही साथ ऐसे लोगों को सजा दी जाती थी जो ऐसे काम करते थे । लेकिन आज पार्टीबन्दी के कारण सारे अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस के लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी तरक्की के लिए निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

मान्यवर, गत वर्ष बीसलपुर कोतवाली के अन्तर्गत, जिला पीलीभीत में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी जिसका नाम राम भरोसे यादव था । मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में गत वर्ष भी कहा था । मैं पुनः बताना चाहता हूं कि श्री राम भरोसे यादव, कोतवाली बीसलपुर, को यह कह कर पकड़ ले गये कि उसके यहां अपहरण के मुल्जिम छिपे हैं । सुबह के 6-00 बजे का समय था, वह टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता था और वह अपने भाई को देखने के लिए जा रहा था कि उसका भाई जी बालू लेने गया था वापस क्यों नहीं लौटा ? रास्ते में उधर से सी०ओ० आ रहे थे उन्होंने पूछा कि तुम कहां रहते हो कौन हो इसके बाद उसके ऊपर गोली दाग दी जाती है । मैं वहां के जिलाधिकारी की प्रशंसा करूंगा कि मौके पर गये और राम भरोसे के परिवारजनों को अपने फण्ड से 10,000 की सहायता घर बनवाने के लिए दिया । सी०ओ० का मानना था जो हत्या हुई है वह निर्दोष व्यक्ति की हुई है । चूंकि उनकी नासमझी के कारण हत्या हुई थी लेकिन कोई गलती मान लेता है तो मैं मानता हूं कि वह व्यक्ति आगे सुधर जायेगा । इसलिए निर्दोष की हत्यायें जो हो रही हैं उनके सम्बन्ध में मैंने मांग किया था और यह कहा था कि इस मामले की जांच सी०आई०डी० द्वारा कराई जाय । इस सम्बन्ध में उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सी०आई०डी० से जांच करायेंगे लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई है । तो मैं मुख्य मंत्री जी से आज पुनः मांग करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० द्वारा करवायें ? इस सम्बन्ध में पहले ही लिखकर दे दिया था । इस प्रकार यहां सदन में आश्वासन दे दिया जाय और फिर भी जांच न हो तो इससे बड़े हुःख की बात और क्या हो सकती है ? श्रीमन्, इसी तरीके से जो पुलिस की लूट खसोट चलती है वह हमारे साथी भलीभांति जानते हैं । कहीं भी किसी चौराहे पर किसी स्थान पर पुलिस के कांस्टेबिल खड़े हो गये और ट्रकों को रोक देते हैं फिर उनका दोहन करते अगर वह नहीं देते हैं तो उनको गाली गलौज देते हैं । मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा । ी, 2000 को विकास खण्ड नौगढ़ में एक घटना घटित हुई । वह वसूली कर रहे थे । दो

नवयुवकों ने उन्हें रोका कि यह गलत है। जो इस तरह की वसूली आप कर रहे हैं वह अवैध है और हम इसका विरोध करते हैं और फिर लोग इकट्ठा हो गये और पुलिस भी आ गयी और उसके बाद फिर गोली चलती है और वह दोनों नवयुवक मौके पर मारे जाते हैं। आज भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है।

इस तरह से अगर यह शासन इतनी गंभीर घटनाओं को हल्के फुल्के ढंग से लेगा तो यह उचित नहीं है। यही नहीं हमारे विधायकों के साथ भी पुलिस उत्पीड़न और अपमानित करने की घटनाएं हो रही हैं। अभी कल ही हमारे एक माननीय सदस्य श्री शिव चरन प्रजापति जी ने अपना मामला उठाया और आज भी हमारे एक सदस्य श्री नन्द राम जी ने लिखकर दिया है कि उनको भी अपमानित करने की गरज से पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और नौकर को मारा-पीटा। तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और शासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा है इससे पुलिस का मनोबल बढ़ गया है और घटनाओं में वृद्धि होती है। यह आपकी कानून व्यवस्था है और हमारे डंग साहब बड़ी-बड़ी डींगें मारते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था चुस्त है और राम राज्य है। लेकिन यहां तो राम् राज्य नहीं रावण राज्य चल रहा है। इसी तरह से बहुत सी बाते ऐसी हैं जिनको छुवा तक नहीं गया है जो कि इस प्रदेश की अगली नीति निर्धारण के बारे में है उनको उजागर करना चाहिए था।

इस सरकार को महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से लेकिन वह बात नहीं कही गयी हैं। श्रीमन्, हमारे डंग साहब ने कहा कि लोकसभा के चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से करवा दिये गये लेकिन यह हम लोग जानते हैं कि कितने शांतिपूर्ण ढंग से यह कराये गये हैं। क्या इसमें गड़बड़िया हुई हैं। अभी हाल ही में पटियाली में आम चुनाव हुआ है उसकी जांच करवा लीजिये, इस शासन ने कितना नंगा नाच किया है। जब अधिसूचना जारी की गयी उसके एक घंटे के बाद एस०एस०पी० नियुक्त किया गया।

(नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य 3 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए)

मान्यवर, और चूंकि एस०एस०पी० मनचाहा नियुक्त किया गया था, पटियाली क्षेत्र के तीन थानाध्यक्षों को जो ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। एक-दो दिन में निलम्बित कर मनचाहे थानेदारों को बिठा दिया। उन्होंने इस शासन की मंशा के अनुसार जिस दिन वोट पड़े पूरी तरह से वोटों को लुटवाने का काम किया साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनके स्वयं के कस्बे कुंडवारा में इतना भय पैदा कर दिया कि 25 प्रतिशत से ज्यादा वोट पड़ने ही नहीं दिया। अब जो यह कहा जा रहा है कि हमने चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवा दिया कितना सत्य है।

दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों की एक कार चलने दी और जो भाजपा के सदस्य थे, प्रत्याशी थे उनकी 25 से ज्यादा गाड़ियां चलने दी गयीं जिस पर सशस्त्र लोग सवार थे और वे लोग वोट डलवाते रहे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि और भी जगहों पर चुनाव हुए वहां ऐसी कोई घटना नहीं घटी जैसा वीभत्स कार्य यहां हुआ अब कह रहे हैं कि हमने शांतिमय ढंग से चुनाव करवा लिये हैं। जनता से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उन पर किंचित मात्र भी विश्वास नहीं रह गया है, यह कह करके कि हमारी जब सरकार थी हमारे मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने पंचायती राज एक्ट पास कराया उस पर बहस नहीं होने दी। उसमें बहुत खामियां रह गयी हैं और चुनाव करवा दिये। इसलिए हम पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे हैं पहले उन खामियों को दूर करेंगे।-अभी साढ़े तीन साल सरकार में बैठे हुए हो गये क्या अभी तक सो रहे थे कि उन खामियों की ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान था यह सोच करके कि आखिरी वक्त पर हम चुनाव बढ़वाने के लिए अध्यादेश जाएंगे और ऐसे समय पर लायेंगे विधान सभा चलने वाली होगी जबकि ऐसे समय पर लाना ही नहीं चाहिए था।

आपने सदन शुरू होने के दो दिन पहले अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया । आपने कहा कि अभी परसीमन और आरक्षण जैसी बातों को सुधारना है । मान्यवर, जो पंचायती राज एक्ट पर बहस न होने की बात है बहुत से सदस्य यहां मौजूद हैं डंग साहब हैं अधिकांश लोगों ने भाजपा के सदस्यों ने मैं चेयर पर बैठा हुआ था एक मिनट भी विधान सभा नहीं चलने दी कि इस विधेयक पर चर्चा कराई जा सके । आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिए अगर किंचित मात्र भी असत्य निकले तो क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं और श्रीमन्, दूसरे दिन जैसे कार्यवाही शुरू हुई शोरगुल करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से दलितों को पिछड़ों को आरक्षण न मिल सकें और महिलाओं को आरक्षण न मिल सके । महिलाओं की शासन में भागीदारी न हो सके इसीलिये यह भाजपा में बैठे लोग उस विधेयक को पास कराना नहीं चाहते थे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं दो बातें हैं जिसको सदन के संज्ञान में ले आऊं तो अच्छा रहेगा । मान्यवर, आज भी महिलाओं का आरक्षण केन्द्र में होने में जितने गतिरोध हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं आपकी पार्टी का हाथ है और दूसरी बात उस समय में सदन में उपस्थित था जानबूझकर इस प्रकार का वातावरण बनाया गया था कि पंचायती राज अधिनियम पर किसी प्रकार की बहस न हो सके ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, दो बातें माननीय डंग साहब ने कहीं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की पक्षधर है और केन्द्र में जो सांसदों और विधायकों का आरक्षण है उस पर बिल लाना भी चाहते हैं और हमारी पार्टी पर दोष लगा रहे हैं कि वह नहीं चाहते हैं । श्रीमन्, हम लोग पहले भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं । हमारी पार्टी की सबसे अधिक महिलाएं वहां केन्द्र में एम०पी० के रूप में चुनकर भी गई हैं । हम चाहते हैं आरक्षण लेकिन आरक्षण ऐसा नहीं चाहते हैं । श्रीमन्, इसके लिए पार्टी को निर्देशित किया जाए कि आप अनुपात में 33 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे, हर पार्टी को यह निर्देशित किया जाए इसलिए हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और सांसद यह कहना चाहते हैं मान लीजिए लखनऊ क्षेत्र है । यहां पर अभी कोई पुरूष लड़ सकता है और उसके बाद यह हो जाए कि अगले वर्ष महिला लड़ेगी, तो यहां का जो पुरूष होगा तो वह क्यों काम करेगा हम आरक्षण के विरोधी नहीं पक्षधर हैं लेकिन हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास होता रहे और आरक्षण भी हो ।

श्रीमन्, मैं कह रहा था जो डंग साहब ने कहा कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया था तो आपने ही शोरगुल पैदा करके ऐसा माहौल कर दिया था कि किसी को बात ही नहीं कहने दी थी । मैं कहना चाहता हूं जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं चुने हुए प्रतिनिधियों का जो सम्मान है उसको किसी भी दृष्टि से गिराया न जाए अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा तो निश्चित रूप से यह प्रजातंत्र ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा और यह अवनति की ओर बढ़ जायेगा और निश्चित तरीके से पीड़ातंत्र के रूप में होगा । जो सारे लोगों के लिए दुखदायी है । इसलिए इस तंत्र को रोकने के लिए प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम होना चाहिए उनको गिराने का काम नहीं होना चाहिए तथा चुने हुए लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए । श्रीमन् आज प्रशासन में बैठे लोग भ्रष्टाचार के पर्याय बन गये हैं, ऐसे लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । इसलिए बढ़ती जा रही है कि सरकार में चाहे वह मंत्री हों, या अन्य लोग वह उनको बढ़ावा देते हैं । किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप में यदि कोई कार्यवाही होती है,

जांच होती है और आरोप सही पाया जाता है तो सरकार में बैठे हुये लोग उस भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रहे हैं । मैं सबूत के तौर पर बता देना चाहता हूं आपको स्मरण भी होगा, माननीय मंत्रियों और माननीय सदस्यों को भी होगा, गत वर्ष इसी सदन में मैंने प्रश्न उठाया था, अहिरवा ब्लाक के बी०डी०ओ० का, वह एक सड़क का पैसा निकालकर स्वयं खा गये थे, जांच हुई और जांचकर्ता इंस्पेक्टर ने उन्हें खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, आज उस रिपोर्ट पर फाइनल लवाने के लिये इस सरकार के कुछ मंत्री लगे हुए हैं ।

मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि इसी का परिणाम है कि उस भ्रष्टाचारी ने ग्रामसभा चुनावों हेतु तैयार की गई मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ की है, वह पास ही के रहने वाले हैं और 6-7 किमी० पर उनका गांव है, उनका नाम है योगेश चतुर्वेदी, उनका शासन ने ट्रांसफर भी किया था, लेकिन शासन के दबाव से रोक भी दिया गया । रिपोर्ट भी दर्ज हुई,उसको दबाने का काम चल रहा है, उनको फिर से वही नियुक्त कर दिया गया । उनकी तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उनको बचाने की कोशिश की जा रही है । मैं अधिष्ठाता महोदय, उनके मामले की पूरी फाइल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी जांच करवा ली जाय और यदि वह दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय । वह वहां पर पार्टीबन्दी का माहौल पैदा किये हुये हैं, उनके भाई का वहीं पर भठ्ठा चल रहा है, वह राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, सारी गड़बड़ियां कर रहा है, ठेकेदारी भी करवा रहा है, यदि वह दोषी पाया जाय तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । अगर कार्यवाही नहीं होती है और ऐसे लोग तथा अन्य लोग स्वच्छन्द बने रहे तो यह जो प्रशासन है, वह तो लुंज-पुंज हो ही गया है, इसकी दशा और दयनीय हो जायेगी ।

श्रीमन्, बड़ी जोरदारी के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय डंग साहब ने कहा था, अभिभाषण में भी कहा गया कि इस प्रदेश का औद्योगीकरण करेंगे । इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश के रूप में बनायेंगे । श्रीमन् किसी प्रदेश में, किसी स्थान पर जब शान्ति व्यवस्था नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी वहां कोई उद्योगपति अपना पैसा लगाने को न कभी तैयार हुआ और न होगा और इसीलिए इस प्रदेश में जितने उद्योग थे वे धीरे-धीरे करके लुप्तप्राय होते चले जा रहे हैं । यहां का व्यवसायी, यहीं का जो उद्योगपति था, दूसरे स्थानों पर जाकर जहां शान्ति व्यवस्था है, जहां कानून व्यवस्था है, वहां पर जाकर अपना उद्योग लगाना शुरू कर दिया है और यह प्रदेश धीरे-धीरे उद्योग शून्य होता चला जा रहा है । यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदायी और चिन्ता का विषय है और इसलिए है कि वैसे भी हमारे यहां बेरोजगारी अत्यधिक है और जब उद्योग सारे ठप्प हो रहे हैं और दूसरे लग नहीं रहे हैं तो बेकारी का बढ़ना स्वाभाविक है । श्रीमन्, हम चाहेंगे कि यह सरकार शान्ति व्यवस्था इस तरह की कायम करे कि दूसरे प्रदेश और दूसरे देशों से भी लोग आकर इस प्रदेश में अपने उद्योग लगायें, ऐसी स्थिति कायम करें ।

मान्यवर, इस सरकार ने जो भी अभिभाषण दिया उसमें यह भी उल्लेख कर दिया कि मछुवारों को बालू और तालाबों के पट्टे प्राथमिकता पर दिये जायेंगे । माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में आदेश था कि मछुवारों को बालू और मछली पकड़ने के लिए नदियों के ठेके दिए जायेंगे और प्राथमिकता पर दिए जायेंगे । जब प्राथमिकता की बात होगी तो कहा जायेगा कि कोई आया ही नहीं,कोई लेने वाला ही नहीं आया । इनका उद्देश्य कमजोर वर्ग को दबाने का है और कमजोर करने का है । इससे साफ उजागर हो गया है, इसमें आ गया है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से पहले का कानून था, उस तरह का कानून फिर लागू कर दिया जाये और मछुवारों को ही तालाबों के, नदियों के पट्टे मछली मारने के लिए

दिए जाये और बालू खनन के भी पट्टे दिए जायें जिससे उनकी गरीबी को, उनकी हीन-दीन दशा जो है, उसमें सुधार हो सके। श्रीमन् इसी तरह शिक्षा नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की शिक्षा नीति ऐसी उजागर हुई कि वह केवल धनिकों के लिए ही रह गयी है, गरीब के लिए जैसे अंग्रेजी राज में थी, उसी तरह की स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है।

हमारे बहुत से माननीय विधायक साथी अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल होंगे या रहे होंगे, उन्हें मालूम होगा जब माननीय मुलायम सिंह जी ने कक्षा 12 तक का शुल्क माफ किया था, उसके पहले जब शुल्क लेते थे और हमारे बहुत से साथी जब पढ़ते होंगे उस समय भी याद होगा कि जब आधा शुल्क माफ करने की और पूरा शुल्क माफ करने की 15 अगस्त तक की तिथि हुआ करती थी। मैं भी प्रिंसिपल रहा हूं और भी कालेजों से सम्बन्ध है। मैं जानता हूं कि आधे शुल्क के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आ जाते थे, पूरे के लिए भी आते थे, आधे के लिए इतने आते थे, कितनी सिफारिश आती थी, शायद सब को अनुभव भी होगा और कितना शुल्क था, हाई स्कूल में मात्र साढ़े चार रुपये ट्यूशन फीस थी तो 11-12 में सात रुपये 75 पैसे थी उस समय इतने प्रार्थना पत्र आते थे, उसमें तमाम परेशानियां आती थीं, इसी का आभास करके माननीय मुलायम सिंह जी ने कक्षा 12 तक की शिक्षा को शुल्क मुक्त कर दिया था। इस सरकार ने उतना शुल्क भी नहीं रखा जितना पहले था। मान्यवर, गरीब शिक्षा पाये ही नहीं इसलिए साढ़े चार रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया, लगभग चार गुना। जो फीस पौने 8 रुपये थी उसको बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है, चार गुने बढ़ा दिया है तो श्रीमन्, हम यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार छात्रों और शिक्षा की विरोधी है। गरीब, किसान, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती है उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। यह सरकार शिक्षकों की भी विरोधी है। इस सरकार ने पिछले साल के पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा था कि शेष 72 माध्यमिक विद्यालयों को ग्रांट इनएड पर लिया जायगा। लेकिन एक भी विद्यालय ग्रांट इन एड पर नहीं लिया गया है। आप पिछला अभिभाषण देख लें अगर सत्य निकलता है तो मैं मुख्य मंत्री जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर पूर्व मुख्य मंत्री जी ने उसको लागू नहीं किया है तो आप लागू करें। यहीं पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कक्षा–6-7--8 की शिक्षा पहले निःशुल्क थी, लड़कियों और शेड्यूल कास्ट छात्रों की शिक्षा निःशुल्क थी तो उस समय क्षतिपूर्ति मिला करती थी। जो विद्यालयों को लास होता था शुल्क माफी से उसकी क्षतिपूर्ति मिला करती थी लेकिन यह सरकार जबसे सत्ता में आयी है कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। आप इसकी जांच करा लें अगर सही हो तो निदेश दिया जाय कि जो परम्परा पहले चल रही थी उसको लागू किया जाय।

मैं मानता हूं कि सरकार दिवालिया हो गयी है लेकिन शिक्षकों और छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये। कहा जायगा कि शतप्रतिशत लोगों को शिक्षा देंगे, यह ढिंढोरा पीटना आप बन्द कर दें और यह कहें कि अंग्रेजों के जमाने में पूंजीपतियों के लड़के शिक्षित होते थे आज भी पूंजीपतियों के बच्चे शिक्षित किये जायेंगे और मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू रहेगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सुविधा गरीब को दी थी उसको यह सरकार रद्दी की टोकरी में डालेगी, अगर यह घोषणा कर दें तो फिर मुझे सरकार से कुछ नहीं कहना है, जनता खुद ही निर्णय लेगी और आपको स्वयं इसका आभास हो जायगा। हो सकता है कि कुछ प्राइमरी विद्यालय जो इन्टरमीडियेट और हाईस्कूलों के साथ थे उनको ग्रांट इन एड पर ले लिया गया हो उनके टीचर्स को वेतन भुगतान होने लगा और हमारी सरकार जब थी उस समय यह काम किया गया लेकिन 10-11 विद्यालय सारे प्रदेश में ऐसे रह गये हैं संलग्न विद्यालय, जहां जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज के टीचर्स ग्रान्ट इन एड में विद्यालय होने की वजह से अच्छा वेतन पाते हैं वहीं प्राइमरी सेक्शन

में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है और वह बहुत ही दुखदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि वह ग्रांट इन एड पर नहीं लिये गये और उनमें रोष व्याप्त है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो 10-15 विद्यालय रह गये हैं उनको भी ग्रांट इन एड पर लिया जाय । शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों की रोजी-रोटी के लिये जो हमारे बी०टी०सी० ट्रेण्ड शिक्षक हैं, एल०टी० ट्रेण्ड हैं उनकी नियुक्ति की जाय । आपने शिक्षा मित्र नियुक्त कर रखे हैं । आप उन्हें 500-600 या 1400 रुपये देंगे डंग साहब आप ही सोचिये जो 600-700 या 1400 रुपया पायेगा उसकी क्या मनोदशा होगी, वह क्या पढ़ायेंगे । शिक्षा को चौपट मत करिये । शिक्षा जिस देश की चौपट हो जायेगी, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है । यह हम नहीं सारी दुनिया के विद्वानों का कहना है । जो देश आज शत-प्रतिशत शिक्षित है, वही आज विकसित देशों की श्रेणी में आया है । जहां शिक्षा का अभाव है वह अविकसित रह गये हैं । अगर हम अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो शत-प्रतिशत शिक्षा लाने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए और शिक्षक का मान-सम्मान रखना चाहिए । यही नहीं अभी विधान सभा के सामने ही बहुत से डिग्री कालेज के शिक्षक धरना दिये हुए बैठे हैं और वह एक मांग कर रहे हैं, वह मांग क्या है ?

इस सरकार ने निर्धारित मानदेय पर 100/- प्रति पीरियड के लिये नियुक्त कर रखे हैं, ऐसे 4 हजार शिक्षक हैं । उनकी जगह डिग्री कालेजों में नियुक्ति किये हैं उनकी स्वीकृति उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा मिली है । योग्यता में भी वह पीछे नहीं हैं । आज जो नियुक्तियां डिग्री कालेजों में हो रही हैं वह उनसे योग्यता में भी कम नहीं हैं । जो कम योग्य हैं उनको न रखा जाये । लेकिन जो योग्य हैं उनके साथ अन्याय मत किया जाय पहले उनको प्राथमिकता दी जाये उसके बाद दूसरे लोगों को । 5-7 साल से काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए । आपको याद होगा वर्ष 1991 में कितने ऐसे लोगों को समायोजित कर दिया था जो 1-2 साल से विद्यालयों/डिग्री कालेजों में काम करते थे, उनको परमानेन्ट कर दिया था । उनका जीवन सुखमय बना दें आपको यश मिलेगा । पैसे का भार तो पड़ेगा लेकिन जो नई नियुक्तियां करेंगे उनको भी पैसा देना पड़ेगा । पहले जिन लोगों ने सोचा था कि हमको मौका मिलेगा वह तीन चार-चार साल से पढ़ा रहे हैं योग्यता भी है उनको जब मौका नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उनके अन्दर निराशा की भावना पैदा होगी । वह पता नहीं क्यों करेंगे इसके लिए हम और आप सोच सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो तो उनके साथ सहानुभूति का बरताव करें उनकी नियुक्ति करें ।

यही बात दूसरे विभागों के बारे में कर दी गई है । शिक्षा के बारे में तो आज नहीं 12-13 साल से नई नियुक्तियों पर पूरी तरह से पाबन्दी है उसको आप हटा दीजिए । अगर कोई साईंस का टीचर रिटायर होगा, गणित का टीचर रिटायर होगा, कृषि का टीचर रिटायर होगा उसकी जगह दूसरे विषय का टीचर रख देंगे तो क्या होगा । क्या इससे पढ़ाई लिखाई प्रभावित नहीं होगी ? क्या इससे छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है ? मैं मांग करता हूं कि जो अध्यापक रिटायर हों उनकी जगह उन्हीं विषयों के अध्यापक रखे जाएं जिससे शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे । इसको अभिभाषण के साथ जोड़ लिया जाए । स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं शिक्षा के बाद स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आज क्या है

550 या 580 कर दिया गया इससे ज्यादा नहीं किया गया क्यों ? यह सरकार इसी अप्रैल से खुलेआम फ्लोर मिल को जो गेहूं देगी वह खरीदा गया 5.80 रुपये में, ठीक 3 रुपये फायदा कमाना चाहती है यह सरकार और किसानों को फायदा नहीं मिले । श्रीमन्, समाजवादी पार्टी की यह नीति है और समय-समय पर हमने इसकी घोषणा भी की है कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले और व्यापारी को 20 परसेन्ट से ज्यादा मुनाफा नहीं खाने दिया जायेगा परन्तु यह सरकार खुलेआम घोषणा कर रही है कि पहली अप्रैल से हम 9 रुपये में गेहूं बेचेंगे और 5.50 रुपये में खरीदेंगे । इससे ज्यादा मुनाफाखोर सरकार और कौन हो सकती है । आप भी भुक्तभोगी होंगे, ज्यादातर यहां पर कृषक होंगे, पूंजीपति तो बहुत कम होंगे या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो पूंजीपतियों के दबाव में अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं । यह भी सभी लोग जानते हैं कि गतवर्ष जब आलू तैयार हो गया तो वह मिट्टी के मोल बिका, इस साल तो यह हुआ कि जो आलू लगा था उसका एक तिहाई पैसा भी वसूल नहीं हुआ । किसान आलू बोरे में ले जाकर छोड़ आता था और आलू फेंककर बोरा वापस ले आता था क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई है ही नहीं । यदि उसे वह वापस ले जाता तो लाने और ले जाने में ही उसका काफी किराया लग जाता । बड़ी गर्मजोशी के साथ कहा जा रहा है और अभिभाषण में भी कहा गया है कि आलू किसानों को हमने इतनी अधिक सुविधायें दीं और भण्डारण की कोई परेशानी नहीं हुई ।

भण्डारण तो आपने कर लिया परन्तु उससे पैसा भी तो ले लिया । 80 रुपये क्विंटल लिया गया । बहुत से लोग आलू की खेती करते होंगे, एक बोरे में 85-90 किलो आलू होता है चाहे आप उसे कितना ही भर दीजिये परन्तु आपने उसे एक बोरा मान लिया और 80 रुपये प्रति बोरा ले लिया गया । किसान का बिका मात्र 50 रुपये व 60 रुपये प्रति बोरी । अब जब नई फसल हुई तो पूछने वाला कोई नहीं । शीतगृह बढ़ गये और भण्डारण की व्यवस्था हो गयी, इसकी वजह से आलू बाहर नहीं रहा, यह आशा की जाती है कि आखिर इतना सस्ता आलू बिका क्यों ? 3 रुपये में 4 किलो । क्या आपको समर्थन मूल्य पर आलू नहीं खरीदना चाहिए था ? कम से कम 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति क्विंटल पैदा करने में लग जाता है । 300 रुपये में नहीं मिलेगा तो फिर किसान को लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा ? किसान तो उजड़ गया और उजड़ने की स्थिति में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है । उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य मिल ही नहीं रहा है । जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आयेगी तब तक इस सरकार से कोई आशा नहीं करनी चाहिए । गेहूं मिट्टी के मोल बिक गया, आलू मिट्टी के मोल बिकवा दिया । जो गन्ना किसान की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि .....

(व्यवधान)

सुनिये, सुनने की क्षमता रखिये । सत्य से परे हो मेरी बात तो आप कहें । गन्ना किसानों को भी आपने बर्बाद कर दिया । करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है । सरकारी देयों पर गन्ना किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, काल कोठरियों में बन्द किया जा रहा है । उनके देयों का भुगतान नहीं कर रहे हैं । कुछ मिलें बेच दी हैं जो नहीं बिकी हैं उनमें से भी 11 बन्द हैं उनके खेत का जो गन्ना किसान था उसका गन्ना बर्बाद हो गया । जहां कहीं मिलें चल रही हैं वहां जो अधिकारी बैठे हैं वह दूसरे क्षेत्रों से गन्ना ले रहे हैं । आप पता लगा लीजये । बहराइच में जरवल चीनी मिल है मैं स्वयं वहां गया था । आंखों से भी देखा । वहां के जो गन्ना किसान हैं उनसे गन्ना न लेकर बाराबंकी का गन्ना ट्रकों में जा रहा था । किसानों ने वहां धरना दिया कि हम बाराबंकी का गन्ना जरवल मिल में नहीं आने देंगे । पहले हमारा गन्ना लिया जाय । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक गन्ना पर्ची के 7 पखवारे हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक 4 पखवारे हुए हैं । बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अभी तक किसानों को पर्ची नहीं दी गयी थी । उनका गन्ना खेत में खड़ा है । कब लिया जायेगा, कब पेराई होगी इसका कोई इन्तजाम नहीं है । जो किसान की तरफ से आपका मुंह फिर गया है तब किसान उदासीन हो जायेगा तो फिर वह पैदावार नहीं करेगा । जब वह पैदावार करेगा तब प्रदेश में भुखमरी की स्थिति नहीं होगी ।

अगर आपके रहते हुए, आपके शासन के रहते हुए कहीं भुखमरी हुई तो जैसी दर्दनाक स्थिति अंग्रेजों के राज्य में हुई थी वही हो जायेगी और आप यह काला धब्बा मिटा नहीं पायेंगे ।

आज किसानों की खुशहाली से प्रदेश और देश खुशहाल हो सकता है । औद्योगीकरण पनप सकता है । जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक हम औद्योगीकरण की ओर नहीं बढ़ सकते हैं । जब कच्चा माल तैयार नहीं होता, कपास नहीं होता तो सूती मिल कारखाना नहीं चलेगा । जूट पैदा नहीं होगा तो जूट के कारखाने नहीं लगेंगे । जब गेहूं पैदा नहीं होगा तो फ्लोर मिल नहीं लगेंगी, धान ज्यादा पैदा नहीं होगा तो धान मिल नहीं लगेगी । रोजी-रोटी नहीं मिलेगी । यहां तैयार किया माल बाहर भी नहीं भेज पायेंगे । जब अपने प्रदेश में ज्यादा होगा तब ही आप दूसरे प्रदेश में भेजेंगे । निर्यात ज्यादा और आयात कम करें प्रदेश खुशहाल होगा । आज प्रदेश 68 करोड़ के कर्ज में दब गया है यह अति दयनीय स्थिति है जिससे उभरने के लिए एक उपाय है कि खेत की पैदावार में बढ़ोत्तरी । उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जब खेती होगी अधिक पैदावार होगी तब ही किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा । दूसरी बात है बिजली जिससे माननीय सदन के सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे ।

इस वक्त लेट पैराइटी का गेहूं हो रहा है जिसको सिंचाई की आवश्यकता है एक अभी हो जाय और फिर एक और सिंचाई मिले । हम काश्तकार हैं आप भी हैं सभी खेती के बारे में जानते होंगे । कुछ तो गेहूं पकने की स्थिति में हैं जो लेट बैराइटी का जनवरी लास्ट में बोया गया है वह अभी दो पानी चाहेगा । नहर में पानी अभी इस वक्त नहीं चल रहा है बिजली चार-पांच घण्टे नहीं मिल पा रही है जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या पैदावार प्रभावित नहीं होगी । मैं मांग करता हूं कि अविलम्ब ऐसे आदेश जारी हों कि हर वक्त किसानको लगातार ट्यूबवेल के लिए बिजली मिले, सिंचाई के लिए नहर मे पानी मिले ताकि जो फसल खराब होनी की स्थिति में आ गयी है वह न हो । किसान खुशहाल हो, प्रदेश की जरूरत से बचा हुआ गेहूं प्रदेश से बाहर जा सके वरना किसान का गेहूं कम होगा इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ेगा । तीसरी बात पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा भूमि संरक्षण का कार्य चल रहा था मुझे ज्ञात हुआ है अगले वर्ष से भूमि संरक्षण काकार्य समाप्त किया जाएगा । क्योंकि तमाम इकाईयां सरकार बन्द करने जा रही है क्योंकि पैसा नहीं है तो क्या भूमि का क्षरण होगा । तमाम नदियों के किनारे की जमीन बह-बहकर जाती रहेगी तो फिर तो पैदावार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है यह चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, प्रदेश के बहुत से ब्लाक ऐसे हैं जो डार्क श्रेणी में आ गये है इनका जल स्तर इतना नीचा हो गया है कि पानी ट्यूबवेल में भी नहीं मिलता है । इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प–2 पानी नहीं देते हैं । जब ट्यूबवेल में पानी नहीं आयेगा तो सिंचाई कैसे होगी इसके लिए पहले एक योजना दस लाख कूप निर्माण की थी इसमें जलाशयों के निर्माण का प्राविधान था तो इस योजना को बन्द न किया जाय अगर वह बन्द हो जायगी तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर में कमी आ जायेगी, बहुत से ब्लाक में कमी आ गयी है । नई बोरिंग सरकार नहीं करवा रही है अगर यह स्थिति होगी तो पैदावार प्रभावित होगी । पैदावार कम न हो इसके लिए दस लाख कूप निर्माण की योजना को चालू रखा जाए जलाशय बनवाये जाएं तालाब बनवाये जाएं जिससे पानी स्टोर हो और धीरे-धीरे जमीन में आता रहे । बरसात का कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है या समुद्र में चला जाता है । जब पानी धीरे-धीरे जमीन में चला जाएगा तो उसका उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं । जो छिछली नदियां हैं उसमें बांध बना सकते है ज्यादा पैसा नहीं लगेगा जिन नदियों का पानी बांधा जाता है क्योंकि नदियों के किनारे सिंचाई की समस्या होती है वहां ऊंची-नीची जमीन होती है तो नदियों को बांध बनाकर पानी रोकना चाहिए । रबी की सिंचाई और पलेवट के लिए उसका उपयोग आप कर सकते हैं । पैदावार को बढ़ा सकते हैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से कृषि क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां सिंचन व्यवस्था अच्छी नहीं है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में

नदियों की तहलटी में, जमुना, चम्बल नदियां ऐसी हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है अगर बरसात ठीक हुई तो लाही, चना, मसूर की अच्छी पैदावार हो जाती है । हम चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था की जाये जिसके लिए आगे की नीति में इस भाषण में जोड़ते हुए की जाये कि जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है चाहे नही की तलहटी में हो या बुन्देलखण्ड में वहां खासतौर से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जाये जिससे 2-3 फसलें वहां किसान उगा सकें इससे इन क्षेत्रों में पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ने से प्रदेश की पैदावार बढ़ेगी और फिर निश्चित रूप से प्रदेश का किसान खुशहाल होगा और प्रदेश खाद्यान्न बाहर भेजने की स्थिति में आ जायेगा जिससे प्रदेश खुशहाल होगा । इसलिए इसे पार्टीबन्दी का आधार न लेकर जितना सम्भव हो उतना अधिक काम किया जाये जिससे सारे प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी और प्रदेश सम्पन्न होगा ।

श्रीमन्, अब मैं पेयजल समस्या के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने के लिए पानी की भी कठिनाई है और ग्रामों में 10-10 रुपये प्रति बाल्टी पानी बिकता है फिर चाहे वह झांसी हो या आगरा का क्षेत्र हो जहां कोसों दूर से लोग पीने का पानी लाते हैं मान्यवर, आगरा, कानपुर, लखनऊ शहरों में नदियों का वह दूषित पानी जो स्वच्छ तो कर लिया जाता है लेकिन उतना स्वच्छ नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए और फिर शहर के लोग उस दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर होते हैं इसलिए इस सम्बन्ध में कारगर उपाय किये जाने चाहिए । मान्यवर, आगरा के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहां चम्बल और यमुना के पानी में बढ़ोत्तरी कर दी जाय तो आगरा शहर की पानी की समस्या हल हो सकती है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिस तरह दिल्ली को यमुना का पानी मिलता है उसी तरह यदि आगरा को चम्बल का पानी मिलने लगे तो वहां की समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी ।

मान्यवर, चम्बल और यमुना के बीहड़ों में जो दस्यु समस्या है उसके सम्बन्ध में मैं एक रूपरेखा देना चाहता हूं कि जिससे वहां की दस्यु समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है । मान्यवर, वहां एक बांध बनाया जाने वाला था जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ लेकिन फिर उसे स्थगित कर दिया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह बांध बना दिया जाय जिससे वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि वहां भूमि संरक्षण का काम और भूमि सुधार का काम लागू कर दिया जाय । यह बात मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव में भी दी है । यमुना-गंगा-चम्बल के बीहड़ों वाले इलाके में जहां नदियों में रिवाइनस हैं उनको समतल कराने का काम किया जाय । जमीन तो उपजाऊ है लेकिन वह ऊंची नीची है उसको ठीक कराया जाय । वह ऊसर भूमि नहीं है । ऊंची नीची होने के कारण उसमें हल नहीं चल सकता है उसको समतल किया जाय और सिंचाई से युक्त किया जाय तो लोगों को रोजी रोटी भी उससे मिल सकती है और जो दस्यु समस्या वहां पर है उससे भी निजात लोगों को मिल जायेगी । श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने अखबारों में पढ़ा, घोषणा की गयी कि 50 इण्डिया मार्का--2 के हैण्ड पाइप लगाये जायेंगे लेकिन इसका जी०ओ० तो हुआ नहीं है । अगर सरकार के किसी मंत्री या मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है तो मैं समझता हूं कि इससे पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

आदेश निर्गत हो गये हैं ।

श्री धनीराम वर्मा -

धन्यवाद, श्रीमन्, इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं । हैण्ड पाइपों की व्यवस्था पंचायत करेगी यह कहा गया । लेकिन आज भी कुछ हैण्ड पाइप ऐसे हैं जो पानी छोड़ गये हैं । आप ऐसे हैण्ड पाइपों की जांच करा लीजिये, आपके पास बहुत सी एजेन्सी हैं, और जो ऐसे हैं उनको निचाई तक

चलवा दिया जाय तो भी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं कि इसमें खर्चा भी कम है और हर माननीय विधायक की समस्या का समाधान इसमें हो जायेगा। श्रीमन्, अब मैं सड़कों की दुर्दशा के बारे में कहना चाहूंगा। इसमें यह कहा गया कि हमने सड़कों को ठीक करा दिया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के राज मार्गों को छोड़ दीजिये लखनऊ से कानपुर, कानपुर से आगरा और जी०टी० रोड या मुगल रोड या फैजाबाद रोड की बात छोड़ दीजिये ज्यादातर सड़कें एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती हैं ब्लाक तहसील को जोड़ती हैं और ब्लाक को जिले जोड़ते हैं ये दयनीय स्थिति है, सभी माननीय सदस्य अवगत हैं आप जांच करा लें ऐसी हालत कभी नहीं रही। हम अपने क्षेत्र की एक सड़क का नाम बता रहे हैं, साहार ब्लाक है औरैया में वहां से विदूना तहसील 9 कि०मी० है, एक घण्टे में जीप उस सड़क को पार करके सही चली जाये तो बड़ी बात है।

मान्यवर, पी०डब्लू०डी०, आर०ई०एस० या ऊसर सुधार निगम या मण्डी परिषद् से जो सड़क बनी है उनकी मरम्मत के लिए कोई प्राविधान नहीं है बहुत सी सड़कें ऐसी हो गयी हैं जो चलने लायक नहीं हैं।

मान्यवर, नहरों पर जो सड़कें रजबहे, पटरियां जो पक्की की गयी हैं और आगे भी होंगी एक दुखद पहलू की बात अनुभव कीजियेगा जो सड़क बन गयी है नहर की पटरी पर कुलाबे रखे गये हैं वह इतने छोटे हैं कि पूरी पटरी का कुलाबा नहीं है जहां निकास है नाली का वहां कुलाबा नहीं है, उसके बायीं तरफ और दायीं तरफ की सड़क कट गयी है वहां वाहन चलते हैं आये दिन एक्सीडेंट होते हैं घटनायें होती हैं पिछले वर्ष एक सड़क मेरे क्षेत्र में इस नहर की पटरी पर बनी है जो विधूना तक जाती है डब्लू०ए०वी० उसमें एक्सीडेंट हुआ था। कुलाबे जो हैं वह पानी से लेकर जहां से जल नहर का या रजबहे का वहां से सड़क के किनारे-किनारे जहां तक पानी अन्तिम किनारे तक जाता है, वहां तक कुलाबे रखवा दिये जायें। सिंचाई विभाग कहता है कि जहां तक निर्धारित है वहां तक रखवा दिये। इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। दूसरे उस सड़क का रख-रखाव जिस विभाग ने बनायी वह विभाग जरूर करे, सिंचाई विभाग वाले रख-रखाव कहीं नहीं कर रहे हैं। उसका रख-रखाव हो ताकि चलने लायक सड़क बनी रहे जिन सड़कों पर मिट्टी पड़ गयी है उन पर गिट्टी डलवा दी जाये ताकि मिट्टी का कटाव न हो। जहां पर गिट्टी पड़ गयी है एक कोट दो कोट और छोटी गिट्टी के साथ डामर भी सना हुआ पड़ा है वह सना हुआ डामर अगर सड़क पर आ जाये तो सड़क का कटान नहीं होगा। एक सड़क जो खास तौर से औरैया क्षेत्र में है, बेला औरैया रोड है वह चौथा मील कहा जाता है वहां से हरचन्दपुर सड़क गयी है। वहां से आधी सड़क जो लगभग 9 कि०मी० है उस पर सनी हुई गिट्टी नहीं डाली जा रही है जिसकी वजह से न तो निकलने लायक सड़क है और न ही उसका उपयोग हो पा रहा है क्योंकि डामर पड़ा नहीं है, अगर सनी हुई गिट्टी पड़ जाये तो सड़क का भी उपयोग हो जायेगा और सनी हुई गिट्टी का उपयोग भी हो जायेगा।

अभी हमारे कुछ सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया था, मैंने भी अभिभाषण में जोड़ने के लिए रखा है। आज सारा प्रदेश बिजली की समस्या से त्रस्त है। और बिजली सुचारू रूप से न तो किसान को और न ही दस्तकारों को, चाहे बुनकर हों या छोटे-छोटे काम करने वाले लोग हों उनको समय पर पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है जिससे ये लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं, खेती वाले भी प्रभावित हैं बच्चे भी प्रभावित हैं, क्योंकि परीक्षा चल रही है इस समय तो सबेरे जिला स्तर पर चाहे वह फतेहपुर हो, चाहे इटावा हो, चाहे कन्नौज हो। आप लखनऊ की बात छोड़ दीजिये, अन्य जिलों में तहसील हेडक्वार्टर छोड़ दीजिये, छात्रों को लिखाइ-पढ़ाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। मेरी यह मांग है कि इस परीक्षा के समय पर छात्रो को बिजली सुचारु रूप से शाम 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मिलनी चाहिए ताकि छात्रों को लिखाई-पढ़ाई की सुविधा हो सके और धन्धे भी चलते रहें यही मेरा सुझाव है। इस पर विचार कर लिया जाय। श्रीमन्, एक सुझाव

मेरा यह भी है कि बहुत से ऐसे किसान हैं और बुनकर हैं, छोटे उद्यमी हैं, जिन्होंने खाद, बीज या हथकरघा या किसी छोटे उद्योग के लिए कर्ज लिया, उनका धन्धा बिजली की कमी के कारण या अन्य अव्यवस्थाओं के कारण ठीक से नहीं चला, आज वह इतने ज्यादा कर्जदार हैं कि जितना वह कमा पाते हैं वह सब कर्ज के ब्याज में चला जाता है और वह किसान, कामगार पूरी तरह से भुखमरी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत तंगी की हालत में जी रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने ऐसे बुनकरों, काश्तकारों का 10 हजार तक का कर्जा, जो काफी बरसों से नहीं दे सके थे, माफ किया था, इस नई व्यवस्था से उन्होंने पुनः अपना काम शुरू किया और आज वह लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा इस सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि ऐसे काश्तकारों की जांच करवाकर, उनको भी आप राहत का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमन्, आगे मैं कहना चाहता हूं, आपके जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो हैं, वह लगातार घाटे में चल रहे हैं, कुछ बन्द पड़े हैं, कुछ बन्द होने की कगार पर हैं। जब इनको चालू किया गया था, तब सोचा गया था कि काम बढ़ेगा और लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी, लेकिन इनको चलाने का परिणाम यह निकला कि वह पूंजी को भी खा बैठे। आपने स्वयं इसकी चिन्ता व्यक्त की है और अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है, चिन्ता होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनमें अरबों-खरबों रुपया लगा हुआ है। यह निगम क्यों बन्द है, हम इसकी तह में क्यों नहीं जाते ? अगर तह में जायेंगे तो पता चलेगा कि कारण क्या है। मैं इसके कुछ कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आप इसका परीक्षण करवा लीजियेगा। पहला कारण तो यह है कि इन निगमों में बैठे हुए जो प्रशासक हैं, जो अधिकारी हैं, वह इनको अपने ऐशोआराम का जरिया समझ बैठे हैं। वह खासतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने ऐशोआराम के लिए उपयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे निगमों में लगे लोग, जिस विभाग से सम्बन्धित वह निगम है, वह विभाग उस निगम के कर्मचारियों का उपयोग किंचित मात्र न करें और उस पर रोक लगायी जाय। यदि वह उपयोग करते हैं तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाय। श्रीमन् किसी चीज को बन्द कर देना अच्छा नहीं है, हम यह देखें कि उसका कारण क्या है। हम उन कारणों को दूर करें, उन कमियों को दूर करें, उनको चुस्त-दुरुस्त करें। हमने विद्युत बोर्ड को 3 भागों में बांटा, ठीक है, इससे प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगी। बसों का 29 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया, लेकिन यह भी देखने की बात है कि कितनी डग्गामार बसें इन रोडवेज बसों के सामानान्तर चल रही हैं, नाजायज तरीके से चल रही हैं और बहुत से ऐसे लोग अधिकारी भी हैं, हमारे कुछ माननीय विधायक भी है जो चलवा रहे हैं, तो यह नितान्त गलत बात है।

इसकी वजह से हमारे परिवहन निगम को भी घाटा हो रहा है और यदि किसी तरह की अवैध बसों का प्रचलन न होने दें तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी। श्रीमन्, और भी हमारे बहुत से ऐसे निगम हैं जिनको हम पुनः चालू कर सकते हैं और चालू करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, बन्द करना इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, यदि बन्द कर दें तो हम कहेंगे कि जैसे हम जीवन से हताश हो गये और हम आत्म हत्या कर लें, यह आत्मघाती कदम होगा। यह अच्छे प्रशासक की क्षमता की बात नहीं है बल्कि हम कहेंगे कि अक्षम लोग ही ऐसा कहते हैं, सक्षम लोग ऐसा कभी नहीं कहते। यहीं पर हम यह कहना चाहते हैं, मैंने अपने अभिभाषण में जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, उसमें यह भी जोड़ने के लिए मांग की है। आज प्रदेश में बहुत से लोग खानाबदोश हैं जो आज यहां है, कल वहां है, परसों तीसरी जगह हैं। पुस्त दरपुस्त बेचारे खानाबदोश का जीवन बिताते हैं , चाहे गैडा हों चाहे अन्य कोई हों, उनकी हालत बहुत बदतर है। क्या वे किसी जाति विशेष में पैदा होने के कारण उनके बच्चे भी ऐसे ही खानाबदोश बने रहें। तमाम सरकारें आयीं और गयीं लेकिन इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेरा सुझाव है कि इस अभिभाषण में जोड़ा जाए कि जीवन यापन करने के लिए अवश्य तौर से मकान की व्यवस्था, रहने लायक मकान की व्यवस्था की जाये, उन्हें बसाया जाये, उन्हें

ऐसे स्थान पर बसाया जाये जहां उन्हें खेती करने योग्य भूमि उपलब्ध करायी जा सके या उद्योग धन्धा ऐसा कुछ लगा कर दिया जाए जहां वह रोजी रोटी के लिए अपना काम कर सकें और उनके बच्चें की पढ़ाई की व्यवस्था की जाये । आज उनके बच्चे पूरी तरह से आशक्षित हैं और जब तक वह अशिक्षेत रहेंगे तब तक शत प्रतिशत सारक्षरता की जो बात कही जा रही है वह कभी भी पूरी नहीं होगी इसलिए उनके भी बच्चों को साक्षर बनाने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था की जाए, अगर यह व्यवस्था नहीं होती है तो निश्चित रूप से साक्षरता की बात जो हम कहते हैं, पूरी नहीं होगी । श्रीमन्, मैंने यह भी अभिभाषण में जोड़ने के लिए मांग की है कि जितने नव सृजित जनपद हैं, जितने नए जिले बनाये गये हैं, अब वह बने हैं चलेंगे तो ऐसे नए जिलें के प्रशासनिक भवनों के बनाने की भी धीरे धीरे व्यवस्था की जाय । मैं नहीं कहता कि इकट्ठा कर दिया जाए । सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, पैसा नहीं तो फिर धीरे धीरे स्टेप वाई स्टेप प्रशासनिक भवन भी बना दिए जायें । यदि नहीं बनाये जाते हैं तो प्रशासनिक क्षमता में कमी आ रही है, हुई है और बनी रहेगी । मान्यवर, नए सृजित जिलों में ऐसे भी जनपद हैं जहां किसी भी पत्रकार को पत्रकारिता की मान्यता नहीं है जैसे औरैया जिले में अभी तक किसी भी पत्रकार को पत्रकारिता की मान्यता नहीं है । तो श्रीमन् आप मानक निर्धारित कर दीजिये लेकिन जितने नये सृजित जिले हैं उनमें जो मुख्य 2-4 पत्र या पत्रिकायें हैं उनको मान्यता मिलनी चाहिये और सुविधाये मिलनी चाहिये । अगर सुविधायें नहीं मिलती हैं तो पत्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर सकेंगे और कर भी नही रहें हैं क्योंकि मजबूरी उनके साथ है । श्रीमन् मेरा एक यह भी प्रस्ताव है कि जो चिकित्सालय हैं जिनके भवन अधूरे हैं उन भवनों को पूरा किया जाय और उनमें सरकारी अस्पताल चलाये जायें क्योंकि प्राइवेट जगहों पर जो अस्पताल चलते हैं उनका किराया सरकार को देना पड़ता है ।

श्रीमन्, अभी हाल ही में एक शासनादेश निकाला है कि डिग्री कालेजों के लिए प्रतिबंध नहीं रखेंगे कि राज्यपाल महोदय की क्लीरेंस ली जाय ताकि ज्यादा डिग्री कालेज खुलें । मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने राजकीय विद्यालयों के भवन बने खड़े हैं जिनमें केवल टीचर्स भेजना बाकी है उनको संचालित किया जाय जैसे मेरे यहां विधूना में राजकीय विद्यालय बना खड़ा है लेकिन वहां टीचर नहीं है । 4-5 साल से वहां जानवर, सुवर आदि उस विद्यालय में घुसते हैं और वह सारा का सारा भवन बरबाद हो रहा है । ऐसे भवनों की सुरक्षा के हित में और छात्रों के हित को देखते हुए ऐसे विद्यालयों में टीचर्स भेजकर उनको संचालित करवाया जाय । श्रीमन् एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा मैंने अभिभाषण में जोड़ने के लिए प्रस्ताव भी रखा है वह यह है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है उसके लिये शिविर लगाकर मुख्य मंत्री जी ने पेंशन स्वीकृत करवा दी है । मेरा निवेदन है कि इन लोगों को नियमित रूप से पैसा मिलता रहे यह अभिभाषण के अंत में जोड़ते हुये इसकी व्यवस्था कर दी जाय ताकि वृद्ध और विकलांग और विधवाओं जो हैं उनको ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े । बहुत सी विधवायें और वृद्ध 80 वर्ष के हो गये हैं और रोजी रोटी के लिये परेशान हैं वह फार्म भरते हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है । तो कम से कम इतना हो जाये । वह बड़ी बात नहीं है । आप ब्लाक स्तर पर कुछ शिविर लगवा दीजिए । ब्लाक के अधिकारी सूचित कर दें कि फलां दिन फलां स्थान पर विधवा विकलांग और वृद्ध वहां मौजूद हों, वहीं डाक्टर हो । डाक्टर और लेखपाल के लिए अलग न जाना पड़े । एक ही स्थान पर डाक्टर, लेखपाल और बी०डी०ओ० रहे । जो पात्र व्यक्ति हों उनके नाम की घोषणा शिविर में ही कर दी जाय ताकि लोग परेशान न हों । लोग सालों घूमते रहते हैं आप यह कर दें तो आपको इसका यश मिले । विधवायें, विकलांग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगी और उनका भी दुःख दूर हो जायेगा । श्रीमन् इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़, वर्षा, आग या अन्य दैवी आपदायें हैं, ओला है, इसके लिए जो सहायता मिलती है वह जल्दी मिलनी चाहिए । जांच आ रही है, छः महीने बाद उसका पैसा मिलता है तब तक वह परेशान हो जाता हैं । समयबद्ध तरीके से

जांच करवा ली जाय और जांच करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हों, अधिकतम 15 दिन के अन्दर सहायता मिल जानी चाहिए जिससे वह उसका सदुपयोग कर सके । एक और दुःखद पहलू है जिसका पीछे भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । चकबन्दी प्रक्रिया के बारे में । बहुत से मौजे हैं जहां चकबन्दी प्रक्रिया को 28 साल हो गये हैं लेकिन अभी तक चकबन्दी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है जबकि 20 साल में दूसरा बन्दोबस्त हो जाता है । अभी तक यह अवधि 27 साल का था अब 20 साल कर दिया है । विधूना तहसील के कई गांव और हल्दू मौजा में अभी चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा आपस में हंसी मजाक करने पर)

हंसी मजाक करना है तो आप लोग उधर जाइये । हंसी मजाक के लिए क्या यही स्थान रह गया है । श्रीमन्, चकबन्दी प्रक्रिया ऐसी है जिससे किसान प्रभावित है । किसानों के आप दुश्मन हैं, विरोधी है इसलिए किसान की सुख सुविधा की बात आप लोग सोच नहीं सकते हैं । चकबन्दी प्रक्रिया जहां पूरी नहीं हुई है वहां वह कैसे ट्यूबवेल लगाये कैसे बाग लगाये, आपने क्या कभी सोचा है ? आपको क्या नहीं सोचना चाहिए था । आप जांच करवा लीजिए मौजे का नाम भी बता दिया है मान्यवर, अभी जिस समस्या के समाधान के लिए निवेदन किया है वह उस समस्या के बारे में अखबार में निकला है कि कम्प्यूटर से यह व्यवस्था की जा रही है, पेंशन पर जो व्यक्ति जायेगा उसको कुछ घण्टों के अन्दर ही पेन्शन और अन्य देय मिलने का आदेश मिल जायेगा । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जिनको रिटायर हुये साल साल भर हो गये लेकिन अभी भी उनकी पेंशन निर्धारित नहीं हुई न ही उनको प्राइवेट फण्ड मिला , न बीमे का पैसा मिला वह भुखमरी के कगार पर हैं । मैं चाहता हूं कि इसका परीक्षण करवा लिया जाये ।

(नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य 5 बजे अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

परीक्षण करवा लिया जाए और इस समस्या से जितने लोग ग्रस्त हैं उनका निराकरण कर दिया जाय । एक विषय ऐसा है जिस पर यहां बार बार चर्चा हो रही है चूंकि मैंने उसमें जोड़ने के लिए लिखा है इसलिए कहना चाहता हूं कि धर्मस्थल विधेयक मैं विस्तार से इसमें न जाकर इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश में धार्मिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिए इस विवादित धर्म स्थल विधेयक को वापस ले लिया जाए यह मेरा सुझाव है । अगला सुझाव यह है कि पंचायतों के चुनाव जो छः महीनों के लिए टाले गए हैं उन चुनावों को चूंकि अभी एक महीना शेष है इसलिए इतने समय में करवा लिया जाए आप एक महीने में चुनाव करवा सकते हैं परिसीमन भी हो सकता है और आरक्षण भी हो सकता है उसमें कोई संशोधन हो उसको भी देख लें उसमें बड़ी दिक्कत नहीं होगी । यह काम तो तीन दिन में हो जायेगा । आप प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन मत करिए उनको बनाए रखिए । सत्ता में कभी आप आते है कभी हम आते हैं लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए । ऐसी बात करें जिससे भविष्य में दूसरे लोग उसका अनुसरण करें । श्रीमन् जो बातें आपके समक्ष अभिभाषण में जोड़ने के लिए कही है और प्रदेश की ज्वलंत समस्यायें जो हैं उन समस्याओं के निराकरण से संबंधित यह सारे सुझाव जो मैंने दिए हैं मेरा मानना है कि मुख्य मंत्री जी उन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करते हुए उन्हें अभिभाषण में जोड़ने की कृपा करेंगे । इसी के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन मे बोलने का अवसर दिया ।

डा० सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इस भाषण को अगले दिन के लिए जारी रखा जाए ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 31-3-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर वक्तव्य स्वीकार हुआ :–

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की भांति नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी 50 हैण्डपम्प स्थापना हेतु प्रस्ताव करने के अधिकार के संबंध में ।

(2) श्री श्यामदेव राय चौधरी — माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा फार्मों पर परीक्षार्थियों का रंगीन फोटो स्वीकार किये जाने के संबंध में ।

तीसरी सूचना श्री समर पाल सिंह आदि की नियम 311 में प्राप्त हुई थी, इसे निस्तारित कर दिया गया है ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर केवल वक्तव्य स्वीकृत हुआ :––

(1) श्री सीताराम निषाद — माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा 1999 में मेधावी छात्र/छात्राओं की सम्मिलित वरीयता (मेरीट सूची) में की गयी हेराफेरी से विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था की विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगने एवं प्रदेश के लाखों मेधावी छात्र/छात्राओं में व्याप्त कुण्ठा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(2) श्री राम कुमार एडवोकेट तथा श्री उदय राज यादव — जनपद उन्नाव में पुलिस की सांठ-गांठ से मादक पदार्थों की खुले आम बिक्री से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में ।

(3) श्री राम औतार शाक्य — इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 12 एवं 13 के संबंधित विनियमों तथा शिक्षा संहिता के पैरा 119 में संशोधन से पूरे प्रदेश के कक्षा 9 के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(4) श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में परिक्रमा मार्ग के सार्वजनिक मंदिरों में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के निदान हेतु परिक्रमा गोवर्धन के मंदिरों का जनहित में अधिग्रहण कर प्रशासक नियुक्त करने तथा मां वैष्णो देवी मंदिर की भांति ट्रस्ट बनाये जाने के संबंध में ।

(5) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड औराई के ग्राम पीपर गांव में स्थित पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय न खुलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(6) श्री महेन्द्र कुमार — प्रदेश में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों का बी० टी० सी० (पत्राचार) प्रशिक्षण पूर्ण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) श्री तेजभान सिंह — पायलट प्रोजेक्ट सहकारी विकास संघ लि० दूबेपुर जनपद सुल्तानपुर के भू-आवंटी किसानों को आवंटित कृषि भूमि की बेदखली रोकने व उन्हें संघ संस्था से भू-आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामजग — जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर कस्बे में अधिगृहीत भूमि हरिबांध पर तहसील भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीम प्रसाद सोनकर — प्रदेश में तहसीलों से जनसामान्य को आय प्रमाण-पत्रों के निर्गमन में हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नियम 51, 300 तथा 311 में प्राप्त निम्नलिखित मा० सदस्यों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं निजी/क्षेत्रीय समस्याओं के रूप में चयनित की गई हैं :–

(1) डा० धर्मज्ञ मिश्र — जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत हथौरा ड्रेन की सफाई कराये जाने तथा कतिपय ग्रामों में ड्रेन पर पुलियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(2) श्री रामललित चौधरी — प्रदेश में अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल का पालन न किए जाने के संबंध में।

(3) श्री दिलीप कुमार तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर — पिछले सत्र में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित प्रत्येक विधायक को 50-50 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प अभी तक न दिये जाने के संबंध में।

(4) श्री दुर्गा प्रसाद यादव — जनपद आजमगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री श्रीराम पाल — जनपद जालौन के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट तथा अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं के नामजद अभियुक्तों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री भीम प्रसाद सोनकर — जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीर गंज क्षेत्रान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर तहसील भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में।

निम्नांकित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं :–

डा० वकार अहमद शाह, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, डा० कौशल किशोर, श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री राम विशुन आजाद, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री संजय गर्ग, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री हरदेव सिंह, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री दिलीप कुमार, श्री गोपाल कृष्ण, डा० कौशल किशोर श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री विश्वनाथ व श्री श्याम किशोर यादव।

अब हम उठते हैं। 3 अप्रैल, 2000 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 5 मिनट पर सोमवार 3 अप्रैल, 2000 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 31 मार्च, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर का संलग्नक

क्र० सं०	कम्प्यूटर स्थापित होने का स्थान	कुल स्थापित कम्प्यूटर	मासिक अनुरक्षण व्यय
1	2	3	4
1	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्पादन निर्गम, शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
2	निदेशक, (कार्मिक एवं प्रबन्धक), शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
3	उप महाप्रबन्धक (प्र० सेवा), शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
4	उप महा प्रबंधक (ई०एम०), शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
5	उप महाप्रबंधक (डी०पी०), शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
6	उप महाप्रबंधक (रेस्पो), शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
7	उप महाप्रबंधक (ई०एम०-01), शकित भवन (मु०)	02	शून्य
8	उप महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष के विशेष सहायक, शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
9	हाई पावर कमेटी, शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
10	वरिष्ठ लेखाधिकारी (जी०पी०एफ०)शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
11	कम्प्यूटर कक्ष, शक्ति भवन (मु०)	08	शून्य
12	लेखा अनुभाग (कारपेट एकाउण्ट्स) शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
13	वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन), शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
14	महाप्रबंधक (सी०एम०यू०डी०) शक्ति भवन (वि०)	01	शून्य
15	उप सचिव (ई०एम०–3/4ए) शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
16	उप सचिव (प्र० से) शक्ति भवन (मु०)	01	शून्य
17	मुख्य अभियन्ता (ज०वि०), लखनऊ	01	रु० 1500 प्रतिमाह

1	2	3	4
18	मुख्य अभियन्ता (पारेषण) मध्य, लखनऊ	01	रु० 285 प्रतिमाह
19	मुख्य अभियन्ता सामग्री प्रबंध, लखनऊ	01	शून्य
20	मुख्य अभियन्ता एवं भण्डार नियंत्रक, लखनऊ	03	शून्य
21	अधीक्षण अभियन्ता (आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल)	01	शून्य
22	मुख्य अभियन्ता (पारेषण परिकल्पना)	04	रु० 1445 प्रतिमाह
23	मुख्य अभियन्ता (आर०पी०एम०ओ०) शक्ति भवन (वि०), लखनऊ	17	रु० 12,500 प्रतिमाह
24	मुख्य अभियन्ता (नियोजन), लखनऊ	03	रु० 565 प्रतिमाह
25	प्रधान निदेशक, पी०पी०ए०, लखनऊ	कम्प्यूटर नेटवर्क	शून्य
26	मुख्य अभियन्ता (तापीय मानी) लखनऊ	02	शून्य
27	मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यक), शक्ति भवन (विस्तार)	02	रु० 835 प्रतिमाह
28	मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण, शक्ति भवन, लखनऊ	07	रु० 1990 प्रतिमाह
29	मुख्य अभियन्ता (ए०पी०टी०पी०), लखनऊ	03	शून्य
30	विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ	01	शून्य

टिप्पणी :–जिन कम्प्यूटर के विरुद्ध अनुरक्षण व्यय शून्य दर्शाया गया है वे या तो अभी गारन्टी की अवधि में हैं अथवा उनके वार्षिक/मासिक अनुरक्षण हेतु अभी कोई व्यय नहीं किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता० प्रश्न संख्या–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर ।)

गोमती नगर योजना स्थित विनम्र खण्ड में आवंटित 112.5 वर्ग मीटर भू-खण्डों का विवरण दि० 4-1-99 की लाटरी के अनुसार

क्र० सं०	आवंटी का नाम	आवंटित भू खण्ड संख्या
1	2	3
1	श्री अरविन्द कुमार लाल	3/220
2	श्री बीना कुमारी	2/326
3	श्री देवेन्द्र कुमार	1/146
4	श्री राम भजन वर्मा	2/86
5	श्री शैल बाला	2/217
6	श्री राजेन्द्र कुमार	1/97
7	श्री चन्द्र प्रकाश	2/67
8	श्री देवीदीन गौतम	1/227
9	श्री दुखी लाल	1/69
10	कलावती	2/321
11	श्री गौरी वर्मा	2/319
12	श्री मोहन लाल	2/316
13	श्री चन्द्र कमल	1/55
14	श्री सुशीला देवी	3/312
15	श्री मनोज कुमार	1/152
16	श्री दूधनाथ यादव	2/46
17	श्री रामा यादव	2/59
18	श्री फौजदार शर्मा	2/240
19	सरस्वती वर्मा	1/128
20	श्री मोहन लाल	1/71
21	श्री सत्येन्द्र नाथ चौधरी	2/214
22	श्री दिनेश कुमार	2/181
23	श्री मो० यूनुश	2/72
24	श्री शिव गुलाम पाल	3/223

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
25	श्री उमा शंकर	2/180
26	श्री विरेन्द्र पाल	2/215
27	स्नेह लता पाल	1/197
28	श्री नवीन चन्द्र गुप्ता	3/315
29	श्री हरी राम	1/145
30	श्री अम्बिका प्रसाद वर्मा	2/178
31	श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी	2/247
32	श्री गुरू प्रसाद	1/197
33	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	2/239
34	श्री शिव कैलाश पाण्डेय	3/225
35	श्री रिया अहमद अंसारी	1/45
36	श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	1/195
37	श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी	2/285
38	इन्दु अग्रवाल	2/137
39	श्री रविन्द्र नाथ शुकुल	2/87
40	श्री हरभजन कौर	2\179
41	श्री विकास महरोत्रा	2/61
42	श्री मोहन जार्ज युआन	3/306
43	वन्दना जैन	1/52
44	श्री विनय दुबे	2/231
45	श्री जमील अहमद	2/216
46	श्री किता किरन	2/305
47	श्री अजीत कुमार	2/230
48	श्री सोभा सिंह	1/226
49	श्री आशा भारती	2/180
50	रचना अग्रवाल	2/51
51	श्री कमलेश श्रीवास्तव	2/63
52	श्री सब्रनो मुखर्जी	2/82
53	कौशल्या शुक्ला	2/80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
54	सीमा श्रीवास्तव	2/184
55	किरन नन्दा	2/221
56	श्री सैय्यद फखरुल	3/331
57	श्रीमती विनीता सिंह	1/49
58	श्री घनश्याम सिंह	1/138
59	श्री पीयूष नौरसिया	2/209
60	श्री शिव प्रसाद गर्ग	1/50
61	श्री पारुल सिन्हा	2/314
62	श्री नीलू सिंह	1/224
63	आभा श्रीवास्तव	2/323
64	श्री अशोक कुमार भाटिया	1/83
65	श्री मधुलिका भट्टाचार्या	2/191
66	श्री शिव नारायण गुप्ता	2/210
67	श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव	1/225
68	गीता मिश्र	2/71
69	श्री संदीप अरोरा	1/125
70	श्री विविध चन्द्रा	2/324
71	श्री कमलकान्त अस्थाना	1/136
72	श्री अनिल सक्सेना	2/192
73	भाषा पंत	2/325
74	श्री रवि बिहारी श्रीवास्तव	2/255
75	श्री मनोज कुमार तिवारी	3/226
76	मनीषा जैन	2/84
77	श्रीमती उर्मिला पाठक	3/220
78	श्री सुनील कुमार	2/196
79	श्री धवल अग्रवाल	1/123
80	श्री दीपक कुमार निगम	3/310
81	श्रीमती निशि अग्रवाल	3/224
82	सीमा मिश्रा	2/219

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
83	श्री राजेश चन्द्र पाण्डेय	2/233
84	श्री राम सिंह सचान	2/189
85	श्री गुलराज	3/309
86	गीता वर्मा	1/143
87	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	2/224
88	श्री नवीन सैगल	1/220
89	श्री किरन भदौरिया	1/137
90	श्रीमती वन्दना	3/231
91	आलम आरा बेगम	1/131
92	आनन्द अहमा	3/229
93	श्री आशीष कुमार	3/222
94	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	2/315
95	श्री अर्चना बाजपेयी	1/126
96	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	2/235
97	श्री अशोक	1/134
98	श्री जी० पी० मिश्रा	2/212
99	श्री बलबीर अग्रवाल	2/229
100	श्रीमती संगीता मिश्रा	2/82
101	रेखा वर्मा	1/127
102	श्री चन्द्र दीप सिंह	2/236
103	श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय	2/57
104	श्री संतोष कुमार शुक्ला	2/81
105	श्री राज किशोर गुप्ता	1/70
106	श्री साहिन हुसैन	2/220
107	श्री सतीश कुमार जैन	3/227
108	सर्वश्री सुबोध सक्सेना	2/79
109	बीना श्रीवास्तव	2/54
110	राधा श्रीवास्तव	1/153
111	राम चन्द्र अवस्थी	2/211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
112	सविता जौहरी	2/78
113	सर्वश्री जगदीश प्रसाद तिवारी	1/48
114	राम रघुवीर तिवारी	2/245
115	नितिन अरोरा	2/238
116	धीरेन्द्र नाथ चौधरी	1/134
117	कृष्ण मुरारि पाण्डेय	2/234
118	निर्मला सक्सेना	2/316
119	अनन्त कुमार	2/227
120	संयोगिता	2/60
121	सीमा उपाध्याय	2/213
122	संध्या भडेवल	1/149
123	जगदीश प्रसाद मिश्रा	2/64
124	कमला प्रसाद	2/177
125	शशी मोहन श्रीवास्तव	2/48
126	कृष्ण बहादूर सिंह	1/144
127	अरुण कुमार मिश्रा	2/74
128	पारस नाथ पाण्डे	2/186
129	सिद्धार्थ पाण्डे	2/70
130	काशी नाथ श्रीवास्तव	1/124
131	दिलीप एण्ड अविनाश मेहरोत्रा	1/129
132	शोभित एलोन्स	2/107
133	हरी ओम त्रिपाठी	2/50
134	रामानुज शुक्ल	2/190
135	सुषमा सिन्हा	2/53
136	कुलदीप धर	2/257
137	अशोक कुमार अग्रवाल	1/42
138	परजीत कौर	2/52
139	अमित स्वरूप	2/55
140	कैलाश नाथ सिंह	2/242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
141	सर्वश्री धीना भार्गव	3/300
142	इन्द्रजीत सिंह	2/286
143	आशु कालिया	1/56
144	श्याम स्वरूप गुप्ता	1/122
145	राजेश भटनागर	3/330
146	शिव कुमार सक्सेना	3/221
147	साकिरा बेगम	1/141
140	शोभा त्रिपाठी	2/241
149	उमेश चन्द्र सक्सेना	2/65
150	इकराम अहमद फारूकी	1/51
151	ओम प्रकाश गुप्ता	2/68
152	जयन्त कुमार वासु	3/329
153	दुर्गा सिंह	2/259
154	उर्मिला दुबे	3/280
155	अवनीश चन्द्र जी	2/77
156	कृष्ण नन्द मिश्रा	2/260
157	अलीम गोस्वामी	2/182
158	राकेश चन्द्र गुप्ता	2/220
159	शिव कुमारी	2/83
160	विनोद कुमार त्रिवेदी	2/175
161	शिव शंकर लाल गुप्ता	2/58
162	मो० शाहनाज	3/333
163	आशा देवी	1/47
164	विपुल अग्रवाल	2/256
165	अल्का सरण	2/183
166	नवनीतकुमार	1/167
167	मीनाक्षी	1/167
168	बीना रावत	3/279
169	सुदेश कुमार	2/240

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
170	आभा श्रीवास्तव	2/85
171	रेनू मल	3/210
172	महेश मणि त्रिपाठी	2/49
173	मंजू द्विवेदी	2/194
174	विधी पी अग्रवाल	2/317
175	संजय श्रीवास्तव	1/151
176	चारू सिन्हा	2/250
177	सुबोध अवस्थी	1/198
178	सुधा वर्मा	1/133
179	पंकज जैन	3/317
180	राम शंकर पाण्डेय	2/232
181	गिरीश चन्द्र	3/332
182	विवेक सरन	2/320
183	देवेन्द्र कुमार शर्मा	2/225
184	लीलावती तिवारी	2/244
185	साधना श्रीवास्तव	3/277
186	अवध नारायण राय	2/218
187	राजेश कुमार	2/76
188	जय प्रकाश श्रीवास्तव	1/53
189	राजीव रमन अस्थाना	2/322
190	कान्ती देवी जी मिश्रा	1/54
191	हेमन्त वर्मा	1/223
192	सुशील चन्द्र राय	3/278
193	मंजू शर्मा	3/307
194	विष्णु प्रसाद पाण्डेय	2/66
195	मुनेन्द्र कुमार सिंह	2/62
196	आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव	2/56
197	विजय कुमार सक्सेना	3/304
198	सर्वेश सिंह	1/148
199	अमित भार्गव	3/310

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
200	सर्वश्री गिरजा शंकर त्रिपाठी	1/72
201	अवधेश कुमार सिंह	2/243
202	राम नाथ	2/310
203	हितेश चन्द्र अवस्थी	1/135
204	रघुवर दयाल पाण्डे	2/226
205	अर्चना एवं विकास चन्द्र शर्मा	3/230
206	अशोक कुमार मेहता	3/311
207	शिलेन्द्र कुमार गुप्ता	2/185
208	गुलवाश देवी	2/73
209	संजीव भार्गव	3/314
210	मीरा सिंह	1/46
211	पुनीत मित्तल	1/130
212	सर्वश्री साहाब हुसैन	2/313
213	अलका रानी मिश्रा	2/193
214	आनन्द स्वरूप शुक्ला	2/75
215	प्रेम चन्द्र शर्मा	3/313
216	अंजू श्रीवास्तव	2/222
217	किशोर कुमार सिन्हा	2/176
218	मनोज कुमार	2/223
219	कपूर चन्द्र केसरी	3/209
220	लक्ष्मी सक्सेना	1/96
221	ठाकुर प्रसाद तिवारी	1/81

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

संलग्नक

प्रवर्तन दलों द्वारा पिछले वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण

क्र० सं०	विवरण	वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000 (1/2000 तक)	योग
1	2	3	4	5	6
1	विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ता	8865	22830	4629	36324
2	अधिक भार प्रयोग करते पकड़े गये उपभोक्ता	8879	14651	9012	32542
3	पीक आवर्स का उल्लंघन करते पकड़े गये उपभोक्ता	1931	4234	1859	8024
4	थाने में दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्टों की संख्या	8865	22830	4629	36324
5	गिरफ्तार/आत्मसमर्पण किये गये व्यक्तियों की संख्या	5812	5538	3281	14631

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

संलग्नक सूची

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की 800 के०वी० आनपारा–झूंसी एवं झूंसी–उन्नाव लाइन के 45 मीटर से ऊंचे टावरों की कुल संख्या 135 है ये टावर निम्नलिखित लोकेशन पर स्थित है :–

टीटी,एपी–4, 4/1, 4/2, एपी–7, एपी–7ए, 11/2, 12/1, 12/2, 12ए/1, 14/3, एपी–18, 18/1, 18/2, आरसी–1–20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21/1, एपी–22, एपी–23, 24/2, 24/3, 24/5, 25/1, 26/1, 27/1, 27/2, 27/3, 29/2, एपी–30, एपी–30वी, एपी–31, 34/1, 36/2, एपी–37, 37/1, 37/2, एपी–38, एपी–38, 38ए/1, 38ए/2, 38ए/3, एपी–39, 40/1, एपी–40सी, पी–40डी, एपी–41, एपी–41बी, 42/ए/ 42/दो, एपी–43, 43/3, 43/4, एपी–45, 45/1, 45/3, 46ए/1, 46बी/3, एपी–46सी, एपी–46बी, एपी–46एफ, 46एफ/1, 46एफ/3, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9, 56/1, 57/1, 57/2, 61/7, एपी–64, एपी–64, 64/1, 65/1, एपी–65ए, 661/, 66/बी/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, जे–2, जे–11, जे–16, जे–21, जे–23,जे–28, जे–48, जे–93, जे–95, जे–102, जे–111, जे–113, जे–140, जे–145, जे–157, जे–158, जे–173, जे–190, जे–208, जे–214, जे–221, जे–230, जे–231, जे–244, जे–247, जे–252, जे–263, जे–271, जे–272, जे–286, जे–287,जे–288, य–9, यू–10, यू–11, यू–12, यू–21, यू–52, यू–55, यू–62, यू–106, यू–116, यू–117, यू–186, यू–189, यू–191, यू–208, यू–224, यू–231 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं०–173 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

विधान सभा के प्रताम सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अजय भट्ट मा० सदस्य णिधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–173 के उत्तर का संलग्नक

लम्बाई (कि०मी०) लागत (लाख रु० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत		9/99 तक प्रगति		1-4-97 से 30-9-99 तक प्रगति	
		लम्बाई	लागत	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	**मीटर मार्गों का नव निर्माण :–**						
1	द्वारसो-काकड़ीघाट कि०मी० 6 से 9	04.00	12.20	35.11	3.73	8.80	0.73
2	चायखान–थवासीमल कि०मी० 6 से 25	20.00	60.00	58.88	6.60	17.60	3.60
3	काकड़ीघाट–सीतलाखेत कि०मी० 1 से 16	15.95	31.00	77.81	7.95	21.49	2.95
4	जैती पीपली चौड़ाखान–वल्का 4.00 से 8.00	05.00	40.00	33.99	2.50	32.99	2.50
5	मोतियापाथर मेरगांव धौरा 40.00 कि०मी०	40.00	220.00	59.49	3.50	55.84	3.50
6	खूट काकड़ीघाट पार्ट–1	3.50	21.98	21.98	3.50	2.12	2.28
7	सोगड़ छानागांव चैबछीना	03.00	32.10	32.09	3.00	7.03	1.25
8	बसौलीखाल चमतोला जीआईसी लिंक मार्ग	05.00	53.50	34.03	3.25	2.73	0.25
9	भिकियासैंण बासोट घट्टी	09.00	63.55	63.72	9.00	41.09	3.50
10	हरडा–भिकियासैंण	01.00	5.50	5.13	1.00	2.95	0.75
11	सराईखेत मोहान अजरो	05.00	9.15	9.23	1.25	9.23	1.25
12	गनियाधोली टाना–विशाल कोट 6.00 से 10.00	05.00	27.50	25.53	2.25	20.59	2.25

1	2	3	4	5	6	7	8
13	कैसियाकिपना का झीपा तक विस्तार	02.00	11.00	12.25	1.00	9.86	1.00
14	भिकियासैंण–बासोट–धट्टी	02.00	11.00	10.96	2.00	10.95	2.00
15	चौबटिया–कलनाखेत–बगस्य मो०मा० का विस्तार	08.00	24.00	17.96	1.25	17.84	1.25
16	ग्वालीखाल–भण्डारा खोला-कालीगांव	05.00	40.00	27.32	1.50	26.10	1.50
17	सौगढ़ पन्तगांव–चमड़ाखान	05.00	27.50	35.38	5.00	14.62	5.00
18	गोदीखेड़ा–खेड़ा 4.00 से 8.00	05.00	27.50	36.42	2.50	15.73	2.50
19	मठेला–बिन्ता–सुरना	04.00	22.00	26.56	3.00	14.39	3.00
20	जालीखान–उत्तमछीना	05.00	53.50	50.98	4.00	40.78	4.00
21	गोदीखेड़ा	02.00	11.00	12.06	1.00	11.85	1.00
22	सौगढ़पंतगांव चमड़ाखान	02.00	11.00	14.86	2.00	14.75	2.00
23	डौला–चौड़ाखान–वाजन–सिनार	07.00	74.90	23.68	4.00	21.17	4.00
24	मासी–नौबड़ा–चौड़ा–खान–बाजन –सिनार	02.00	11.00	9.35	0.50	9.19	0.50
	योग :–						47.96
(ब)	**हल्का वाहन मार्ग का नव निर्माण :–**						
1	द्वारसो–काकड़ीघाट मिसिंग	4.00	31.20	23.38	1.50	23.39	1.50
2	शहर फाटक से रा०इं० कालेज शहर फाटक	5.00	15.00	60.57	1.50	2.51	1.50
3	दग्वाली पोखर मल्लीमिरई	5.00	15.00	14.08	1.00	12.54	1.00
4	खोली-देवलीबगड़ जटेश्वर	6.00	46.80	13.19	4.00	13.18	4.00
5	चितई-पेठसाल-बवन-स्वाल	8.00	74.40	5.41	1.00	5.40	1.00
6	पिलखा पाटिया	4.00	22.00	24.34	4.00	24.34	4.00
7	छरोज-सागड़-चलनीछीना	4.00	31.20	34.07	4.00	34.06	4.00
8	हाड़ा-भिकियासैंण	5.00	39.00	5.08	0.50	5.07	0.50
9	कैसिया-पिपना	7.00	54.60	14.30	2.00	14.29	2.00
10	सौगढ़-पंतगांव-चमड़खान	2.00	15.60	11.88	2.00	11.87	2.00
11	अम्बेडकर ग्राम मल्ला बिनौली को सुनाड़ी मार्ग से जोड़ना	7.00	27.60	25.47	2.75	8.01	2.75.
12	भिकियासैण में बासोट से बिनौली अम्बेडकर ग्राम तक	4.00	27.60	26.10	4.00	7.16	4.00
	योग :–						28.25

1	2	3	4	5	6	7	8
(स) सुधार एवं पुनर्निर्माण कार्य–							
1	कोसी-कोरीछीना	3.00	33.90	38.17	2.00	4.27	2.00
2	मोरनौला-जैती मार्ग किमी० 3 से 7 तक	5.00	40.00	44.06	5.00	14.07	5.00
3	मोरनौला-जैती मार्ग कि०मी०–10 से, 13.50 तक	4.50	50.85	42.08	4.25	39.47	4.25
4	जैसी से भनौली 23 से 28	6.00	45.20	51.98	6.00	36.97	6.00
5	सुवाखान-दौडम चलनीछीना	2.00	10.20	3.50	1.00	3.50	1.00
6	काफलीखान-भनौली	3.00	33.90	39.18	3.00	9.73	1.00
7	मानिला-देघाट	7.00	21.00	30.38	3.00	27.68	3.00
8	बरकिन्डा-मानिला दोटियाल	5.00	39.00	40.30	5.00	40.30	5.00
9	भूजान-रिची-विल्लेख	2.00	18.20	6.68	1.00	6.68	1.00
10	मरचूला-भैरंगखाल	2.00	18.20	6.74	1.00	6.74	1.00
11	झिमार-क्वेरला बरकिन्डा	5.00	40.00	44.07	5.00	12.63	1.00
12	खैरना-रानीखेत-राइडिंग सुधार	28.00	617.00	662.66	28.00	196.90	10.00
13	द्वाराहाट-डिमाण्डेश्वर 1 से 6	6.00	47.36	46.52	6.00	13.53	4.00
14	तदैव-7 से 8 कि०मी०	2.00	10.00	15.68	2.00	3.14	2.00
15	द्वारसो-काकड़ीघाट	2.00	10.00	9.98	2.00	0.03	2.00
16	कोसी-दौलाघाट-कोरीछीना 11 से 16	6.00	15.00	14.38	4.00	14.38	4.00
17	मोरनौला-जैती	1.00	4.50	4.50	1.00	3.40	1.00
18	द्वारसो-काकड़ीघाट कि०मी० 5 से 6	2.00	4.50	3.40	1.00	3.40	1.00
19	कठपुड़िया-ज्योली मार्ग	1.00	7.00	7.00	1.00	7.00	1.00
20	द्वारसो-काकड़ीघाट कि०मी० 3 से 4	2.00	10.00	10.00	2.00	10.00	2.00
21	कपड़खान-धौलछीना	3.00	3.25	1.55	1.00	1.54	1.00
22	जागेश्वर-नैनी	1.00	6.00	6.39	1.00	6.39	1.00
23	सौगढ़ पंतगांव--चमड़खान	1.00	7.00	6.99	1.00	6.98	1.00
24	गनाई जौरासी	2.00	5.00	5.78	2.00	5.77	2.00
25	मासी-गैरखेत कि०मी०–7 में सोलिंग	1.00	2.50	1.39	1.00	1.38	1.00
26	नि० भवन द्वाराहाट से रा०मा०ई० कालेज द्वारा हाट	0.70	5.00	3.91	0.45	3.91	0.45
	योग :–						63.70

1	2	3	4	5	6	7	8
(द) सेतुओं का निर्माण :–							
1	बिन्ता-भताऔरा सेतु	42 मी०	32.00	36.79	1नं०	10.84	1 नं०
2	चनौदा–खिराकोट सेतु	42 मी०	22.41	25.77	1नं०	15.27	1 नं०
3	देवराड़ी के पास रामगंगा नदी पर पुल	90 मी०	68.34	86.66	1नं०	76.96	1नं०
4	खतरौन नदी पर तिमली-फनाई पर सेतु	13.80 मी०	5.60	5.59	1नं०	1.94	1नं०
5	तुराचौड़ा रामगंगा नदी पर सेतु	80 मी०	68.16	68.75	1नं०	10.50	1नं०
6	शहरफाटक कि० मी० 14 से विश्वनाथाधार	05 मी०	3.00	2.88	1नं०	2.88	1नं०
7	सुनौली में करतिया नदी पर सेतु	15 मी०	6.00	6.60	1नं०	6.59	1नं०
8	पेटशाल से सुवाखान कि० मी० 4 में पुल	18 मी०	16.50	16.70	1नं०	16.70	1नं०
	योग :–						8नं०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 218 विधान सभा (415)–16–10–2000–813 (डी०टी०पी०) ।